Con. 3. X.7.49
320

अंक 10
संख्या 7

शुक्रवार
14 अक्तूबर
सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

	पृष्ठ
संविधान का मसौदा–(जारी)	3063–3174
[अनुच्छेद 296, 299 अनुच्छेद 48, 62, 67, 109, 112, 119, 135, 144, 149, 230, 303 पर पुनः विचार और प्रथम अनुसूची पर विचार]	
अल्पसंख्यक मंत्रणा-समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	3129–3131

भारतीय संविधान सभा

शुक्रवार, 14 अक्तूबर, 1949

भारतीय संविधान-सभा कांस्टिट्यूशन हाल नई दिल्ली में प्रातः 10 बजे अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई।

संविधान का मसौदा–(जारी)

अनुच्छेद 296

***अध्यक्षः** अब हम अनुच्छेद 296 पर आये हुए संशोधन नं. 15 को लेते हैं। इस अनुच्छेद पर बहुत से संशोधन आये हैं। कुछ संशोधन ऐसे हैं जो मसौदा समिति की तरफ से उपस्थित किये जाने वाले संशोधन पर रखे गये हैं। अन्य कई संशोधन ऐसे हैं जो सदस्यों द्वारा उपस्थित किये जाने वाले संशोधनों पर रखे गये हैं। इनमें बहुतेरे समान आशय के हैं। इसलिये मेरा ख्याल है कि ऐसे संशोधनों के सम्बन्ध में जो समान आशय के हैं सदस्यों को स्वविवेक से काम लेना चाहिये और उनके लिये आग्रह न करना चाहिये।

***श्री एच.वी. कामतः** आप के निर्णय को मैं शिरोधार्य करूंगा, श्रीमान।

***अध्यक्षः** जहां तक साध्य हो मैं कोई निर्णय नहीं देना चाहता हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बईः जनरल): मैं यह संशोधन रखता हूं। श्रीमान–

"कि संशोधन सूची के संशोधन नं. 3165 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 296 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये–

Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts.

'296. The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State.' "

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

[296. संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां सेवाओं और पदों के भरने में प्रशासन कार्य पटुता बनाये रखने की संगति के लिए अनुसूचित जातियों अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमवासियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।]

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान** (पूर्वी पंजाब: सिख): एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान, वह यह.....

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): मेरा भी एक औचित्य प्रश्न था श्रीमान। इस अनुच्छेद पर मैंने एक औचित्य प्रश्न उठाया था। यदि आपकी.....

***अध्यक्ष:** मैं आप दोनों की बातें सुनूंगा।

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** मेरा कहना यह है श्रीमान कि जब तक इसके लिए एक प्रस्ताव नहीं पास हो जाता है यह सभा अपने पूर्व निर्णयों से मुकर नहीं सकती है। इसी अनुच्छेद को सभा पहले पास कर चुकी है।

***अध्यक्ष:** इस अनुच्छेद 296 को?

***सरदार भूपेन्द्र सिंह मान:** मेरा मतलब यह है कि उन सिद्धान्तों को जो इस अनुच्छेद में निहित हैं और जिन पर कि यह अनुच्छेद आधृत है उनको सभा स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर चुकी है। मैं अपनी बात को स्पष्ट किये देता हूं। अल्पसंख्यकों तथा मूलाधिकारों के लिए बनी मंत्रणा समिति के सभापति की हैसियत से माननीय सरदार पटेल ने 27 अगस्त सन् 1947 को सभा के समक्ष अपना जो प्रतिवेदन उपस्थित किया था उसमें दो बातें थीं। एक तो यह कि अल्पसंख्यकों की साफ-साफ परिभाषा दी गई थी और दूसरी यह कि चार बातों पर पृथक् पृथक् पूरी तरह विचार किया गया था। जिन चार बातों पर उसमें विचार किया गया था वह यह हैं। (1) विधान मंडलों में प्रतिनिधान तथा पृथक् और संयुक्त निर्वाचन (2) मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों के लिए स्थान-संरक्षण (3) सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों के लिए जगहों का रक्षण और (4) अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासकीय व्यवस्था। यह प्रतिवेदन सभा के समक्ष उपस्थित किया गया था जिसे आगे चलकर सभा ने स्वीकार किया था। इस प्रतिवेदन में जिसे कि सभा ने 1947 के अगस्त वाले अधिवेशन में पास किया था अल्पसंख्यकों के लिए मंत्रिमण्डल और सरकारी नौकरियों में जगहें सुरक्षित रखने के बारे में यह तय पाया था–

पैरा 9 में यह बात दी हुई है—कि अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय सेवाओं में अल्पसंख्यकों को समुचित जगहें दी जायेंगी और इन नौकरियों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन-कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अल्पसंख्यकों के

दावों का ध्यान रखा जायेगा। इतना ही नहीं साफ-साफ और जोरदार शब्दों में यह बात भी कही गई थी कि इसके लिये एक समुचित उपबन्ध संविधान में या अनुसूची में अवश्य रखा जायेगा।

इन सब बातों को मान लेने के बाद मसौदा समिति ने इसके लिए एक विशेष अनुच्छेद 299 को यहां रखा जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मंजूर किया गया था। मंत्रणा-समिति ने 11 मई सन् 1949 को अल्पसंख्यकों को राजनैतिक रक्षण देने के बारे में सभा के समक्ष बाद में एक प्रतिवेदन उपस्थित किया था। इस प्रतिवेदन में भी समिति ने अपने पूर्व निर्णयों की पुष्टि की थी और उन पर जोर दिया था। हां इस प्रतिवेदन में यह जरूर किया गया था कि विधान मण्डलों में उनके लिये जगहों को सुरक्षित रखने की जो बात पहले मान ली गई थी उसे जरूर अमान्य कर दिया गया था किन्तु अन्य सभी अधिकार ज्यों के त्यों सुरक्षित रखे गये थे किन्तु इस अनुच्छेद के द्वारा हो यह रहा है कि जो अधिकार अल्पसंख्यकों को दिये जा चुके हैं वह अब छीने जा रहे हैं मेरा कहना यह है कि यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव पास किये बिना सभा अपने पूर्व निर्णयों को बदल नहीं सकती है।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्य प्रान्त बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं उस औचित्य प्रश्न को समझ नहीं सका हूं जिसे माननीय मित्र श्री.....

***अध्यक्ष:** आप कृपया श्री नज़ीरुद्दीन अहमद को अपनी बात कहने दीजिये।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** कुछ समय पहले, जब कि माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने यह अनुच्छेद यहां उपस्थित किया था तो मैंने यह औचित्य प्रश्न उठाया था। गत 28 मई की सभा की कार्यवाही का मैं हवाला दे रहा हूं। उस दिन की कार्यवाही से पता चलता है कि अल्पसंख्यक सम्बन्धी मंत्रणा समिति ने एक विशेष उपसमिति नियुक्त की थी अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर विचार करने के लिये। इस विशेष उपसमिति के सदस्य ये सज्जन थे–

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू

माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

श्री के.एम. मुन्शी तथा

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर।

इस विशेष उपसमिति ने और बातों के साथ यह भी प्रतिवेदन में कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिये विधान-मण्डलों में जगहें सुरक्षित रहनी चाहिये। उसने यह भी कहा था कि अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय सेवाओं में उनके लिये जगहें तो सुरक्षित नहीं रखी जानी चाहिये पर इन सेवाओं के लिये नियुक्तियां करने में अल्पसंख्यकों के दावों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये जहां तक कि प्रशासन-कार्यपटुता को बनाये रखने की संगति के अनुसार ऐसा किया जा सकता हो।

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

इस बात को सभा ने स्वीकार किया था अगस्त सन् 1947 में। बाद में चल कर माननीय सरदार पटेल के 11 मई सन् 1949 के एक पत्र के आधार पर इस प्रश्न पर आंशिक रूप से पुनः विचार किया गया था। पुनर्विचार किया गया था केवल विधान मण्डलों में उनके लिये जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न पर न कि सेवाओं में उनके लिये जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न पर। सरदार पटेल ने यह प्रतिवेदन किया था कि अनुसूचित जातियों को छोड़कर अन्य अल्प संख्यकों के लिये विधान-मण्डलों में जगहें सुरक्षित रखने की जो पद्धति है वह उठा दी जानी चाहिये। सभा ने 26 मई सन् 1949 को सरदार पटेल के कहने पर इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया था। मूल प्रतिवेदन, सरदार पटेल का पत्र, उनके द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव और सदस्यों की वस्तृतायें—इन सब को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्विचार किया गया था केवल विधान मण्डलों में अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न पर। मैं यह भी बता दूं कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार करके जो निश्चय किया गया था उससे सभा के मुसलिम सदस्य पूर्णतः सहमत थे। मैं भी उनमें से एक था जिनका यह ख्याल था कि विधान मण्डलों में अल्प-संख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखने से उनको कोई लाभ नहीं होगा। नौकरियों में उनके लिये जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न पर तो पुनर्विचार ही नहीं किया गया था। उस मौके पर जब मैंने इस बात का उल्लेख किया था तो डॉ. अम्बेडकर तथा कई अन्य सदस्यों ने यह ख्याल किया था कि स्थिति को मैं ठीक-ठीक समझ ही नहीं पाया हूं। श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने तो यहां तक कह दिया कि "अगर इस बात को आप दो दिन में नहीं समझ सकते हैं तो दो महीने में भी आप इसे नहीं समझ सकते हैं।" माननीय मित्र ने इस तरह दर्पपूर्ण भाषा में मुझ से यह बात कही थी। किन्तु मैं यह कहता हूं और जोर देकर कहता हूं कि उस समय जो किया गया था उसको समझने में भूल जिसने भी की हो पर मैंने नहीं की थी।

चूंकि आप खुद इस उपसमिति के एक विशिष्ट सदस्य थे और उस समय सभा में मौजूद थे जब कि यह प्रस्ताव पास किया गया था इसलिये आपसे सादर यह अनुरोध करूंगा कि आप ही यह बताइये कि इस प्रश्न पर भी उस समय क्या पुनर्विचार किया गया था? सरदार पटेल को वैधानिकता का पूरा ख्याल रहता है और उन्होंने इस सम्बन्ध में जो पत्र दिया था उसके पैरा 8 में खुद यह कहा था कि समिति इस बात को अच्छी तरह समझती है कि "अपने पूर्व स्वीकृत निर्णयों को आसानी से हमें नहीं बदल देना चाहिये।" वह बड़े दृढ़-विचार वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने इस प्रश्न पर जो पुनर्विचार किया था वह खूब सावधानी के साथ और पर्याप्त कारणों के आधार पर ही किया था। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अल्पसंख्यकों के लिये नौकरियों में जगहें देने के बारे में और विशेष प्राधिकारी नियुक्त करने के बारे में जो उपबन्ध अनुच्छेद 296 और 299 में रखे गये हैं वह खूब सोच समझ कर ही रखे गये हैं।

***श्री एल. कृष्णस्वामी भारती** (मद्रासः जनरल): माननीय सदस्य औचित्य प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं या कोई वक्तृता दे रहे हैं?

***अध्यक्षः** वह औचित्य प्रश्न रख रहे हैं और उसे समझा रहे हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** यदि किसी सदस्य की समझ में यह नहीं आया है तो इसे मैं स्पष्ट किये देता हूं। मेरा औचित्य प्रश्न यह है। अल्पसंख्यक समिति के निर्णयों के अनुसार सभा ने कई निर्णय किये थे। सरदार पटेल के कहने पर इन निर्णयों में केवल आंशिक रूप से कुछ परिवर्तन बाद में किया गया था। अल्पसंख्यकों के लिये सेवाओं में जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न पर जो बातें प्रतिवेदन में कहीं गई थीं उन पर इन परिवर्तनों का कोई असर नहीं पड़ता है। चूंकि इस प्रश्न पर केवल आंशिक रूप से पुनर्विचार किया गया था और वह भी बहुत कुछ उपचार के बाद, इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रतिवेदन में कही गई अन्य बातों के बारे में अब हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सभा से और खास करके आपसे अध्यक्ष महोदय मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार किया जाये कि क्या इस प्रश्न पर इस तरह मनमाने तौर पर यहां पुनर्विचार किया जा सकता है। सभा का पूर्व निर्णय अपनी जगह है और मैं नहीं समझता कि उसे हम अब उलट सकते हैं। मेरा औचित्य प्रश्न यही है।

***अध्यक्षः** औचित्य प्रश्न की बात को और औचित्य प्रश्न के गुणदोष को— इन दोनों बातों को हमें अलग-अलग रखना होगा। फिलहाल मुझे विचार करना है केवल औचित्य प्रश्न पर जिसे यहां दो सदस्यों ने उठाया है। उनका कहना यह है कि सभा उपस्थित विषय के बारे में पहले कुछ निर्णय कर चुकी है और अब इस संशोधन के द्वारा उस निर्णय को बदलने की कोशिश की जा रही है। सभा के पूर्व निर्णयों पर पुनर्विचार करने के बारे में अपने नियमों में केवल एक ही नियम है और वह है नियम 32 और उसमें यह कहा गया है कि सभा के पूर्व स्वीकृत निर्णय पर पुनर्विचार उसी हालत में किया जा सकता है जब कि सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम एक चौथाई इसके लिए राजी हो। इसलिये, सभा के पूर्व स्वीकृत निर्णय के बारे में पुनर्विचार करने पर एक मात्र प्रतिबन्ध यही रखा गया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम एक चौथाई पुनर्विचार करने पर राजी हो। मेरा ख्याल है कि अच्छा यह होगा कि इस प्रश्न को मैं सभा के सामने रख दूं और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की एक चौथाई अगर पुनर्विचार करने के पक्ष में हो तो इस पर पुनर्विचार करना सर्वथा नियमानुकूल माना जायेगा।

जहां तक कि औचित्य प्रश्न के गुणदोष का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि मुझे इस पर अभी या कभी भी कोई राय नहीं जाहिर करनी चाहिये। गुणदोष की बात का निर्णय भी सभा ही कर सकती है। फिलहाल औचित्य प्रश्न पर ही मुझे निर्णय देना है और मेरा निर्णय यह है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की एक चौथाई अगर इसके पक्ष में हो तो इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

***श्री आर.के. सिधवाः** मेरा कहना तो यह था कि अनुच्छेद 296 और 299 सभा में कभी पास ही नहीं किये गये हैं।

***अध्यक्षः** वह पूर्व स्वीकृत निर्णयों की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 296 और 299 की नहीं। अल्पसंख्यक सम्बन्धी मंत्रणा-समिति के प्रतिवेदन पर सभा पहले एक बार निर्णय कर चुकी है।

***सरदार भूपेन्दर सिंह मानः** मैं आपसे निर्णय इस प्रश्न पर मांगता था श्रीमान कि आया प्रस्तुत प्रस्ताव के द्वारा अपना पहले का निर्णय उलटता है या नहीं?

***अध्यक्षः** यदि सभा पुराने निर्णय को उलटना चाहे तो वह इसके द्वारा उलट जायेगा वरना यह बना रहेगा। किन्तु अभी विचाराधीन प्रश्न मेरे सामने केवल यह है कि पुराने निर्णय को बदलने के सवाल पर यहां विचार किया जा सकता है या नहीं?

***माननीय श्री के. सन्तानम्** (मद्रासः जनरल): किसी विधेयक के खंड में और एक प्रस्ताव में अन्तर होता है।

***अध्यक्षः** इस बात पर आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं सभा से यह जानना चाहता हूं कि उसकी इस प्रश्न पर क्या राय है। प्रश्न यह है:–

"क्या सभा इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने पर तैयार है।"

***माननीय सदस्यगणः** हां, तैयार हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** सो अब इस सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा सकता है, इस पर कोई रुकावट नहीं रह जाती है। अब हम उपस्थित संशोधन के गुणदोष पर विचार कर सकते हैं डॉ. अम्बेडकर इसे पेश कर चुके हैं और इस पर कई संशोधन आये हैं। अब आये हुए संशोधनों को एक एक करके लिया जायेगा। अब संशोधन नं. 16 को पेश करेंगे सरदार हुकुम सिंह।

***सरदार हुकम सिंह** (पूर्वी पंजाबः सिख): अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं:

"कि संशोधन सूची के (दूसरा भाग) संशोधन नं. 3163 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 296 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये–

'296. Subject to the provisions of the next succeeding article the claims of all minority communities shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State for the time being specified in Parts I & III of the First Schedule.

Explanation.—Among others Muslims, Christians, Sikhs, Anglo-Indians and Parsees shall be recognised as minority communities.' "

[296. अगले अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ के या प्रथम अनुसूची के भाग 1 और 3 में अभी उल्लिखित राज्यों की सेवाओं या पदों के लिये नियुक्तियां करने में, प्रशासन-कार्यपटुता को बनाये रखने की संगति के अनुसार सभी अल्पसंख्यक समुदायों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।]

व्याख्या–अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ मुसलमान, ईसाई, सिख, ऐंग्लो-इंडियन और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय माना जायेगा।]

इस बारे में एक वैकल्पिक संशोधन की भी सूचना मैंने दे रखी है पर इस संशोधन को मैं पेश नहीं करूंगा।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस बारे में सभा के सामने शुरू में जो मूल अनुच्छेद रखा गया था वह इस प्रस्तावित अनुच्छेद से कहीं भिन्न था और सर्वथा भिन्न था। वह इस प्रकार था–

"296. Subject to the provisions of the next succeeding article the claims of all minority communities shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of effciency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State for the time being specified in Part I of the First Schedule."

[296. अगले आगामी अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संघ के अथवा प्रथम अनुसूची के भाग 1 में उस समय उल्लिखित रहे राज्य कार्यों से सम्बन्ध सेवाओं या पदों के लिये नियुक्तियां करने में, प्रशासन कार्य-पटुता को बनाये रखने की संगति के अनुसार सब अल्पसंख्यक समुदायों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।]

संशोधन रखने में मेरा क्या उद्देश्य है यह बिल्कुल स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में सभा ने पहले जो निर्णय कर लिया है मैं उसी निर्णय को कायम रखना चाहता हूं। मसौदा समिति ने यह परिवर्तन करना क्यों ठीक समझा है, इसे मैं समझ नहीं पाता हूं। जहां तक कि मूल अनुच्छेद 296 का सम्बन्ध है, वह अल्पसंख्यकों के लिये परिमाण का काम करता था। उसके द्वारा केवल यह होता था कि बहुसंख्यक समुदाय अपने सदभिप्राय की, अपनी नेकनीयती की पवित्र घोषणा करता था और अल्पसंख्यकों को इससे एक मानसिक संतोष प्राप्त हो जाता था। इसके सिवाय उसका और कोई मूल्य नहीं था। उसके द्वारा कोई ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त होता था जिसको न्यायालय द्वारा कोई कार्यान्वित कर सकता हो। वह केवल आश्वासन के लिये था।

[सरदार हुकम सिंह]

किन्तु अब यह आश्वासन भी छीन लिया जा रहा है। मैं आपको यह भी साफ बता दूं कि जहां तक मेरा निजी सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि हमारे असाम्प्रदायिक राज्य के लिये यह अनुच्छेद किसी भी तरह कलंक स्वरूप था या यह कि अपनी राष्ट्रीयता के लिये यह दूषण था। अल्पसंख्यकों को हमेशा यही सलाह दी गई है कि वह बहुसंख्यक समाज पर पूर्णतः विश्वास करें। मूल अनुच्छेद 296, मेरी राय में, केवल इस बात का द्योतक था कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय पर पूरा विश्वास है। अगर इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त आश्वासनों का उल्लंघन कभी किया जाता है तो अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य इस अनुच्छेद के बल पर केवल इतना ही कर सकते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कर सकते हैं और वह कुछ नहीं कर सकते हैं। किन्तु अब यह सहारा उठा लिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में और कुछ कहने के पहले माननीय सदस्यों से दो बातों की अपील करूंगा। वस्तुतः यह बड़े दुर्भाग्य की ही बात है कि अभी तो शासन अधिकारारूढ़ है उस पर पूरा पूरा भरोसा करने में सिख सम्प्रदाय अपने को असमर्थ पा रहा है। इनकी इस असमर्थता का कारण है। उनका यह ख्याल है कि अतीत में जो भी आश्वासन या वचन उनको दिये गये हैं उन पर कभी अमल नहीं किया गया है बल्कि उनको भंग ही किया है। दलील के लिये आप यह भी मान लीजिये कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह गलत है, मेरा कहना सही नहीं है और अपने वर्तमान नेता ऐसे हैं कि उन पर इस बात का पूरा भरोसा किया जा सकता है कि वह हर एक के साथ न्याय करेंगे। मैं पूछता यह हूं कि इस बात की क्या गारण्टी है कि हमारे वर्तमान नेता ही हमेशा अधिकार में बने रहेंगे। क्या आपको यह आभास नहीं मिलने लगा कि बहुत सम्भव है कि भिन्न आदर्शों और उद्देश्य के लोग शीघ्र ही अधिकारारूढ़ हो जायें? सभा को इस प्रश्न पर तटस्थ दृष्टि से विचार करना चाहिये और यह न समझना चाहिये कि अल्पसंख्यक यह आशंकायें इसलिये व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें वर्तमान अधिकारारूढ़ दल पर या वर्तमान नेताओं पर कोई आक्रोश है और वह उनकी निन्दा करना चाहते हैं।

दूसरी बात मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपने को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रख कर उनके द्वारा समय-समय पर व्यक्त की गई आशंकाओं को जरा समझने की कोशिश कीजिये।

हो सकता है कि इस विषम और अप्रिय बात कहने के कारण मुझ पर साम्प्रदायिक होने का दोषारोप किया जाये। किन्तु मेरा यह मत है कि निहित-स्वार्थ वर्ग केवल तर्क के लिये ही राष्ट्रीयता की दुहाई देता है। बहुसंख्यक समाज की उग्रता को तो राष्ट्रीयता माना जाता है पर जब अल्पसंख्यक लोग अपनी असहायावस्था को व्यक्त करते हैं तो उसे साम्प्रदायिक कह कर उसकी निन्दा की जाती है। बहुसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीयता का उपदेश देना तो बहुत आसान है पर राष्ट्रीयता पर अमल करना उनके लिये बड़ा मुश्किल है। मूल अनुच्छेद 296 और 299 को स्वीकार किया गया था इसलिये कि अल्पसंख्यक-मंत्रणा-समिति ने इसके लिये 8 अगस्त सन् 1947 को सिफारिशें की थीं जिन्हें कि संविधान सभा ने उसी साल 27-28 अगस्त को स्वीकार किया था। इन अनुच्छेदों में इन

संरक्षणों के लिये चार निश्चित उपबन्ध रखे गये थे। पहला उपबंध इस बात के लिये रखा गया था कि संरक्षित स्थानों की व्यवस्था के साथ संयुक्त निर्वाचन किया जायेगा। यह उपबन्ध अनुच्छेद 292 में रखा गया था। मंत्रिमण्डल में इनके लिए संरक्षित जगहों की व्यवस्था तो नहीं रखी गई थी किन्तु अनुसूची 4 के द्वारा राज्यपालों को यह निदेश देने की व्यवस्था की गई थी कि मंत्रिमण्डल में जहां तक शक्य हो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी लिये जायें। अनुच्छेद 296 के द्वारा यह उपबन्ध किया गया था कि सरकारी नौकरियों के लिये नियुक्तियां करने में अल्पसंख्यकों के दावों को ध्यान में रखा जाये। फिर अल्पसंख्यकों के लिये एक आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी और इसके लिये उपबन्ध रखा गया था अनुच्छेद 299 में।

जहां तक कि सिखों का सम्बन्ध है श्रीमान, मैं उनका खास तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि मैं यह समझता हूं कि इस सम्बन्ध में वह बड़े ही भाग्यहीन रहे हैं। सन् 1947 में जब अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के प्रश्न पर निश्चय किया गया था उस समय सिखों को संरक्षण देने की बात यह कह कर टाल दी गई थी कि देश विभाजन के फलस्वरूप क्या स्थिति रहेगी इसका स्पष्ट चित्र अभी हमारे सामने नहीं आ पाया है। मैं यहां यह कह दूं कि विभाजन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय इसके पहले ही दिया जा चुका था। सिख लोग पश्चिमी पंजाब को छोड़कर अन्यत्र जाना आरम्भ कर चुके थे और किस स्थिति में उन्हें अपना घर द्वार छोड़ना पड़ा था इसे सभी जानते हैं। उन्होंने विभाजन की सारी मुसीबतें स्वेच्छा से अपनाई थीं और भारत में रहना पसन्द किया था। अपना घर द्वार और अपना सब कुछ वहां छोड़ कर वह पैदल हिन्दुस्तान पहुंच रहे थे। वह खुद अपने को ही लेकर यहां नहीं पहुंचे बल्कि सात जिलों को बचा कर वह अपने साथ लाये और भारतीय राज्य की सीमा वृद्धि की। इन सारी घटनाओं को देखते हुए तो यह समझ में नहीं आ सकता कि सिखों को संरक्षण देने की बात आखिर 28 अगस्त को अनिश्चित क्यों छोड़ दी गई थी। अगर इनके लिये विशेष रूप से कुछ नहीं करना था तो फिर इस प्रश्न को स्थगित रखने का प्रयोजन ही क्या था? अगर सिखों को संख्या के हिसाब से ही प्रतिनिधान देना था जैसा कि अन्य अल्पसंख्यकों के लिये किया गया है तो फिर इस प्रश्न को अगस्त में अनिश्चित क्यों छोड़ा गया था? इस लिये तो छोड़ा नहीं गया था कि इसके लिये यह जान लेना आवश्यक था कि कितने सिख यहां आ गये हैं क्योंकि इस जानकारी से इस प्रश्न का सरोकार ही क्या हो सकता था। तब सोचा यह गया कि इस मौके पर अगर यह बात कही जाती है तो उससे इस अभागे समुदाय हो बड़ा सदमा पहुंचेगा जिसे वह बरदाश्त न कर सकेगा। इसलिये इस प्रश्न को उस समय अनिश्चित छोड़ दिया गया और सिखों ने यह समझा कि चूंकि उन्हें बड़ी यातनायें झेलनी पड़ी हैं इसलिये उनका विशेष रूप से ख्याल किया जायेगा।

इसके बाद इस प्रश्न पर राय देने का दूसरा मौका आया अल्पसंख्यक-उपसमिति के सामने उस समय जब उसने अपना 23 नवम्बर सन् 1948 का प्रतिवेदन तैयार किया। सिखों को यह बताने के लिये कि उनके लिए खास तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता है इस मौके को ठीक समझा गया और शायद इसलिये कि इस बीच में एक साल से अधिक बीत चुका था। उन पर विपत्ति आये एक साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका था। इस मौके पर भी सिखों को सन्तोष देने के

[सरदार हुकम सिंह]

लिये इतना अवश्य कर दिया गया था कि संरक्षण तो उनको नहीं दिये गये पर उनक लिए कोरी सदिच्छायें व्यक्त कर दी गई थीं। उपसमिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा था:–

> "यह कहना हमारे लिये अनावश्यक है कि इस समस्या पर विचार करते समय हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब के विभाजन के पूर्व और पश्चात् दोनों ही समय, सिख समाज को कितनी मर्मान्तक यातनायें भुगतनी पड़ी हैं। पश्चिमी पंजाब में जो भयानक काण्ड हुआ है उसके फलस्वरूप उन्हें अपने कितने ही प्रियजनों के जीवन से तथा एक बड़ी भौतिक सम्पत्ति से हाथ धो बैठना पड़ा है। यह ठीक है कि इस सम्बन्ध में हिन्दुओं को भी इन्हीं की तरह समान आपत्तियों का सामना करना पड़ा है किन्तु सिखों पर एक बड़ा विशेष आघात इस बात का पड़ा है कि उन्हें कितने ही ऐसे स्थानों से हाथ धोना पड़ा है जो धार्मिक दृष्टि से उनके लिये विशेष रूप से पवित्र थे। हम इस बात को खूब समझते हैं कि इस विपत्ति से उन्हें कितनी शारीरिक यातनायें भुगतनी पड़ी हैं और उनकी भावना को कितना प्रबल आघात पहुंचा है पर हमारे दिमाग में यह बात अच्छी तरह आ गई है कि जो प्रश्न विचारार्थ हमें सौंपा गया है उसका निर्णय हमें एक भिन्न दृष्टिकोण से ही करना होगा।"

इसके बाद तीसरी मंजिल आई जब उपसमिति का प्रतिवेदन अल्पसंख्यक समिति के सामने पेश किया गया और उसने इस आशय का प्रस्ताव पास किया कि अनुसूचित जातियों को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों के लिए विधान मण्डलों में स्थान रक्षण की जो पद्धति है वह अब उठा दी जाती है।

अन्य अल्पसंख्यक समदुायों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उनको संरक्षण प्राप्त था पर सिखों के सवाल के उठते ही उन्हें भी इस संरक्षण से वंचित हो जाना पड़ा। समिति ने सिफारिश की कि अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित करने की जो व्यवस्था विधि द्वारा लिपिबद्ध की गई उसे अब उठा देना चाहिये, मैं इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं इसलिये कि अल्प-संख्यक उपसमिति तथा अल्पसंख्यक-समिति दोनों की ही यह सिफारिश थी कि स्थान रक्षण की व्यवस्था उठा दी जानी चाहिये। इनकी इस सिफारिश को संविधान सभा ने 26 मई सन् 1949 को स्वीकार कर लिया।

अनुच्छेद 292 के अधीन विधान मण्डलों के लिय स्थान रक्षण की जो व्यवस्था थी वह अब समाप्त कर दी गई है। इस अनुच्छेद में इस सम्बन्ध में अब संशोधन कर दिया गया है।

चौथी अनुसूची में इसके लिये एक निदेश-विलेख (Instrument of Instruction) रखा गया था वह भी 11 अक्तूबर के निर्णयानुसार हटा दिया गया है। संरक्षण के लिये बचे खुचे जो दो खण्ड अनुच्छेद 296 और 299 में रह गये हैं जिन पर कि पुनर्विचार करने का अभी अभी हमने फैसला किया है वह संविधान-सभा के निश्चय को प्रतिबिम्बित करते हैं। अत: जहां तक कि मैं समझ पाता हूं इस बात का कोई कारण नहीं है कि इनमें हम ऐसा परिवर्तन करें जैसा कि करने जा रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि अल्पसंख्यक समिति ने इन दो अनुच्छेदों में किसी भी परिवर्तन की सिफारिश कभी नहीं की है। तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि खुद अल्पसंख्यकों ने कभी भी इन परित्राणों को हटाने की बात को नहीं मंजूर किया है। अब तक हमेशा यही कहा गया है कि इन परित्राणों को तभी हटाया जायेगा जब कि अल्पसंख्यक समुदायों को ही इस बात का विश्वास हो जाये कि उनका हित इनको हटाने में ही है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि जहां तक कि इन दो अनुच्छेदों का—नं. 296 और 299 का—सम्बन्ध है, अल्पसंख्यक समुदायों ने कभी भी इनमें रखे गये परित्राणों को हटाने पर रजामन्दी नहीं जाहिर की है। अल्पसंख्यक-समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि वह इस बात को अच्छी तरह जानती है कि सभा जो फैसला एक बार कर लेती है उसे जब तब हमें असानी से नहीं बदल देना चाहिये। फिर मैं पूछता हूं कि इस तरह हमेशा, आसानी से और बिना समझे बूझे आप पूर्व निर्णयों में क्यों परिवर्तन करते जा रहे हैं? मेरी प्रार्थना यही है कि डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन रखा है उसे सभा अवश्य अस्वीकार कर दे और संशोधन को स्वीकार कर मूल परित्राणों को पूर्ववत् बना रहने दें।

गत तीन चार दिनों के अन्दर एक बड़ी गम्भीर बात चारों तरफ फैल गई है जिसका सम्बन्ध केवल सिखों से ही है। सबको यह बताया गया है कि अल्पसंख्यक समिति में जो सिख प्रतिनिधि थे उन्होंने लिखित रूप में यह स्वीकार किया है कि संविधान में और कोई संरक्षण रखने की वह मांग नहीं करेंगे यदि—यह एक बहुत बड़ा यदि है—उनके पिछड़े हुए वर्गों को—यानी मजहबी, रामदासी, कबीर पन्थी और सिकलीगर समुदायों को—अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया जाये यह बात सच हो सकती है। गत मई में, जैसा कि मैं कह चुका हूं स्थिति यह थी कि इन दो अनुच्छेदों को अर्थात् नं. 296 और 299 को सभा स्वीकार कर चुकी थी। संरक्षण का उपबन्ध तब तक था पर उस दिन इनको हटाना तय हो चुका था। चौथी अनुसूची का निदेश-विलेख भी हटा दिया गया है। अल्पसंख्यक उपसमिति की कार्यवाही को पढ़कर जहां तक मैं देख पाता हूं मुझे तो कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि अनुच्छेद 296 और 299 का जिक्र हुआ हो या अल्पसंख्यकों से यह कहा गया हो कि वह इनको हटाने पर राजी हो जायें। अल्पसंख्यक समिति ने केवल विधान-मण्डलों में स्थान रक्षण की व्यवस्था को हटाने की बात स्वीकार की थी। यहां मैं यह बता देना चाहता हूं कि इन दो अनुच्छेदों में स्थान-रक्षण का कोई उपबन्ध नहीं है। अल्पसंख्यक समिति ने और किसी बात पर विचार ही नहीं किया। अनुच्छेद 296 और 299 में जो संरक्षण मूलक उपबन्ध थे उन पर तो समिति ने कभी विचार ही नहीं किया। उनको तो पास ही कर लिया गया था।

मैं आप से अपील करता हूं श्रीमान कि जरा सोचिये तो सही कि आखिर सिख प्रतिनिधियों को यह कैसे मालूम होता कि आखिर मौके पर इनमें परिवर्तन कर दिया जायेगा। अगर मैं सभा के पूर्व निर्णयों को रखने का आग्रह कर सकता हूं तो इसमें क्या हर्ज है? मैं यह तो नहीं कह रहा हूं कि सिखों को और परित्राण दिये जायें। मैं तो इन दिये गये परित्राणों को जो अब छीना जा रहा है उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहा हूं। अपनी बात से या समझौते से आज अगर कोई हट रहा है तो मसौदा समिति या शासनारूढ़ दल हट रहा है न कि सिख समाज।

[सरदार हुकम सिंह]

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं आपके सामने एक और बात रखता जो इस प्रसंग में विचारणीय है। तर्क के लिए थोड़ी देर के लिये आप यह भी मान लीजिये कि सिख प्रतिनिधियों ने परित्राणों को उठा देना मंजूर किया था तो इससे क्या यह समझा जाये कि उन्होंने ऐसा इसलिये किया था कि वह अपने पिछड़े हुए वर्गों को अनुसूचित जातियों में शामिल कराने के लिये बहुत ही आतुर थे? अगर यही बात है उनकी आतुरता से लाभ उठा कर क्या उन्हें इस बात पर राजी करना चाहिये कि वह सारे परित्राणों को छोड़ दें? मैं इसे नहीं मान सकता। पर मान लीजिये कि यह सच है पर मैं यह भी जानता हूं अनुसूचित जातियों ने पिछड़े हुए सिखों को अपने साथ शामिल करने का प्रबल विरोध किया था और इन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल करने में सरदार पटेल को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी थी। सिख लोग इसके लिये सरदार पटेल के कृतज्ञ हैं। जैसा कि कहा जाता है, अपनी अन्य सारी मांगों का परित्याग करके सिख लोग अपने पिछड़े हुये वर्गों के लिये कहीं यह रियायत पा सके थे। पर इससे हुआ क्या? इस रियायत पर पहिली कैद यह लगा दी गई थी कि केवल पूर्वी पंजाब के पिछड़े सिखों को ही यह छूट मिलेगी। पटियाला यूनियन के पिछड़े हुए सिखों को यह रियायत नहीं दी गई। यह कैसी विचित्र बात है। मैं पूछता हूं कि धर्म के आधार पर यह भेदभाव बरतना भला कहां तक औचित्य संगत कहा जा सकता है? धर्म के आधार पर जो वर्ग अल्पसंख्यक हैं उनको आप संरक्षण नहीं देते हैं पर अनुसूचित जातियों को सरक्षण देते हैं इसलिये कि वह पिछड़ी हुई हैं। फिर क्या कारण है कि सिख समाज के पिछड़े हुए वर्गों को जो अन्य पिछड़े हुए लोगों की तरह ही समान अयोग्यता के शिकार हो रहे हैं, यह संरक्षण न दिया जाये? क्या केवल इसलिये कि वह सिख सम्प्रदाय के लोग हैं? क्या यही आपका असाम्प्रदायिक राज्य है? जिस मांग को पाने के लिये सिख लोग इतना आतुर थे, जिसे एक बड़ी कीमत चुका कर वह पा सके हैं और जिसे बड़े इतस्ततः के बाद अनिच्छा से दिया गया है वह भी आज अनिश्चित अवस्था में पड़ गई है। अनुसूची 10 को अब हटा दिया गया है जिसमें अनुसूचित जातियों को लिपिबद्ध करके दिखाना था। अनुच्छेद 301 के अधीन जब राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जा रहा है कि राज्यपाल या शासक से परामर्श करके वही इस बात का ऐलान करेगा कि कौन-कौन जातियां अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी। यह सभी समझ सकते हैं कि सिखों को अब फिर इस बात की जबदस्त कोशिश करनी पड़ेगी कि वह राज्यपाल को इस पर राजी करें कि राष्ट्रपति को वह यह परामर्श दे कि पिछड़े हुए सिखों को वह अनुसूचित जातियों में शामिल कर ले। मुझे चिन्ता इसी बात की है कि सिखों के पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। उनको कोई और परित्राण नहीं प्राप्त रह गये हैं। फिर किस आधार पर वह अब राज्यपाल से यह अनुरोध करेंगे कि वह राष्ट्रपति को यह परामर्श दें कि सिखों को वह संरक्षण दे। इसलिये मेरा कहना यह है कि सिखों ने अगर कोई बचन दिया भी था तो उसे यहां दलील के रूप में न पेश करना चाहिये क्योंकि उसके बदले में उन्हें जो भी मिला था वह सब अब उनसे ले दिया गया है।

जब सिख लोग कांग्रेस को उसकी उन वचनों की याद दिलाते हैं जो उसने 1929 में, 1946 और 1947 में दे रखे थे तो उनसे यह कहा जाता है कि स्थिति

अब बिल्कुल बदल गई है। कैबिनेट मिशन की योजना में, जिसके फलस्वरूप इस संविधान सभा का जन्म हुआ है, सिखों को यहां के प्रमुख तीन समुदायों में एक माना गया था। परिस्थिति में एकमात्र परिवर्तन तो केवल यह हुआ है कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि चूंकि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया इसलिये सिख अब अल्पसंख्यक नहीं रह गये? भला आपका यह कहना कहां तक तर्कसंगत माना जा सकता है? अगर मैं यहां यह नहीं बता देता कि सिखों की भावनायें आज क्या हैं तो मैं अपने कर्तव्य पालन में चूक करता हूं। पाकिस्तान ने, वहां के अल्पसंख्यकों को मिटाने के लिये बर्बर, क्रूर और प्रत्यक्ष हिंसा का सहारा लिया किन्तु इसी समस्या को निपटाने के लिये हमने बड़ी चालाकी से और परोक्ष रूप से एक शांतिमय उपाय को अपना रखा है। अपनी परम्परा के अनुसार अहिंसात्मक हम अवश्य बने हुए हैं। सभा से मैं आग्रह करूंगा कि वह जरा मन्द गति से चले। बहुसंख्यक समुदाय से मैं यह अपील करूंगा कि, ठोस कार्रवाई के द्वारा, न कि केवल नारा लगाकर, वह अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करें। अनुच्छेद 296 में ऐसा परिवर्तन करने से अल्पसंख्यकों के मन में जिन पर कि उस परिवर्तन का असर पड़ेगा एक बड़ी व्याकुलता पैदा हो गई है। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह समूचे मसौदे को उसी रूप में रहने दे जिसमें कि यह मेरे संशोधन में दिखाया गया है।

लोगों को यह भी बताया गया है कि हमारे नेता यह समझते हैं कि मूल अनुच्छेद 296 को रखने से तो संविधान ही सर्वथा कुरूप हो जायेगा। मैं इसे नहीं समझ पाता हूं। ऐंग्लो-इंडियन और अनुसूचित जातियों के उल्लेख से अपना संविधान अगर कुरूप नहीं हो पाता है फिर फिर सिखों के उल्लेख से ही इसमें क्या कुरूपता आ जायेगी? किन्तु अगर मेरी इस अपील के बावजूद भी सभा पुराने मसौदे को रखने का सुझाव देने वाले संशोधनों में से किसी को भी स्वीकार करना नहीं चाहती है तो मैं अन्तिम प्रार्थना इससे इस बात की करूंगा कि वह मेरे संशोधन नं. 256 को स्वीकार करे। यह संशोधन यों है:—

"सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 23 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 296 के साथ यह खण्ड जोड़ दिया जाये—

'(2) Nothing in this article or in article 10 of the Constitution shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any minority community which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State.' "

[(2) संविधान के इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 10 की कोई बात राज्य को, ऐसे किसी अल्पसंख्यक समुदाय को जिसको राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधान नहीं प्राप्त है नियुक्तियों या पदों के लिये उपबन्ध करने से नहीं रोकेगी।]

राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी जानकारी केन्द्र को होगी। वह हर बात को विस्तारपूर्वक जानता होगा। मेरा कहना यह है कि कुछ न कुछ स्वतन्त्रता तो उस आदमी को रहनी ही चाहिये जो मौके पर रह कर काम देखता है। प्रशासन को शान्तिपूर्वक चलाने के लिये तथा विभिन्न समुदायों के बीच अच्छा सम्बन्ध बनाये

[सरदार हुकम सिंह]

रखने के लिये यदि राज्य अपनी सेवाओं के लिए नियुक्तियां देने के सम्बन्ध में कुछ हेर फेर करने का निर्णय करता है तो उस पर संविधान के अधीन कोई रुकावट न रहनी चाहिये। कुछ उच्च पदस्थ व्यक्तियों का ख्याल यह है कि फिलहाल ऐसी कोई रुकावट उन पर नहीं आती है पर मुझे डर इस बात का है कि अनुच्छेद 10 के द्वारा इस सम्बन्ध में हेरफेर करने पर रुकावट आ सकती है क्योंकि उसमें कहा यह गया है कि सब नागरिकों को राज्याधीन नियुक्ति के विषय में अवसर समता प्राप्त रहेगी। इस बारे में मुझे आशंका न होती यदि अनुच्छेद 10 के खण्ड (3) में यह न कहा गया होता कि:

> "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई अवरोध न होगा।"

मेरा संशोधन नं. 256 भी कुछ इसी आशय का है जिस आशय का कि अनुच्छेद 10(3) है। मैंने इस संशोधन को उस समय जब कि अनुच्छेद 10 पर विचार हो रहा है पेश इसलिये नहीं किया कि उस समय अनुच्छेद 296 मौजूद था और तब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। किन्तु अब चूंकि अनुच्छेद 296 में परिवर्तन किया जा रहा है इसलिये मैं यह अनुभव करता हूं कि राज्यों को यह स्वतन्त्रता तो मिलनी ही चाहिये और हमें यहां यह साफ साफ कह देना चाहिये कि यदि राज्य विभिन्न समुदायों को नियुक्तियां देने के बारे में कुछ हेर फेर करना चाहता है तो उसे इसकी स्वतन्त्रता होगी।

मैंने कुछ समाचार पत्रों में यह खबर पढ़ी है कि भारत सरकार के कानूनी सलाहकारों ने पूर्वी पंजाब की सरकार को यह सलाह दी है कि नौकरियों के बारे में वह किसी वर्ग विशेष के दावों पर विचार नहीं कर सकती है। इस समाचार को पढ़कर मेरी आशंका और बढ़ गई है और मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि जब तक राज्यों को इस बारे में स्वविवेकानुसार चलने की कुछ स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त रहती है वह चाहने पर भी इस बारे में कोई हेरफेर न कर पायेंगे। मैं पुन: सभा के सामने अपनी यह अपील रखता हूं। मैं यह नहीं मांग रहा हूं कि संविधान में सेवाओं के बारे में रक्षण का कोई उपबन्ध रखिये। संविधान को कुरूप करने वाली किसी बात की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल इस बात की मांग कर रहा हूं कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी सद्भावना का आभास तो हमें दें। यदि इतना भी नहीं किया जाता है तो जहां तक कि अल्प संख्यक समुदायों का सम्बन्ध है उनका रहा सहा विश्वास भी उठ जायेगा।

***अध्यक्ष:** सात आठ संशोधन इस अनुच्छेद पर इस बात के आये हैं कि इसकी जगह संशोधनों द्वारा सुझाये गये अनुच्छेद रखे जायें। पहले मैं उन संशोधनों को लूंगा जिनको इसके स्थान पर अन्य अनुच्छेद रखने का सुझाव दिया गया है। उसके बाद अन्य संशोधन लिये जायेंगे। इसकी जगह दूसरा अनुच्छेद रखने का सुझाव देने वाला संशोधन नं. 28 अब लिया जाता है जो डॉ. अम्बेडकर के नाम में है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं इसे पेश नहीं करना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** अब लिया जाता है संशोधन नं. 24।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** यह भी नहीं पेश किया जा रहा है।

***अध्यक्ष:** तो अब आता है संशोधन नं. 25 जो सरदार भूपेन्दर सिंह मान के नाम में है।

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** इसका सम्बन्ध है संशोधन नं. 23 से। चूंकि नं. 23 पेश नहीं किया गया है इसलिये मैं इसे नहीं पेश कर सकता हूं।

***अध्यक्ष:** इस संशोधन में और संशोधन नं. 23 में थोड़ा-सा ही अन्तर है अन्यथा दोनों में प्राय: एक ही बात कही गई है। अगर आप इसे पेश करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से अनुमति है।

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** मैं इसे पेश कर रहा हूं, श्रीमान।

(संशोधन नं. 26 और 27 पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्ष:** अब लिया जाता है संशोधन नं. 183 जो श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का है।

***श्री आर.के. सिधवा:** अन्य संशोधनों का क्या होगा?

***अध्यक्ष:** उनको मैं बाद में लूंगा।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार: जनरल): मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:-

"कि संशोधन सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 15 में (इसे बजाय नं. 23 कहने के, आपकी अनुमति से मैं इसे नं. 15 कहूंगा) प्रस्तावित अनुच्छेद 296 के स्थान पर यह रखा जाये:-

'296. (1) The maintenance of efficiency of administration shall be the only consideration in the making of appointment to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

(2) Parliament may by law prescribe the conditions under which the President may, if he deems necessary, appoint members of the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

(3) The provisions of clause (2) of this article shall apply in relation to such other backward classes as the President may on receipt of the report of a Commission

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

appointed under clause (1) of article 301 of this Constitution by order specify as they apply in relation to members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(4) Parliament shall have the power to repeal, extend or modify any or all of the provisions of this article from time to time.' "

[296. (1) संघ या राज्य के कार्यों संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्य पटुता को बनाये रखने का ही एक मात्र ख्याल रखा जायेगा।

(2) संसद विधि द्वारा उन शर्तों को विनिहित कर सकती है जिनके अधीन राष्ट्रपति यदि वह आवश्यक समझें संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं या पदों के लिये अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के सदस्यों को नियुक्त कर सकता है।

(3) इस अनुच्छेद के खण्ड (2) के उपबन्ध ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में जिनका राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 301 के खण्ड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लेख करे उसी तरह लागू होंगे जैसे कि वे अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) समय समय पर इस अनुच्छेद के किसी या सभी उपबन्धों के निरसन, विस्तार या रूप भेद की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त रहेगी।]

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** खण्ड (2) और (3) खण्ड (1) से असंगत हैं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** असंगत नहीं हैं। मैं समझाये देता हूं कि ये क्यों कर असंगत नहीं हैं। अगर ये असंगत हैं तो इसका निर्णय अध्यक्ष देंगे।

***अध्यक्ष:** उन्होंने एक औचित्य प्रश्न उठाया है जिस पर मुझे विचार करना होगा।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** पहले मुझे समझा तो लेने दीजिये। अगर उनका यह औचित्य प्रश्न है कि असंगत है तो मैं यह समझा देता हूं क्यों कर यह असंगत नहीं है। खण्ड (1) में यह कहा गया है कि नियुक्तियां देने में लोक सेवा आयोग ख्याल केवल इस बात का करेगा कि उस नियुक्ति से प्रशासन कार्यपटुता कहां तक बनी रहेगी और अभ्यर्थी की योग्यता कैसी है। लोक सेवा आयोग अल्पसंख्यक समुदायों के दावों को ध्यान में नहीं रखेगा। नियुक्तियां करते समय लोक सेवा आयोग अन्य और किसी भी बात से अपने को प्रभावित नहीं होने देगा। अनुसूचित आदिमजातियों या अनुसूचित जातियों के सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति में और केवल राष्ट्रपति में निहित मैं रख रहा हूं केवल राजनैतिक आवश्यकता

के ख्याल से। लोक सेवा आयोग को हमें राजनैतिक झंझटों से सर्वथा मुक्त रखना होगा। मैं नहीं समझ पाता कि खण्ड (2) और (3) खण्ड (1) से असंगत क्योंकर हैं। आपका निर्णय पा जाने के बाद ही मैं आगे अपनी बात कहूंगा।

***अध्यक्षः** जिस रूप में यह भाषाबद्ध किया गया है उससे यह असंगत हो जाता है। 'परन्तु' यह आरम्भ में रख कर आप इसे संगत बना सकते हैं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** अवश्य ही मैं मसौदा तैयार करने का काम नहीं करता हूं और न मैं श्री सन्तानम् जैसा योग्य वकील ही हूं।

***अध्यक्षः** आपके संशोधन को मैं अनियमित नहीं ठहराने जा रहा हूं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** जहां तक कि खण्ड (4) का सम्बन्ध है, इसका उद्देश्य यही है कि समूचा अनुच्छेद लचीला रहे ताकि शिक्षा का प्रसार होने पर और देशवासियों के जीवन स्तर में आर्थिक उन्नति होने पर, जब चाहे संसद उस उपबन्ध को हटा दे। जिस रूप में संशोधन नं. 15 को मसौदा समिति ने रखा है उसके मैं विरुद्ध हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि नियुक्तियां करते समय और अन्य अनावश्यक बातों का ख्याल किया जाये। मुझे डर इस बात का है कि अगर अन्य समुदायों के दावों का इसमें ख्याल किया जाता है तो फिर हमारे राज्य का समूचा ढांचा ही बिगड़कर खतरे में पड़ जायेगा।

यह बात मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक कोई नहीं है। इसलिये किसी अल्पसंख्यक वर्ग के दावे का ख्याल नहीं किया जायेगा। हां यह पिछड़े हुए लोग अवश्य हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्वथा पिछड़े हुए हैं, जिनको शताब्दियों से दबा कर पीड़ित रखा गया है। नौकरियों के सम्बन्ध में केवल ऐसे ही लोगों के दावों को ध्यान में रखा जायेगा। ऐसे लोगों की नियुक्ति का काम केवल राष्ट्रपति के हाथ में रहना चाहिये। इनको नियुक्त करने का दायित्व राष्ट्रपति पर होना चाहिये। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि अगर हम इस आशय का उपबन्ध रखते हैं कि नियुक्तियां देने में अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के दावों को ध्यान में रखा जायेगा तो इसका नतीजा यह होगा कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर इतना बड़ा भार पड़ जायेगा जिसको वहन करने की शायद उनमें क्षमता न होगी। आखिर अल्पसंख्यक समुदायों का दावा क्या है? अनुसूचित आदिम जातियों या अनुसूचित जातियों का दावा क्या है? कोई भी आदमी जो साधारण बुद्धि और सहज ज्ञान रखता है, वह क्या कभी भी उनके अमान्य दावों को मानने पर तैयार हो सकता है।

इनके दावे यह हैं। कोई कहता है कि हमको समता प्राप्त होनी चाहिये। कोई यह मांग करता है कि नौकरियों में हमें संख्या के आधार पर जगहें मिलनी चाहिये। यहां सभा भवन में एक तीसरी मांग यह की गई है कि चूंकि हमें शताब्दियों तक दबाया गया है और हम पर अत्याचार किये गये हैं इसलिये अब सवर्ण हिन्दुओं से इसके लिये प्रायश्चित करवाया जाये। इन लोगों के विरुद्ध किये गये अपराधों के लिये अगर इस तरह प्रायश्चित हम करते हैं तो फिर हमें सारी राज्य-व्यवस्था

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

ही इन लोगों को यानी अनुसूचित आदिम जातियों को और अनुसूचित जातियों को दे देनी होगी। लोक-सेवा-आयोग क्या इन दावों पर कोई ध्यान देने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि इन बातों के लिये किसी समुदाय को दोषी ठहराना गलत होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विरुद्ध जो भी अन्याय हुआ है उसके लिये किसी समुदाय को दोषी ठहराना गलत होगा। अगर इस दोष का कोई भागी है वह इतिहास है। समय को, और समय के प्रवाह को ही इसके लिये दोषी ठहराया जा सकता है।

***श्री एच.वी. कामतः** आखिर इतिहास बनाता कौन है?

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** मैं समझाये देता हूं। इतिहास का निर्माण करते हैं अत्याचार करने वाले और अत्याचार सहने वाले। जिसके साथ अत्याचार किया जाता है उसकी यह भूल है कि वह अत्याचार को स्वीकार करता है। मेरे इस कथन पर अगर आप यह दलील रखते हैं कि वह इस स्थिति में नहीं थे कि सुसंगठित होकर प्रतिरोध करते तो हम यह कहेंगे कि उनमें राजनैतिक चेतना का अभाव था, संगठन का अभाव था जिसके कारण उन पर अत्याचार किया जा सका। इन अत्याचारों के लिये अगर कोई जिम्मेदार था तो व्यवस्था और समाज जिम्मेदार थे। अनुसूचित आदिमजातियों और अनुसूचित जातियों पर किये गये अन्यायों के लिये अगर कोई दोषभागी है वह युग धारा है और कोई नहीं। ऐसे किसी भी अन्याय के दोष सवर्ण हिन्दू नहीं हैं। हमें भी अन्याय का शिकार होना पड़ा है। क्योंकि यहां के निवासियों ने सवर्ण हिन्दुओं का भी शोषण किया है, उन पर अन्याय किये हैं। शताब्दियों तक हमारा देश पराधीन रहा है। चिरकाल से यह देश विदेशियों के हस्तक्षेप के अधीन रहा है और विदेशियों के अत्याचार इस पर हुये हैं। सवर्ण हिन्दुओं को यहां समृद्ध होने का फूलने फलने का कभी मौका नहीं मिला है। सारा दोष सवर्ण हिन्दुओं के मत्थे लादना सरासर गलत है और अन्याय है। वह खुद स्थिति के शिकार रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं कि सवर्ण हिन्दुओं ने किसी पर भी अत्याचार किया है।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि प्रस्तुत अनुच्छेद को हमें रखना चाहिये था राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। इसके द्वारा तो केवल सदिच्छा की घोषणा मात्र की कई है। सतुरां इसे हमें राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों में ही स्थान चाहिये था।

मेरी समझ से एक और कारण भी है जिसके लिये मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है। वह यह है कि इन लोगों के नैतिक, आर्थिक तथा भौतिक स्तर को समुन्नत करने के लिये जो कुछ हो सकता था हमने दिया है। मूलाधिकारों से सम्बन्ध रखने वाले अध्याय को हमने पास किया है। उनके लिये अनुच्छेद 110 को हमने पास किया है। केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान मण्डलों में इनके लिये सुरक्षित जगहों का हमें उपबन्ध किया है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की है। असाम्प्रदायिक राज्य के लिये जो भी बाते अपेक्षित हो सकती हैं उनकी हमने व्यवस्था की है। और आप क्या चाहते हैं? क्या आप राज्य को ही छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं?

मेरे दिमाग में यह बात भी साफ हो गई है कि अगर इस समय साहस के साथ इस सिद्धान्त को यहां साफ-साफ नहीं रख देते हैं। कि अपने असाम्प्रदायिक राज्य की बुनियाद को, अन्य बातों का ख्याल करके कभी हम बिगड़ने न देंगे तो देश का भविष्य सर्वथा अन्धकारमय हो जायेगा। मेरा अपना यह मत है कि ये लोग जो विधान मण्डलों और नौकरियों में स्थान रक्षण के लिये इतना शोर गुल मचा रहे हैं वह हरिजन समाज के मुट्ठी भर विशिष्ट आदमियों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों में जो राजनैतिक शक्ति सम्पन्न दल है वह इन्हीं लोगों को मिला कर बना है। मैं नहीं समझता कि इनकी इन मांगों और दावों से अनुसूचित जातियों के विशाल जनसमूह का कोई वास्ता है और इन मांगों की पूर्ति से उनको कोई फायदा पहुंच सकता है। इन जातियों के बारे में जो समस्या आज हमारे सामने है उनका समाधान नौकरियां दिला कर नहीं किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान का उपाय तो यही है इन लोगों को हम अपने में मिला कर एक कर दें और सभी सम्प्रदायों को एक राष्ट्र के रूप में सुसम्बद्ध कर दें। ऐसा करने से देश में सुखसमृद्धि आ सकती है। मैं नहीं चाहता हूं कि मुसलिम लीग की राजनीति यहां के राजनीतिक रंगमंच पर पुनः अभिनीत की जाये। मेरे संशोधन का मूल उद्देश्य है अपने राज्य की नींव को पुख्ता करना। यहां सभा भवन में मैंने जो भी वक्तृतायें दी हैं उनमें हमेशा मैंने ऐसी बात पर जोर दिया है। राज्य के हितों को सुरक्षित रखने के लिए ही मैंने यह संशोधन पेश किया है।

(संशोधन नं. 280 ओर 309 पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्षः** यह है वह संशोधन जिनमें, डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद के स्थान पर अन्य अनुच्छेद रखने की बात कही गई है। पहले मैं इन्हीं संशोधनों को निपटा देना चाहता हूं। एक संशोधन जब स्वीकार कर लिया जायेगा तो बाकी छोड़ दिये जायेंगे। कुछ मिला कर दो ही संशोधन नं. 16 और 180—ऐसे आये हैं। सरदार हुकुम सिंह के संशोधन नं. 256 पर अलग मत लिया जायेगा।

***श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): खण्डों पर आम बहस होगी या नहीं?

***अध्यक्षः** इन पर आम बहस का मौका मैं दूंगा। अभी मैं इन संशोधनों को निपटा देना चाहता हूं ताकि संशोधनों के बारे में कोई गुंजलक न रह जाये। इस अनुच्छेद के स्थान पर अन्य अनुच्छेद रखने का सुझाव देने वाले कई संशोधन आये हैं। पहले मैं सरकार हुकुम सिंह के संशोधन नं. 16 को लेता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि संशोधन सूची (भाग 2) के संशोधन नं. 3163 के सम्बन्ध में, प्रस्तावित अनुच्छेद 296 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये।

[अध्यक्ष]

'296. Subject to the provisions of the next succeeding article the claims of all minority communities shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with affairs of the Union or of a State for the time being specified in Parts I & III of the First Schedule.

claims of minority communities to services and posts.

Explanation—Among others Muslims, Christians, Sikhs, Anglo-Indians and Parsees shall be recognised as minority communities.' "

[296. अगले आगामी अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संघ या प्रथम अनुसूची के भाग 1 और 3 में अभी उल्लिखित राज्यों की सेवाओं या पदों के लिये नियुक्तियां करने में, प्रशासन-कार्य पटुता को बनाये रखने की संगति के अनुसार, सभी अल्पसंख्यक समुदायों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।]

व्याख्या–अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ मुसलमान, ईसाई, सिख, ऐंग्लो-इंडियन और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय माना जायेगा।]

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब प्रश्न यह है–

"कि सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 23 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 296 के स्थान पर यह रखा जाये–

'296. (1) The maintenance of efficiency of administration shall be the only consideration in the making of appointment to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

(2) Parliament may by law prescribe the conditions under which the President may, if he deems necessary, appoint members of the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State.

(3) The provisions of clause (2) of this article shall apply in relation to such other backward classes as the President may on receipt of the report of a Commission

appointed under clause (1) of article 301 of this Constitution by order specify as they apply in relation to members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(4) Parliament shall have the power to repeal, extend or modify any or all of the provisions of this article from time to time.' "

[296. (1) संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन-कार्य-पटुता को बनाये रखने का ही एक मात्र ख्याल रखा जायेगा।

(2) संसद् विधि द्वारा उन शर्तों को विनिहित कर सकती है जिनके अधीन राष्ट्रपति, यदि वह आवश्यक समझें, संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं या पदों के लिये अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के सदस्यों को नियुक्त कर सकता है।

(3) इस अनुच्छेद के खण्ड (2) के उपबन्ध ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में जिनका राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 301 के खण्ड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लेख करे उसी तरह लागू होंगे जैसे कि वे अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) समय-समय पर इस अनुच्छेद के किसी या सभी उपबन्धों के निरसन, विस्तार या रूप भेद की शक्ति राष्ट्रपति को, प्राप्त रहेगी।]

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब रह गया केवल एक संशोधन नं. 15 का। इस पर आये संशोधनों को अब मैं लेता हूं।

***श्री गुप्तनाथ सिंह** (बिहार: जनरल): मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं श्रीमान:-

"कि ऊपर के संशोधन नं. 15 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 296 में, "The claims of the members of the Scheduled Castes & the Scheduled Tribes" (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के दावों पर) शब्दों के स्थान पर "The claims of the members of the Scheduled Castes,

[श्री गुप्तनाथ सिंह]

Scheduled Tribes and such other castes who are educationally and socially backward" (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य जातियों के सदस्यों के दावों का जो शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं) शब्द रखे जायें।"

इस संशोधन पर अपनी बात कहने से पहले आरम्भ में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सम्प्रदायवाद, जातिवाद या अन्य किसी वाद के कुत्सित उपाय को अपनाने के मैं सर्वथा विरुद्ध हूं।

***श्री आर.के. सिधवा:** फिर भी आप पिछड़े हुए वर्गों के लिये यह संशोधन पेश कर रहे हैं?

***श्री गुप्तनाथ सिंह:** हां जनाब सिधवा साहब। पर धीरज के साथ मेरी बात तो सुनिये। यह साम्प्रदायिकता हमारे देश के लिये अभिशाप सिद्ध हो चुकी है। इस तरह की चीजों का कुफल हम भोग चुके हैं। फिर भी इन चीजों को हम जारी रखने जा रहे हैं। मानव और मानव के बीच जो भेदभाव और अन्तर बरता जाता है वह एक भयंकर विषवृक्ष है जिसे स्वतन्त्र भारत में कभी पनपने का हमें मौका ही न देना चाहिये। किन्तु अपने समाज का वर्तमान ढांचा ही कुछ ऐसा है कि बाध्य होकर हमें और हमारे नेताओं को रक्षण और संरक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि इस व्यवस्था को हमने खुशी से नहीं रखा है। हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था हमेशा के लिये ही उठा दी जाये। किन्तु भारतीय समाज के कतिपय वर्ग ऐसे हैं—हरिजन बंधु और आदिवासी मित्र—जो शताब्दियों से यहां उत्पीड़न सहते आ रहे हैं और चिरकाल से उन पर अत्याचार होता आ रहा है जिससे डर कर वह इन रक्षणों की मांग कर रहे हैं। उनकी यह मांग ठीक है। उनको रक्षण मिलना चाहिये और इतना पर्याप्त रक्षण मिलना चाहिये कि जिससे वह समाज के अन्य वर्गों के समक्ष आ सकें। ऐसा होने पर ही, मानव और मानव के बीच बरते जाने वाले इस भयंकर भेदभाव का अन्त होगा अन्यथा नहीं।

पर इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि देश में और भी बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी अवस्था आज अपने हरिजन और आदिवासी बन्धुओं से किसी तरह भी अच्छी नहीं है। देश के कुछ भागों में तो अवस्था इतनी खराब है कि इन लोगों की हालत हरिजनों और आदिवासियों से भी गई बीती है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण लोग जो अपने को मानव समाज के उच्चतम स्तर पर अवस्थित मानते हैं, उनमें भी बहुत से ऐसे हैं जो अछूत हैं। आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि ब्राह्मणों में भी अछूत वर्ग वर्तमान है और इसे अब्राह्मणों से भी छोटा समझा जाता है। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या होता है? यह सब व्यर्थ की बातें हैं। किसी को हम छोटा समझते हैं और किसी को बड़ा। मानव समाज में इस तरह का भेदभाव अन्तर कभी न रहने देना चाहिये। किन्तु हमारा समाज इस भेदभाव को बनाये हुए है। हमारे समाज के लिये यह एक दुर्भाग्य की ही बात है। यही कारण है जो हमारे ये मित्र रक्षण, संरक्षण, आरक्षण आदि की मांग कर रहे हैं।

मैं जानता हूं और इसे आप भी जानते हैं श्रीमान कि रक्षण और नियंत्रण के कारण ही भ्रष्टाचार फैलता है। मैं आपके सामने इसके दो उदाहरण रखता हूं। केन्द्रीय शासन ने इस बात का ऐलान किया था कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को अध्ययन के लिये वह छात्रवृत्तियां देगी। पिछड़े हुए वर्गों में 'किसान' भी माना जाता है। 'किसान' शब्द का आम अर्थ कृषक और कोई भी आदमी कृषक हो सकता है चाहे वह ब्राह्मण हो या कायस्थ हो या और कोई भी हो। किन्तु संयुक्त प्रान्त में 'किसान' शब्द एक सीमित अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। कृषक वर्ग के उस व्यक्ति को जो पिछड़ा हुआ है वहां किसान कहा जाता है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि श्रीमान कि इस छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र देने वाले छात्रों में कुछ ऐसे भी थे जो समुन्नत वर्ग के थे, पर आवेदन उन्होंने इस आधार पर दिया था कि उनके पूर्वज किसान थे और वह भी खेतीबारी का ही काम करते हैं इसलिये उन्हें यह छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये।

इसी तरह एक बार ऐसा हुआ था कि हरिजन कोष से मिलने वाली छात्रवृत्तियों के लिये कुछ ब्राह्मणों ने आवेदन पत्र दिये थे यह दावा करते हुये कि वह भी हरिजन हैं। इस तरह हम देखते यह हैं कि रक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था से भ्रष्टाचार ही फैलता है सुतरां इस व्यवस्था को हमें कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिये। किन्तु चूंकि हमारा समाज हठधर्मी हो गया है इसलिये इसका कुपरिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। हमारे समाज का वर्तमान ढांचा ही कुछ ऐसा है कि उसमें इन खराबियों का पैदा होना अनिवार्य है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के कारण ही दलित वर्गों के मन में अविश्वास और आशंका की भावना पैदा हो रही है। उनको डर इस बात का है कि संरक्षण का उपबंध न रहने से प्रशासकीय सेवाओं में उनको समुचित जगहें न मिल जायेंगी और इसीलिये रक्षण की वह मांग कर रहे हैं। मूल अधिकारों को तथा राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों को संविधान में रख देने से इनके अधिकार सर्वथा सुरक्षित हो जाते हैं पर फिर भी ये रक्षण की मांग पर आग्रह शील बने हुए हैं।

मैं आपकी निगाह में यह बात लाना चाहता हूं कि "शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए" शब्द संविधान में कैसे आये हैं। अनुच्छेद 10 का खण्ड (3) यह कहता है–

> "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में अवरोध न होगा।"

सो, हमने उनको सभी अधिकार दे रखे हैं पर फिर भी इनके मन में अविश्वास बना हुआ है।

इस सम्बन्ध में सभा के सामने मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। बिहार के पड़ौसवर्ती एक प्रान्त में एक बहुत ही मेधावी छात्र ने जिसे मैं निजी तौर पर जानता हूं, एक पद के लिये आवेदन भेजा। वह काशी विश्वविद्यालय से एम. काम की परीक्षा पास कर चुका था। वह प्रान्त के लोक-सेवा-आयोग के सामने

[श्री गुप्तनाथ सिंह]

अभी हाल ही में मुलाकात के लिये हाजिर हुआ था। आयोग के सदस्य शायद इस बात को नहीं जानते थे कि वह अभागा अभ्यर्थी एक बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग का आदमी था। वह अपने छात्र जीवन में हमेशा हर परीक्षा में प्रथम आया था। उसको नियुक्ति मिल गई पर एक महीने बाद ही प्रान्तीय सरकार का एक पत्र उसे मिला जिसमें यह सूचित किया गया था कि उसकी नौकरी खत्म कर दी गई है। उसने प्रान्तीय सरकार को तथा अपने विभाग को पत्र लिखा और जानना चाहा कि मामला क्या है। उसने पत्र में यह भी सुझाव दिया था कि अगर उसने कोई अपराध किया है तो उस पर मामला चलाना चाहिये। किन्तु सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई सूचना देने से इनकार कर दिया। यह बात उस प्रान्तीय सरकार के लिये वस्तुतः एक बड़ी लज्जा की बात है।

इसी तरह ब्रिटिश अमलदारी में हमारे स्वनाम धन्य प्रान्त बिहार में एक बहुत ही पिछड़े हुए किसान वर्ग के एक व्यक्ति को डिप्टी कलेक्टर का पद केवल इसलिये नहीं दिया गया कि वह एक पिछड़े हुए सम्प्रदाय का आदमी था। (*बाधा*) धीरज रख कर मेरी बात तो सुनिये सिधवा साहब। आपको भी बोलने का मौका दिया गया था। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह सज्जन इस समय बिहार के एक उच्चकोटि के डिग्री कालिज में प्रिंसिपल हैं। सरकार की निर्वाचन समिति ने इन्हें डिप्टी कलेक्टरी का पद नहीं दिया पर आप हैं बहुत ही प्रतिभा सम्पन्न विद्वान और योग्य शिक्षण-प्रशासक।

आपके सामने मैं एक और घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। वह.....

***अध्यक्षः** इस तरह की घटनाओं का यहां उल्लेख करने में कोई लाभ है क्या? ऐसे बातें तो देश में सर्वत्र ही हो रही होंगी।

***श्री गुप्तनाथ सिंहः** अच्छी बात है श्रीमान। मैं इनका जिक्र न करूंगा। मैं यह चाहता हूं श्रीमान कि कृषक वर्ग, पशुपालक वर्ग और शिल्पी वर्ग को भी जो भारतीय समाज की रीढ़ है, सरकारी नौकरियों में काम करने का मौका मिलना चाहिये क्योंकि इनको अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं किया गया है। सभा इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुकी है कि एक आयोग इस बात के लिये नियुक्त किया जाये कि वह इन पिछड़े हुए वर्गों की अवस्था का अध्ययन और छानबीन करे। यदि इन अभागों को भी मौका देने की बात इसमें रख दी जाये तो देश के लिये यह अच्छा होगा। ये लोग राष्ट्र के परम दक्ष और ईमानदार सेवक सिद्ध होंगे।

जब मैंने यह संशोधन भेजा था तो एक दिन मसौदा समिति ने इसे मान भी लिया था और कुछ दिन बाद डॉ. अम्बेडकर ने मेरे सुझाये गये शब्दों को अपने संशोधन नं. 26 में शामिल कर लिया था। उनके संशोधन में जो खामी रह गई थी उसे आपने समझा और मेरे संशोधन को प्रायः ज्यों का त्यों मान लिया। इसके बाद श्री मुंशी ने भी मेरे संशोधन में निहित सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। आज जब आपने उन्हें अनुवर्ती संशोधनों को पेश करने के लिये कहा तो पता

नहीं वह चुप क्यों रह गये। ये लोग मालिक हैं और जो चाहे कर सकते हैं। पर मैं इनसे यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि मेरे द्वारा सुझाये गये शब्दों के रखने के औचित्य पर वह विचार अवश्य करें। उन्हें प्रस्तुत अनुच्छेद में मेरे इन शब्दों को भी रखना चाहिये।

आशा है कि जो बात मैंने कही है उस पर वह विचार करेंगे और कृषक और पशुपालक वर्गों को जिनकी अवस्था हरिजनों और आदिवासियों से भी गई बीती है, यह प्रमाणित कर देंगे कि वह उनके लिये भी कुछ करने जा रहे हैं ताकि उनको इस बात का विश्वास हो जाये कि उन्हें भी देश सेवा का मौका दिया जायेगा। आशा है कि साम्प्रदायिकता की यह बाढ़ अब रोक ली जायेगी और जातिवाद के जहरीले सांप का हम हनन कर देंगे और इस बात के लिये शीघ्र कार्रवाई की जायेगी कि अपना यह महिमा मंडित स्वतन्त्र देश उन लोगों के लिये स्वर्ग बन जाये जो शताब्दियों से यहां असमता का उत्पीड़न सहते आ रहे हैं।

(संशोधन नं. 18-22, 28, 29, 30, 31 और 32 पेश नहीं किये गये)

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं:-

"कि ऊपर के संशोधन नं. 23 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 296 में, "shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration" (प्रशासन-कार्यपटुता को बनाये रखने की संगति के अनुसार. .. ध्यान रखा जायेगा) शब्दों की जगह "shall, consistently with the maintenance of efficiency of administration, be taken into consideration" शब्द रखे जायें।

जैसा कि आप देख रहे होंगे श्रीमान, यह संशोधन केवल शब्दों के हेरफेर के लिये ही रखा गया है। मेरा ख्याल है कि प्रस्तावित अनुच्छेद को इस रूप में भाषाबद्ध करना ज्यादा शुद्ध होगा जैसा कि मैंने सुझाया है। मसौदा समिति से साग्रह मैं इस बात की सिफारिश करूंगा कि वह इस सुझाव की यथार्थता पर विचार करे। अगर आपकी अनुमति हो श्रीमान, तो डॉ. अम्बेडकर द्वारा उपस्थित किये गये संशोधन पर कुछ बातें कहूं?

***अध्यक्षः** कहिए।

***श्री एच.वी. कामतः** समस्त देश को एक भारतीय राष्ट्र का रूप देने के लिये हमने आज एक कदम आगे की ओर उठाया है। करीब दो साल से कुछ ज्यादा हुआ कि यहां सभा में यह फैसला किया गया था कि जहां तक देश के विधान मण्डलों का सम्बन्ध है, इन निकायों में अल्पसंख्यकों के लिये स्थान सुरक्षित रहने चाहिये। पर इस बीच में देश में कुछ ऐसी घटनायें हो गई और जादू सी घटनायें हो गईं जो शायद कई दृष्टिकोण से ऐसी थीं कि देश के भाग्य का निबटारा करने वाली थीं। इनको देखकर अभी करीब दो महीने पहले माननीय सरदार बल्लभ भाई पटेल ने सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव रखा था जहां तक मुसलमानों

[श्री एच.वी. कामत]

और सिखों का सम्बन्ध है उनके लिये विधान मण्डलों में संरक्षित जगहों की व्यवस्था को अब उठा देना चाहिये। सभा ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह बुद्धिमतापूर्ण निर्णय था जो हमें एक राष्ट्रीयता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाने वाला था। आज हम फिर एक और निर्णय कर रहे हैं जो हमें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ायेगा। आज हम निर्णय यह कर रहे हैं कि जहां कि सरकारी नौकरियों को सम्बन्ध है, इनमें मुसलमान-सिख आदि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिये जो रक्षण की व्यवस्था है वह अब उठा दी जाती है। दो महीना पहले माननीय सरदार पटेल ने जो प्रस्ताव रखा था उसमें भी एक ही अपवाद रखा गया था और आज भी हम वही अपवाद रख रहे हैं। अपवाद यह रख रहे हैं कि अनुसूचित आदिमजातियों और अनुसूचित जातियों के लिये नौकरियों में संरक्षण की व्यवस्था रहेगी। हो सकता है कि सभा के कुछ सदस्य और बाहर के भी कुछ मित्र यह समझते हों कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है और इसे बुद्धिमत्तापूर्ण न मानते हों। पर बात यह है कि व्यावहारिक राजनीति में हमेशा हमें आदर्शों का ही ख्याल रख कर नहीं चलता पड़ता है बल्कि तात्कालिक स्थिति और आवश्यकता का ख्याल रख कर चलना पड़ता है। आज की स्थिति हमें इस पथ को अपनाने का आदेश देती है और हमें अपनाना ही होगा।

माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने यहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कष्टों का उल्लेख किया है और इस सिलसिले में यह कहा है कि हरिजनों की वर्तमान अवस्था के लिये एकमात्र इतिहास ही जिम्मेदार है और इसके लिये सवर्ण हिन्दुओं को दायी नहीं ठहराया जा सकता है। जहां तक मेरा निजी सम्बन्ध है मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इसके लिए कौन कितना दोषी है। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का यह कहना है इसके लिये इतिहास जिम्मेदार है और अन्य बातों को सोच विचार कर फिर आगे आपने यह कहा है कि युगधारा इसके लिये जिम्मेदार है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये जिम्मेदार है वह दैवी शक्ति या वह सर्वोपरि शक्ति जो इस विश्व में काम कर रही है। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिये जिम्मेदार है जातीयता जिसे आप विकासकारी शक्ति कहते हैं। आपने यह फरमाया है कि सवर्ण हिन्दुओं पर विदेशी शोषकों ने अत्याचार किये थे। किन्तु हम देख रहे हैं कि ये विदेशी शोषक एक दूसरी शक्ति द्वारा पराजित हो चुके हैं और इस दूसरी शक्ति पर अब एक तीसरी शक्ति ने आक्रमण कर दिया है। किसी अंग्रेज दार्शनिक का कहना है–"दुनिया में मत्स्य न्याय काम कर रहा है यानी एक छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और फिर उसको उससे बड़ी मछली खा जाती है।" किसी को निश्चित रूप से यह नहीं मालूम है कि यहां क्या हो रहा है। एक कोई बड़ी प्रक्रिया यहां काम कर रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस गहन प्रश्न में जाऊं कि किसने किसको सताया और यह सिलसिला शुरू कैसे हुआ।

मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं श्रीमान् कि आज इस अनुच्छेद के पास हो जाने पर एक मात्र वर्ग जिसे कि थोड़ी बहुत आशंका रह जायेगी वह है पिछड़ा हुआ वर्ग जैसा कि माननीय मित्र श्री गुप्तनाथ सिंह ने कहा है। मैं यह

नहीं कहना चाहता हूं कि कौन वर्ग पिछड़े हुए हैं और कौन नहीं। कौन लोग किसानों में आते हैं और कौन वर्ग पिछड़े हुए हैं। इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। किन्तु बात यह है कि हमने संविधान में "सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग" पद संहति का प्रयोग किया है। हो सकता है कि इन लोगों को अपने भविष्य के सम्बन्ध में कुछ आशंका हो, यह डर हो कि राज्य की नौकरियों में उन को भी जगह दी जायेंगी या नहीं। किन्तु मैं उनकी इस मिथ्या आशंका को दूर कर देना चाहता हूं संविधान के मूलाधिकार संबंधी अनुच्छेद 10 का उल्लेख करके जिसमें खण्ड (3) में यह कहा गया है कि:–

> "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है नियुक्तियों अथवा पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई अवरोध न होगा।"

यह बात राज्य की नीति में निदेशक सिद्धान्तों में नहीं रखी गई है बल्कि इसे रखा गया है मूलाधिकार विषयक अध्याय 3 में। जब इस बात की उन्हें प्रत्याभूति दी गई है तो पिछड़े हुए किसी भी वर्ग को आशंकित होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि नौकरियों में उनको प्रतिनिधान नहीं मिलता है तो इसके लिये वह सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जहां तक नौकरियों का सम्बन्ध है इसके लिये पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था रहेगी कि उन्हें वहां समुचित जगह मिल पायें। मेरा ख्याल यह है कि अनुच्छेद 10 के द्वारा उन्हें इस अधिकार की प्रत्याभूति अवश्य प्राप्त हो जाती है। इसलिये सभा के समक्ष जो अनुच्छेद पेश है उस पर उन्हें कोई आपत्ति न होनी चाहिये।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि संविधान के प्रारम्भ से दस साल बाद हमारे देश में जिसका एक प्राचीन इतिहास है, जो एक प्राचीन देश होते हुए भी चिरनवीन है, कोई वर्ग ऐसा न रह जायेगा जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रह जायेगा। उस समय तक देश के सभी वर्गों का मानव स्तर इतना ऊंचा हो जायेगा जितना कि साधारणत: मानव के लिये अपेक्षित होता है। उस समय तक जातियों को अनुसूचित करने की जो कलंकित पद्धति है वह समाप्त हो जायेगी। इस दूषित पद्धति को जन्म दिया था अंग्रेजी राज्य ने जो सौभाग्य से अब यहां से उठ गया है। अंग्रेजी राज के जमाने में जो असंख्य बुराइयां यहां पैदा हो गई थीं उन्हें दूर करने के लिये हमने अनेक उपबन्ध यहां रखे हैं। केवल यही एक मात्र दूषण अब भी रह गया है। पर आशा है कि यह कोढ़ भी जल्दी ही मिट जायेगा और हम दुनिया के सामने एक भारतीय समुदाय के रूप में खड़े दिखाई देंगे।

(संशोधन नं. 184, 255 और 257 पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्ष:** मैं देखता हूं कि अब कोई संशोधन नहीं रह गया है।

***श्री आर.के. सिधवा:** संशोधन नं. 36 रह गया है श्रीमान।

***अध्यक्ष:** वह अनुच्छेद के खण्ड (2) को हटाने की बात कहता है पर इस अनुच्छेद में कोई खण्ड (2) है ही नहीं।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्री गुप्तनाथ सिंह ने अपने संशोधन में पिछड़े हुए वर्गों का उल्लेख किया है।

***अध्यक्ष:** सभा के सामने जो अनुच्छेद है उसमें खण्ड (2) नहीं है। इसलिये इस संशोधन का सवाल ही नहीं उठता है। संशोधन नं. 24 पेश नहीं किया गया है।

***श्री आर.के. सिधवा:** संशोधन नं. 24 तो नहीं पेश किया गया है पर संशोधन नं. 28 को तो श्री गुप्तनाथ सिंह ने पेश कर दिया है।

***अध्यक्ष:** यह संशोधन श्री गुप्तनाथ सिंह के संशोधन पर बैठता कहां है?

***श्री आर.के. सिधवा:** मुझे अपने संशोधन में नं. 24 की जगह नं. 28 कह देना है। बस इतना बदल देने से यह संशोधन ठीक बैठ जाता है।

***अध्यक्ष:** पर खण्ड (2) इसमें कहां है?

***श्री आर.के. सिधवा:** मसौदा समिति ने आज सुबह एकाएक एक नया संशोधन रख दिया है। मुझे खुशी है कि खण्ड (2) को उसने हटा दिया है। किन्तु जब 'पिछड़े हुए वर्गों' शब्दों को रखने के लिए जब एक संशोधन आ चुका है तो इस संशोधन को पेश करने की अनुमति मिलनी चाहिये।

***अध्यक्ष:** यह संशोधन तो बहुत पहले से है। खैर अगर आप अनुच्छेद पर बोलना चाहते हैं तो इसका मौका मैं आपको दूंगा।

***श्री आर.के. सिधवा:** तो मैं चन्द शब्द इस पर कह सकता हूं श्रीमान?

***अध्यक्ष:** हां आप बोल सकते हैं। मैं यह देख लूं कि और कोई संशोधन् बच तो नहीं गया है। मैं नहीं समझता कि और कोई संशोधन अब रह गया है। मूल प्रस्ताव और संशोधनों पर अब विचार किया जा सकता है।

***श्री आर.के. सिधवा:** मुझे बड़ी खुशी है कि डॉ. अम्बेडकर ने संशोधन नं. 15 को यहां पेश किया। मुझे खुशी है कि पिछड़े हुए वर्गों के सम्बन्ध में अन्य सभी संशोधनों को यों ही छोड़ दिया गया और वह पेश नहीं किये। मेरे संशोधन में जैसा कि अभी अभी बताया गया है, पिछड़े हुए वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले खण्ड को हटाने की बात कही गई है।

मैं इस बात को समझने की कोशिश करता आ रहा हूं कि आखिर पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या है? अनुच्छेद 301 में हमने यह बताया है कि जो वर्ग शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है वह पिछड़ा हुआ वर्ग समझा जायेगा। आज देश में 88 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। ये लोग अपनी वर्णमाला का क, ख, भी नहीं जानते हैं। यहां शिक्षित हैं केवल 12 प्रतिशत लोग। यहां के 88 प्रतिशत लोग सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। तो क्या मैं यह समझूं कि यहां के 88 प्रतिशत लोग पिछड़े हुए हैं? अनुच्छेद 301 में यह साफ-साफ कहा गया है कि जो लोग शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वह इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आते हैं। पर देश की 88 प्रतिशत आबादी को पिछड़ा हुआ कैसे कहा जा सकता है? माननीय मित्र गुप्तनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि किसान भी पिछड़े हुए वर्ग में हैं। उन्होंने एक ऐसे ब्राह्मण का भी जिक्र किया है जो अपने को पिछड़े हुए वर्ग का कहता था। मुझे भी एक ऐसी घटना मालूम है जिसको मैं यहां अभी बताऊंगा। यह सारी बातें की गई हैं केवल शक्ति और पद पाने के लिये और किसी बात के लिये नहीं। करीब दस साल की बात है कि एक व्यक्ति अधीनस्थ न्यायाधीश के पद पर आना चाहता था। वह पुश्कर ब्राह्मण समाज का आदमी था। उसने यह बात कही कि पुश्कर ब्राह्मण पिछड़े हुए वर्गों में हैं उसने पांच सौ आदमियों के हस्ताक्षर इकट्ठे कर अपनी यह बात मुख्य न्यायाधीश के पास पेश कर दी। न्यायाधीश ने हस्ताक्षरों के आधार पर यह बात मान ली और चूंकि कोई पुश्कर ब्राह्मण नौकरी में न्यायाधीश पद पर था नहीं इसलिये उसने उसे उस पर नियुक्त कर दिया।

मैं सभा को बताऊं कि तीस साल पहले पारसी समुदाय को भी बम्बई सरकार पिछड़ा हुआ वर्ग मानती थी। आप को मालूम है श्रीमान कि पारसी समुदाय एक बहुत ही समुन्नत समुदाय है। तीस साल पहले इस में 80 प्रतिशत लोग शिक्षित थे और आज इसमें करीब 99 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। फिर भी तीस साल पहले बम्बई सरकार ने इसे पिछड़ा हुआ वर्ग घोषित कर रखा था। ब्रिटिश अमलदारी में यही होता था। कुछ आदमी जो नौकरियों में जाना चाहते थे उन्होंने अपना प्रभाव लगा कर अपनी गणना पिछड़े हुए वर्ग में करा दी जब कि देश के उस विशाल जन समूह का जो वस्तुतः पिछड़ा हुआ है नौकरियों में कोई प्रतिनिधान नहीं प्राप्त है। *(बाधा)*।

***श्री गुप्तनाथ सिंहः** आप बोलते तो बहुत हैं पर जनता को आप जानते बिल्कुल नहीं हैं। उनकी मनोदशा मैं जानता हूं।

***श्री आर.के. सिधवाः** मैं आप से बहस नहीं करना चाहता। मैं कह यह रहा था कि देश के एक छोटे से वर्ग के साथ अन्याय किया गया है। मैं जानता हूं कि आज अपने आदमियों को जैसे भी हो रखवाने की सभी कोशिश करते हैं और यह बुराई जोरों पर है और हमेशा इसी तरह रहेगी जब तक कि वास्तविक राम-राज्य यहां नहीं आ जाता है। अच्छे अच्छे शासन में भी यह बात किसी न किसी रूप में रहेंगी। जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है मैंने कभी यह

[श्री आर.के. सिधवा]

मंजूर नहीं किया है कि इनका कोई समुदाय है। मैंने हमेशा यही माना है कि यह एक वर्ग है जिसके साथ अतीत काल में हिन्दू समुदाय ने बड़ा अन्याय किया है। इसलिये हम कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि ये भी अपने अन्य भाइयों के जीवन स्तर पर पहुंच जायें। अगर वह खुद भी यह चाहें कि उनको एक अलग समुदाय समझा जाये तो मैं इसका विरोध करूंगा। मैं उनको अलग नहीं मानता हूं। जहां तक अनुसूचित आदिम-जातियों का सम्बन्ध है वह अछूत नहीं हैं। उदाहरण के लिये भीलों को ही लीजिये, वह अछूत नहीं हैं। वह केवल पिछड़े हुए हैं। पर इन्हें भी अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल किया गया है। इनके लिये जो विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जाने वाला है उसे इनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान देने की जरुरत है।

मैं तो यही महसूस करता हूं कि अनुच्छेद 301 अपने संविधान के लिये एक कलंक ही है। मैं चाहता हूं कि इसे हटा दिया जाये। मैं नहीं चाहता हूं कि संविधान में 'पिछड़े हुए वर्ग' शब्दों का उल्लेख भी आये। इसका उल्लेख हमारी बुद्धि पर एक प्रबल लांछन होगा। जो लोग शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके लिये राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों वाले अध्याय में हमने इस आशय का उपबन्ध रखा है कि राज्य की यह कोशिश होनी चाहिये कि दस साल के भीतर देश का प्रत्येक पुरुष स्त्री और बालक शिक्षित बना दिया जाये। जब देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षा की दृष्टि से समुन्नत हो जायेगा तो यहां पिछड़ा हुआ कौन समझा जायेगा। तब यहां कोई पिछड़ा वर्ग न रह जायेगा। सामाजिक दृष्टि से वह फिर समुन्नत हो जायेंगे। शिक्षित होने पर आदमी अपनी स्थिति को समाज में अच्छा बना लेता है। इसलिये मूल बात है शिक्षा जिसके लिये हमने निदेशक सिद्धान्तों में व्यवस्था कर दी है। इस बात को मैं मूल अधिकारों में रखना अधिक पसन्द करता। दस वर्ष के अन्दर यहां सभी शिक्षित हो जायेंगे और फिर आपको एक आदमी अशिक्षित नहीं मिलेगा। यह जरूर है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में कई कठिनाइयां सामने आयेंगी किन्तु मुझे विश्वास है कि हमारी वर्तमान सरकार यह जरूर करेगी कि दस साल के अन्दर सभी शिक्षित हो जायें, यहां का हर स्त्री पुरुष शिक्षित हो जाये। और तब हमें इस बात का गर्व होगा कि हमारा हर नागरिक अपनी जुबान में लिख पढ़ सकता है।

इसलिये श्री गुप्तनाथ सिंह के संशोधन का मैं विरोध करता हूं। इसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसका प्रयोजन तभी है जब हम किसी पर कृपा करना चाहते हों और इसलिये उसे पिछड़े हुए वर्ग में शामिल करना चाहते हों। डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन हमारे प्रयोजन के लिये काफी है। जब इसमें किसी सीमित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़े समय के अन्दर ही ये अनुसूचित वर्ग इस हालत में न रह जायेंगे। ये सभी शेष समाज के स्तर पर पहुंच जायेंगे और हम यह देखेंगे कि अपने संविधान में इसके बाद अनुसूचित वर्गों का उल्लेख नहीं रह जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तावित अनुच्छेद का समर्थन करता हूं और इस बात का विरोध करता हूं कि संविधान में नौकरियों के बारे में किसी तरह के शिक्षण का उपबन्ध रखा जाये या रक्षण

का उल्लेख भी किया जाये। जब विधान मंडलों के सम्बन्ध में हमने स्थान रक्षण की व्यवस्था को उठा लिया है, तो नौकरियों के बारे में हम किस मुंह से इस व्यवस्था को रखने की बात कह सकते हैं।

यह बात बहुत बुरी मालूम पड़ती है। हमारे नेता सरदार पटेल ने, अभी उस दिन जब विधान मण्डलों में प्रतिनिधान का प्रश्न उठाया गया था तो इस बात को यहां स्पष्ट कर दिया था। आज माननीय मित्र सरदार हुकम सिंह ने पारसी समाज को भी पिछड़े हुए वर्ग में रख दिया है इस आधार पर कि वह इस सम्बंध में विशेष अधिकार चाहते हैं। मेरे समाज में नौकरियां या विधान-मण्डलों के बारे में कभी किसी भी विशेषाधिकार की मांग नहीं की है। वे इन जगहों में आये अपनी योग्यता के बल पर और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि भारत-शासन में जितने भी पारसी हैं—भारत शासन की सेवाओं में कुछ पारसी हैं—वह अपनी योग्यता के बल पर आये हैं न कि किसी की कृपा के बल पर। देश का बहुसंख्यक समुदाय इस बात को जानता है और इस प्रश्न को हम उसी पर छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि वे इस बात को समझ सकते हैं। अपने संविधान के अनुसार भविष्य में सेवाओं के लिये योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिये और किसी बात के आधार पर नहीं। मैं इस बात पर जोर देता हूं। एक समुदाय या दूसरे समुदाय पर कृपा दिखाने की पद्धति चलाई है यहां अंग्रेजी हुकूमत ने। हमने इस बात का अधिकार अब राष्ट्रपति को दिया है कि कौन लोग पिछड़े हुए हैं इसका निर्णय वही करेगा। आज बरसाती मेंढकों की तरह पिछड़े हुए वर्गों के नाम पर बहुत से संगठन उत्पन्न हो जायेंगे और अपना राष्ट्रपति एक बड़ी जटिल स्थिति में पड़ जायेगा क्योंकि सभी समुदाय उस पर इस बात के लिये जोर डालेंगे कि उनके समुदाय को पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाये। मुझे दुख है कि यह खण्ड रखा गया है किन्तु उम्मीद यही करता हूं कि अनुच्छेद 301 जो संविधान में रखा गया है वह केवल नाम के लिये ही बना रहेगा पर इस पर कभी अमल नहीं किया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं मूल प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करता हूं और सारे संशोधनों का विरोध करता हूं।

***माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल** (बम्बई: जनरल): अध्यक्ष महादेय, इस अनुच्छेद पर बोलने का मेरा कत्तई कोई इरादा नहीं था किन्तु जब मैंने यहां यह स्पष्ट आरोप लगाते सुना कि चूंकि कांग्रेस पार्टी का यहां बहुमत है इसलिए वह अपने उन वचनों की कोई परवाह नहीं करती है जो उसने सिखों को दे रखे हैं बल्कि उन्हें वह भंग कर रही है तो मुझे विवश हो कर बोलना पड़ा। सिखों की ओर से या उनके किसी प्रतिनिधि की ओर से इस आरोप को सुनकर मुझे घोर दु:ख हो रहा है। यह बात कही है सरदार हुकम सिंह ने। एक दूसरी जगह और दूसरे मौके पर मैंने उन्हें इस बारे में साफ साफ समझा दिया था किन्तु फिर भी वह यह प्रश्न उठा रहे हैं। आज मैं इस आरोप का जवाब दे देना चाहता हूं। और अन्य बातों के बारे में नहीं समझता कि मुझे बहस में जाने की या कुछ भी कहने की कोई जरुरत है पर जहां तक इस आरोप का सम्बन्ध है कि कांग्रेस ने सिखों को जो वचन दे रखे थे, उनको वह भंग कर रही है मैं स्थिति को जरूर समझ लेना चाहता हूं।

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

आपका आरोप यह है कि हम अपने वचनों को तोड़ रहे हैं हमने उस वचन को भंग किया जो सन् 1923 में हमने दिया था और फिर सन् 46 और सन् 47 में जो वचन हमने दिये उसे भी हमने भंग किया। मैं नहीं जानता कि किन वचनों का आप उल्लेख कर रहे हैं। अगर आपका संकेत हैं 1923 के वचन की ओर भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन की ओर तो मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि विभाजन के विरुद्ध एक भी सिख की आवाज नहीं उठी थी। बल्कि तथ्य यह है कि पंजाब के विभाजन की मांग करने में सिख ही सबसे आगे थे। रावलपिंडी और मुलतान में खून खराबा होने पर सिख लोग बुरी तरह घबरा गये थे और वह बहुत विपत्ति में पड़ गये थे जो स्वाभाविक ही था। कांग्रेस ने उनके साथ पूरी हमदर्दी दिखाई थी। उस समय देश के अन्य भागों में ऐसी ही दु:खद घटनायें हो रहीं थी और उसके बाद खून खराबा शुरू हो गया लाहौर, अमृतसर तथा पंजाब के अन्य भागों में। भारत के विभाजन की बात हमने उसी समय स्वीकार की थी और सिखों की पूर्ण सहमति से स्वीकार की थी। सिख लोग सर्वसम्मति से एकमत हो विभाजन पर राजी थे। अब हम पर यह आरोप लगाना कि हमने वचन भंग किया और विश्वासघात किया एक ऐसी बात है जिसे समझने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं सिख समुदाय के लिये जो एक वीर समुदाय है, हम पर इस तरह का दोषारोप करना कभी ठीक नहीं है। अगर सिख विभाजन के विरुद्ध होते तो हमें क्या हक था कि देश का और पंजाब का विभाजन करते? हम ऐसा कभी नहीं करते। जब उन्होंने भी यही कहा कि देश हित के लिये विभाजन करना ही ठीक है और हमें राय दी कि देश विभाजन की बात हमें मान लेनी चाहिये इस शर्त के साथ कि पंजाब का भी विभाजन किया जाये, हमने विभाजन को स्वीकार कर लिया। यह तो हुआ सन् 1929 के वचन के बारे में।

सन् 1946 के वचन की वह चर्चा करते हैं। अगर वह हवाला देते हैं अल्पसंख्यक समिति की सिफारिशों का तो उनकी बात मैं समझ सकता हूं। उसे मैं विस्तारपूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस बारे में हुआ क्या है? पर मैं नहीं जानता कि सन् 1946 के वचन से उनका मतलब क्या है, कांग्रेस नेताओं ने आखिर क्या वचन उन्हें दिये हैं, यह मैं नहीं समझा पर अगर उन्हें वचन दिये तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा कांग्रेसमैन होगा जो उस से हटेगा पर सिख नेताओं के.... उनमें से कुछ के मनोविज्ञान को समझने में असमर्थ हूं जो सब पर ही प्राय: विश्वास भंग का दोषारोप करते हैं और हमेशा यह शिकायत करते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

आप सेना की ओर देखिये। क्या सिखों को वहां संख्या से बहुत अधिक प्रतिनिधान नहीं मिला है। हम उनके संरक्षण में हैं और उनका विश्वास करते हैं और एक भी ऐसा अफसर नहीं है जो हमारे लिये निष्ठा न रखता हो। व्यर्थ आप इस तरह की भावनायें क्यों पैदा करते हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं?

जब अल्पसंख्यक समिति ने मंत्रणा समिति में अपना पहला निर्णय स्वीकार किया था उस समय मैं उसका सभापति नियुक्त किया गया था और मैं सभी अल्पसंख्यक

वर्गों को साथ लेकर चला था। अल्पसंख्यक समिति और मंत्रणा समिति के निर्णय प्राय: सर्व सम्मति से स्वीकृत हुए थे। इन समितियों के कामों की इस सभा ने सराहना की थी। और इसके लिये मुझे धन्यवाद दिया था। समय बीतता गया और अल्पसंख्यक समुदाय खुद यह अनुभव करने लगे कि हमें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिये। महान देशभक्त ईसाई नेता के नेतृत्व में उन्होंने यह प्रस्ताव पास किया कि रक्षण की व्यवस्था को वह उठा देना चाहते हैं। किस रक्षण को उठाने का प्रस्ताव उन्होंने पास किया था? न सिर्फ नौकरियों में स्थान रक्षण की क्षुद्र व्यवस्था को बल्कि विधान मंडलों के लिये स्थान रक्षण को जो बड़ी व्यवस्था थी उसको भी वह नहीं रखना चाहते थे। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों विधान मण्डलों में वह यह व्यवस्था नहीं चाहते थे।

वह सब इस बात पर राजी थे कि संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था रखी जाये और पृथक् निर्वाचन की साम्प्रदायिक व्यवस्था से अब हमारा कोई भी वास्ता न रह जाये। उन्होंने जब यह इच्छा प्रकट करी तो मैंने अल्पसंख्यक समिति की और मंत्रणा समिति की एक बैठक बुलाई। उनके कहने पर ही यह निर्णय किया गया था। सिखों का कहना हमेशा यही था कि "अगर सभी अल्पसंख्यक इस पर राजी हों तो हम भी इस पर राजी हैं हम अपने लिये कोई अलग व्यवस्था नहीं चाहते हैं। हम अपने लिये कोई खास सुविधा नहीं चाहते हैं। हम अपने पांव पर खड़े रह सकते हैं।" हमेशा ही, कांग्रेस के अन्दर या बाहर सिखों का कहना यही रहा है।

जब यह प्रस्ताव लाया गया था और उस पर विचार होने जा रहा था तो पंजाब के कई सिख प्रतिनिधि मेरे पास आये और यह कहा कि जहां तक सिखों की अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है उनको वही सुविधा मिलनी चाहिए जो हिन्दू समाज के अनुसूचित जातियों को दी जा रही है। और इस सम्बन्ध में सिखों से पृथक व्यवस्था उनके लिये होनी चाहिये। उनकी इस बात का अनुसूचित जातियों के हर आदमी ने यह कह कर विरोध किया था कि सिखों में कोई अनुसूचित जाति नहीं है और अगर है तो वह सिख नहीं है। "इसलिये" उनका कहना यह था कि "आप उनके लिये पृथक् व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इसी सुविधा के लिये तो अनुसूचित जातियों के लोगों को बलात् सिख बनाया जा रहा है।" इस सम्बन्ध में उनकी शिकायत यह थी। दूसरी तरफ सिखों का कहना यह था कि "अनुसूचित जातियों के बहुत से लोग सिख बने हैं पर वह स्वेच्छा से बने हैं बलात् नहीं। वह स्वेच्छा से हमारे समाज में आये है अगर आप इनको सिख नहीं मानते है तो यह सबके सब हिन्दू समाज में वापस चले जायेंगे और हमारा नुकसान होगा।"

सिखों में किसी वर्ग को अछूत या अनुसूचित जाति का मानना हमारे विश्वास के विरुद्ध था क्योंकि सिख धर्म अस्पृश्यता को मानता नहीं है। सिखों में कभी कोई वर्ग अनुसूचित जाति कह कर नहीं स्वीकार किया गया है। पर चूंकि सिखों ने कांग्रेस के विरुद्ध और हमारे विरुद्ध लगातार इस बात की शिकायत करनी शुरू की तो अनुसूचित जातियों के लोगों को मैंने बड़ी कठिनाई से इस बात पर राजी किया कि शान्ति के लिये वह सिखों की बात मान लें। मंत्रणा समिति के सदस्यों

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

को भी इस बात को मानने पर राजी किया। और यह बात मंजूर की गई एक शर्त पर जिसको सिख प्रतिनिधियों ने लिखित रूप में स्वीकार किया। वह शर्त यह थी कि इसके बाद सिख लोग और कोई सवाल न उठायेंगे।

तत्पश्चात् जब यह प्रश्न मंत्रणा-समिति के सामने आया तो सरदार उज्जल सिंह ने यह सवाल उठाया कि "नौकरियों के बारे में हमारे लिये क्या किया गया है?" मैंने कहा "आप के प्रतिनिधियों ने लिखित रूप में यह स्वीकार किया है कि और कोई मांग वह नहीं अब आगे रखेंगे।" ज्ञानी करतार सिंह भी मंत्रणा समिति में उपस्थित थे और उन्होंने उठकर यह कहा कि "नहीं, इस सवाल को हम प्रान्तों में तय कर लेंगे। इसे यहां उठाने की जरुरत नहीं है।"

ऐसी सूरत में कांग्रेस पर वचन भंग का आरोप लगाने से क्या लाभ? आपने जो वचन दिया है उसे मत भंग कीजिये और दूसरों पर वचन भंग करने का दोषारोप न कीजिये। यदि अब आप यह कहते हैं जैसा कि सरदार हुकुम सिंह ने कहा है, कि ये लोग तो सिखों की अनुसूचित जातियों को फायदा पहुंचाना चाहते थे इसलिये उन्होंने यह शर्त मान ली थी पर इनका यह काम गलत था तो ठीक है। आप अपने वचन पर फिर विचार कर लीजिये और मैं अपने वचन पर पुनर्विचार कर लूंगा। आपने जो रियायत ली है उसे वापस कर दीजिये और आपको, अगर चाहते हैं तो वह टुकड़े मिल जायेंगे जिनकी मांग आप कर रहे हैं।

सेवाओं में आखिर आप क्या लेंगे? आज भी आखिर सिख क्या करते हैं? अन्य दूसरे समुदाय क्या कर रहे हैं? जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है सभी बड़ी-बड़ी जगहें या सभी जगहें जिनके लिये प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्तियां होती हैं, उनके लिये साम्प्रदायिक आधार पर रक्षण की कोई व्यवस्था है नहीं। ऐसी जगहों के लिये अभ्यर्थी लिये जाते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा फिर आप लड़ रहे हैं क्या छोटी मोटी जगहों के लिये—चपरासी और क्लर्क की जगहों के लिए। क्या आपकी अब यह स्थिति हो गई है कि यह कहें कि सिख चपरासी या क्लर्क पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। इस तरह अब अपने समुदाय को उन्नत बनाना चाहते हैं क्या? अगर यह बात है तो मुझसे कहिये। अपनी अनुसूचित जातियों के लिये आपको जो मिला है उसे छोड़ दीजिये और संविधान सभा को मैं इस बात के लिये राजी कर लूंगा कि आप जो चाहते हैं आपको वह दे दिया जाये पर इसके लिये आप पीछे पछतायेंगे।

आप कहते हैं कि पटियाला तथा पूर्वी पंजाब-राज्य-संघ में यह व्यवस्था नहीं है। किन्तु आज की शिकायत की सुनवाई यह सभा नहीं कर सकती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो हमें लिखकर भेजिये। हम लोग इस पर विचार करेंगे। किन्तु अपने वचन से पीछे न हटिये और दूसरों पर वचन भंग करने का दोषारोप न कीजिये। हम लोग वचन भंग करने वाले आदमी नहीं हैं। सिख समुदाय के प्रति हर तरह से सहानुभूति बरती जायेगी और हर तरह से उसका ख्याल रखा

जायेगा क्योंकि यह समुदाय एक खास इलाके में बसा हुआ है। यह एक छोटा समुदाय है पर एक बहादुर समुदाय है जो किसी भी विरोधी के सामने अपनी आन पर डटा रह सकता है। अपनी इस साहस भावना को बराबर यह कह कर नष्ट न कीजिये कि "हम चोट खाये हुए हैं, हम असहाय हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, हम अनाथ हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं।"

इस तरह का मनोभाव आपके समुदाय को ही हानि पहुंचायेगा और किसी को नहीं। समुदाय को नुकसान पहुंचाने से राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है। आपको यह राय मैं बहुसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के नाते नहीं दे रहा हूं बल्कि सिख समाज का एक भैवी होने के नाते दे रहा हूं। मैं आपको सलाह दूंगा कि हमेशा यह कह कर कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है आप इस तरह का वातावरण न पैदा कीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे सिख समुदाय को ही क्षति पहुंचेगी।

जब रक्षण व्यवस्था को उठाने का निर्णय मंत्रणा-समिति ने किया था तो हमने स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया था और सभी समुदायों ने इसे अच्छी तरह समझ लिया था। मंत्रणा-समिति का निर्णय जब इस सभा के सामने स्वीकृति के लिये रखा गया था, तो मैंने यह साफ साफ समझा दिया था कि स्वतन्त्र भारत के असाम्प्रदायिक राज्य का जो यह संविधान बन रहा है उसमें साम्प्रदायिक आधार पर किसी उपबन्ध को रख कर उसे कुत्सित न होने दिया जायेगा। उस समय सब लोगों ने इस निश्चय को सहर्ष स्वीकार किया था।

यह कहा जाता है कि यदि प्रान्तों में कोई प्रबन्ध इस सम्बन्ध में किया जाता है तो संविधान सभा ने मूलाधिकार सम्बन्धी जो उपबंध रखे हैं वह उसमें बाधक होगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी रजामन्दी से बिना कोई बात मन में रखे साफ गोई से अगर कोई व्यवस्था की जाती है तो उसमें कोई भी बात बाधक नहीं हो सकती है। मूलाधिकारों में जो उपबन्ध रखा गया है वह उस व्यक्ति के लिये जिसे नुकसान पहुंचा हो। किन्तु अगर पंजाब के लिये आप कोई घरेलू इन्तजाम पदों के बारे में समुदायों की रजामन्दी से करते हैं तो उस पर किसे आपत्ति होगी? किन्तु पहले यह कीजिये कि अपने प्रान्त में ऐसी कोई व्यवस्था करने के लिये अनुकूल वातावरण तो पैदा कर लीजिये। असल में सम्प्रदायों के बीच कलह का जो वातावरण अरसे से बना हुआ है वही उनमें अविश्वास भाव पैदा करता है और कठिनाइयां उत्पन्न करता है। आपको अपने प्रान्तीय काम के लिये हमारा समर्थन और सहानुभूति हमेशा मिलेगी क्योंकि आप के प्रान्त को बड़ी यातनायें झेलनी पड़ी हैं। इसे बड़ी चोट पहुंची है और अभी भी इसके जख्म भर नहीं पाये हैं। इस जख्म को अच्छा करने में, हम सबको और आप लोगों को तो खास तौर पर मदद देनी चाहिये। इसलिए हम सबको मिल कर इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि इस प्रान्त के नैतिक बल को, इसकी शक्ति को समुन्नत करें क्योंकि वस्तुतः यह प्रान्त हमारा सीमावर्ती प्रान्त है। ऐसा होने पर आपको कोई शिकायत न रह जायेगी।

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

मैं पूछता यह हूं कि आखिर सिख-समुदाय पिछड़ा हुआ किस बात में है? क्या व्यापार की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है? या उद्योग धंधा या अन्य किसी बात के ख्याल से ही यह पिछड़ा हुआ है? आप अपने को पिछड़ा हुआ क्यों समझते हैं? इस मनोभाव को ही आप भूल जाइये। अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो हमसे कहिये। हम लोग यह देखेंगे कि आपके साथ कोई अन्याय न होने पाये।

सरदार हुकुम सिंह ने अभी फरमाया है कि "हम अपने वर्तमान नेताओं पर तो पूरा भरोसा करते हैं पर भविष्य का क्या होगा?" मैं कहता हूं आपमें साहस इस बात का होना चाहिये कि आप अपने भविष्य पर भरोसा कर सकें न कि वर्तमान नेताओं पर। वर्तमान नेताओं के उठ जाने पर आखिर क्या होगा? क्या सरदार हुकुम सिंह तब तक जीवित रह जायेंगे? फिर इस बात को क्यों उठाते हैं? हमें इस बात पर विश्वास करना होगा कि वर्तमान नेताओं के उठ जाने पर इनसे भी अच्छे नेता देश को मिलेंगे। अगर देश के भविष्य पर हमारा विश्वास है तो हम इस बात पर अच्छी तरह भरोसा कर सकते हैं कि भविष्य में यह देश ऐसे नेताओं को पैदा करेगा जो दुनिया के इतिहास में अपना नाम कर जायेंगे। हमने यह बात आज सिद्ध कर दी है। भविष्य में भी हम इसे दिखा देंगे। यह हिन्दुस्तान है। इसने महात्मा गांधी को पैदा किया उस अवस्था में जब राष्ट्र दासता की पाश में बंधा था और चारों ओर यहां दासता का जोर था। वह महात्मा यहां से एक अन्य देश को गये जहां हम लोग रास्ता नहीं चल सकते थे, जहां तीसरे दर्जे में भी सुरक्षा के साथ सफर करना हमारे लिये कठिन था, जहां हम सबके साथ अछूतों का सा व्यवहार किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। वहां जाकर इस महात्मा पुरुष ने तमाम दुनिया में अपना नाम उजागर किया और संसार को एक नया अस्त्र प्रदान किया। वहां से फिर वह इस देश को वापस आये। यहां आकर उन्होंने सिख, मुसलमान, हिन्दू तथा अनुसूचित जातियों को ऊपर उठाया और देश को स्वतन्त्र बनाया। क्या आप सोचते हैं कि अपने वचनों को भंग कर के हम देश के नैतिक स्तर को उसकी प्रतिष्ठा और ख्याति को ऊंचा उठाने जा रहे हैं? हरगिज नहीं। हम सब इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि हम परस्पर एक दूसरे का विश्वास करेंगे।

यह मैं जानता हूं कि जहां तक मुसलमानों का सम्बन्ध है, वातावरण अभी भी वैसा अच्छा नहीं है जैसा कि होना चाहिये। किन्तु इसके कई कारण हैं। इसके लिये कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है। अगर देश विभाजन न हुआ होता तो शायद हम अपने मतभेदों को अब तक दूर कर दिये होते। किन्तु देश का विभाजन हो गया और आपस की रजामन्दी से यह विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप कितनी घटनायें हुई पर विभाजन के बाद से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया यहां होती है जिसके दबाव के लिये हमें रात दिन यहां संघर्ष करना पड़ता है।

एक असाम्प्रदायिक राज्य के शासन को ऐसी अवस्था में शान्तिपूर्वक चलाने में क्या बड़ी-बड़ी कठिनाइयां आती हैं इसे आप नहीं जानते हैं। आज दुनिया की ऐसी

स्थिति है कि हम अपनी इच्छानुसार कोई स्वतन्त्र कार्यवाही नहीं कर सकते हैं अन्याय किये जाने पर भी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, रुकना और सोचना समझना पड़ता है क्योंकि संयुक्त-राष्ट्र-संघ नाम से एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हो गई है जो दिन रात दुनियां की स्थिति पर निगाह रखती है और इस बात की कोशिश करती है कि शान्ति कैसे कायम रखी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र-संघ के काम के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। किन्तु हमारा पड़ौसी पाकिस्तान, चाहे कोई मौका हो, या न हो, हमेशा दुनियां में हमें बदनाम करने का और धमका कर कुछ पाने का मौका ढूंढा करता है। इसलिये हमें खास तौर पर सावधान रह कर चलने की जरुरत है। वचन भंग करते हैं वे लोग और इसका दोषारोप करते हैं हम पर। बिना अन्य देशों को इसका हवाला दिये या बिना इसका ख्याल किये कि अन्य देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी हम इस समस्या के समाधान के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

इसलिये मैं कह रहा हूं कि हमें सावधान होकर चलने की जरुरत है। ऐसी आभ्यंतरिक कठिनाइयां पैदा करके जिसमें कि विभिन्न समुदायों में यहां कलह हो सकता हो, आप हमारी कठिनाइयां और न बढ़ाइये। समस्या के समाधान में आप हमारी सहायता कीजिये और इसमें आपका लाभ होगा और सारे देश का लाभ होगा। नौकरियों के बारे में अल्पसंख्यक समुदायों के लिये छोटे मोटे उपबन्धों की मांग का परित्याग करके आप फायदे में रहेंगे और इसके लिये आपको पछताना न पड़ेगा। ऐसी बातों के लिये लड़िये जिनसे सारे देश को लाभ पहुंचता हो। इसकी चेष्टा कीजिये और इसके लिये जमीन तैयार कीजिये। दो प्रान्तों में आपके बड़े-बड़े स्वार्थ निहित हैं। बंगाल की समस्या भिन्न जरूर है पर पंजाब की तरह वहां भी कई समस्यायें वर्तमान हैं। इन समस्याओं का समाधान केन्द्र नहीं कर सकता है बल्कि इनका समाधान करना होगा इन प्रान्तों के निवासियों को ही। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो लोग देश हित का ख्याल रखते हैं उन्हें इस अविश्वास और असहमति के वातावरण को दूर करके एक अनुकूल वातावरण पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये।

मैं यहां जवाब में बोलने के लिये जो आया हूं वह केवल इसी बात के लिये कि कांग्रेस पर लगाये गये आरोपों का जवाब में दे दूं। मुझे आपका आरोप सुनकर बड़ा दुख हुआ है। न तो मैंने और किसी भी कांग्रेस जन ने यहां केन्द्र में कोई भी ऐसी बात की है जिससे सिखों को हम पर अविश्वास करने का कारण मिल सकता हो। आप कुछ भी क्यों न करें पर हम कभी ऐसी बात न करेंगे जिससे आप हम पर अविश्वास कर सकें। इसलिये यहां मैं आखिरी बार संसद के एक जिम्मेदार सदस्य के नाते आपसे यह अपील करता हूं। आप जो भी चाहते हैं उसके लिये आप अवश्य कहिये पर अपनी गलतियों के लिये दूसरों को दोषी न बनाइये। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप अब भी यही महसूस करते हैं कि जो सुविधायें आपने हमसे प्राप्त की हैं वह ऐसी नहीं हैं कि उनके लिये आप अपनी इस मांग को छोड़ दें तो आप उन सुविधाओं को छोड़ दीजिये। अगर आप अपनी इस मांग को ही अच्छा समझते हैं तो आपको वह दे दी जायेंगी। किन्तु इस बात पर आप आपस में विचार करके एक फैसला कर लीजिये। किन्तु दोनों

[माननीय सरदार वल्लभभाई पटेल]

ओर न चलिये। आपका एक वर्ग आकर पहले कुछ सुविधायें प्राप्त कर ले जाता है और अपने समुदाय के लोगों को यह वचन दे देता है कि उसे यह सुविधायें प्राप्त रहेंगी। इसके बाद एक दूसरा वर्ग आकर हम पर यह आरोप लगाता है कि हमने उसे अमुक-अमुक और सुविधायें नहीं दी हैं जिसके लिये वह आतुर है। इन मसलों को तय करने का यह तरीका नहीं है। पहले आप लोग मिल कर यह तय कर लीजिये कि आप चाहते क्या हैं। अगर आपने यह तय नहीं किया है तो यह आपकी गलती है हमारी नहीं। आखिर यह तो तय कीजिये कि आप चाहते क्या हैं। आप एक बहुत ही क्षुद्र बात मांग रहे हैं जिसका मंजूर करना संविधान में एक कलंक रखना होगा। अभी उस दिन हम सभी बातों पर सहमत हो गये थे और सबने खुशी-खुशी उसे मान लिया था। इसलिये आपने जो कुछ भी पहले तय कर लिया है उससे सन्तुष्ट रहिये और मैं आपको बताता हूं कि इसके लिये आपको कभी न पछताना पड़ेगा। *(प्रशंसा-ध्वनि)*

***अध्यक्ष:** बहस को जारी रखने की जरुरत है क्या?

***सदस्यगण:** नहीं, नहीं।

***श्री एच.वी. पातस्कर** (बम्बई: जनरल): मैं यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमान् कि इस प्रश्न पर अब मत लिया जाये।

***सरदार हुकुम सिंह:** मैं सादर यह कहना चाहता हूं श्रीमान् कि संविधान में कहीं भी ऐसी कोई बात मुझे नहीं दिखाई दी है जिसे हमने इतनी बड़ी कीमत चुका कर लेना मन्जूर किया हो।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्त प्रान्त: जनरल): मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं श्रीमान् कि इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर अभी पूरी तरह विचार नहीं किया गया है। यह देखना आपका काम है कि बहस बन्दी के प्रस्ताव को स्वीकार करना ठीक है या नहीं।

***अध्यक्ष:** मैं इसे देख रहा हूं और इस प्रस्ताव को मानने के लिये तैयार हूं।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** जो कुछ कहा गया है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

***अध्यक्ष:** अब मैं श्री गुप्तनाथ सिंह के संशोधन नं. 17 पर मत लूंगा।

***श्री गुप्तनाथ सिंह:** मैं इसे वापस लेने की अनुमति मांगता हूं श्रीमान।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब हम आते हैं श्री कामत के संशोधन पर।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं इसे मसौदा समिति के सदविवेक पर छोड़ता हूं, श्रीमान।

***अध्यक्षः** इसमें केवल शाब्दिक हेर-फेर की बात कही गई है सुतरां उसे मसौदा समिति पर छोड़ा जा सकता है। अब मैं सरदार हुक्म सिंह के संशोधन नं. 256 पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है:–

"कि सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 23 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 296 के साथ यह खण्ड जोड़ा जाये।

'(2) Nothing in this article or in article 10 of the Constitution shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any minority community which, in the opinion of the State is not adequately represented in the services under the State.' "

[(2) संविधान के इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 10 की कोई बात राज्य को, ऐसे किसी अल्पसंख्यक समुदाय को, जिसको राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधान नहीं प्राप्त है, नियुक्तियों या पदों के लिये उपबंध करने से नहीं रोकेगी।]

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:—

"कि संशोधन सूची के संशोधन नं. 3163 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 296 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये:—

'296. The Claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State.' "

Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts.

[296. संघ या राज्यों के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन-कार्य पटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमवासियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।]

सेवाओं और पदों के लिये अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के दावे।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 296 यथा संशोधित रूप में संविधान का अंग समझा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 296 यथा संशोधित रूप में संविधान में शामिल किया गया।

अनुच्छेद 299

***श्री के.एम. मुन्शी** (बम्बई: जनरल): मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:–

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 299 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये–

Special Officer for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, etc.

'299. (1) There shall be a Special Officer for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to be appointed by the President.

(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this Constitution and report to the President upon the working of those safeguards at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament.

(3) In this article, the reference to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed as including the reference to such other backward classes as the President may on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of article 301 of this Constitution by order specify and also to the Anglo-Indian community.' "

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों इत्यादि के लिये विशेष पदाधिकारी।

[299. (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये इस संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्य होने के सम्बन्ध में ऐसी अन्तराविधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति निदिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(3) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 301 के खण्ड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे तथा आंग्ल-भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी हैं।]

इस संशोधन पर मुझे कुछ कहने की जरुरत नहीं है। विशेष प्राधिकारी की व्याख्या इस उद्देश्य से की जा रही है कि संविधान के अन्य अनुच्छेदों द्वारा जो राजनैतिक परित्राण दिये गये हैं उनकी वह देखभाल कर सके। इन शब्दों के साथ मैं यह अनुच्छेद उपस्थित करता हूं।

***अध्यक्षः** पहले मैं उन संशोधनों को लूंगा जो श्री मुंशी के संशोधन के सम्बंध में आये हैं।

(संशोधन नं. 78 पेश नहीं किया गया।)

***श्री आर.के. सिधवाः** मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान्:—

"कि ऊपर के संशोधन नं. 64 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खण्ड (3) में 'to such other backward classes...'

किन्तु यहां 'पिछड़े हुए वर्ग' रखा नहीं गया है। श्री मुंशी ने केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का ही यहां उल्लेख किया है। अगर यह बात है तो मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहूंगा।

***अध्यक्षः** खण्ड (3) में श्री मुंशी ने यह कहा है:—

"In this article, the reference to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed to including the reference to such other backward classes as the President may on receipt of the report etc."

(इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश जिनको राष्ट्रपति..... नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे इत्यादि।)

***श्री आर.के. सिधवा:** तब मैं संशोधन रखता हूं श्रीमान:—

"to such backward classes as the President may on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of article 301 of this Constitution, by order specify and'

[ऐसे अन्य पिछड़े हुए वर्गों के प्रति जिनको राष्ट्रपति का संविधान के अनुच्छेद 301 के खण्ड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे, तथा] शब्दों को इस खण्ड से हटा दिया जाये।"

मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि अपने पहले के संशोधन पर बोलते समय मैं इस बात की चर्चा कर चुका हूं। मैं जानता हूं अनुच्छेद 301 के पिछड़े हुए वर्गों के लिये उपबन्ध किया गया है किन्तु मुझे इस बात का पूरा विश्वास नहीं है कि राष्ट्रपति के लिये यह बताना आसान होगा कि कौन-कौन लोग पिछड़े हुए माने जायेंगे। मैं यह महसूस करता हूं कि पिछड़े हुए वर्गों के लिये जो यह अनुच्छेद है वह केवल कोरा कागजी अनुच्छेद ही रह जायेगा और कभी इस पर अमल नहीं किया जा सकेगा। मैं जानता हूं कि पिछड़े हुए वर्गों के जो लोग लिये जायेंगे वह केवल ऐसे ही लोग होंगे जो अपने को उस वर्ग में इसीलिये शामिल करायेंगे कि उनकी वैयक्तिक समुन्नति हो सके और वह अपना निजी स्वार्थ सिद्ध कर सकें। मैं जानता हूं कि पिछड़े हुए वर्गों के लोग अपने को इसी लिये शामिल करायेंगे कि उनको चन्द नौकरियां मिल जायें। अपने गरीब समुदाय की उन्हें कोई चिन्ता न होगी। इसलिये 'पिछड़े हुए वर्ग' शब्दों के रखने पर मुझे प्रबल आपत्ति है। अनुच्छेद 301 में कहा गया है कि ".....सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की अवस्थाओं के, और उनकी कठिनाइयों के अनुसंधान के लिये....." इसका आखिर मतलब क्या होता है? यहां तो 80 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। क्या ये सबके सब पिछड़े हुए माने जायेंगे? कभी-कभी तो ऐसा देखने में आता है कि, अशिक्षितों को शिक्षितों की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञान है, बातों को सोचने समझने का।

इसलिए मैं तो यही मानता हूं कि यहां पिछड़ा हुआ वर्ग बोल कर कोई वर्ग नहीं है। असल में अंग्रेजों की यह मंशा थी कि बहुतों को पिछड़ा हुआ वर्ग की संज्ञा देकर दुनिया के सामने उनका प्रदर्शन किया जाये और यह बताया जाये कि भारत इतना पिछड़ा हुआ है कि वह स्वराज्य के लायक नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि अपने संविधान में "पिछड़ा हुआ वर्ग" पदसंहति को स्थान देकर उसे स्थायित्व दिया जाये। जितना ही शीघ्र हम इसे हटा दें उतना ही देश का भला होगा और दुनिया की निगाह में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सिवाय और किसी के लिये कोई रक्षण की व्यवस्था न रहनी चाहिये। अगर कोई ऐसा वर्ग है जो यह महसूस करता है कि राज्याधीन सेवाओं में उसके वर्ग को उचित प्रतिनिधान नहीं मिला है तो उसके लिये उसे समुचित प्राधिकारियों के पास जाकर अपनी शिकायत करने की कोशिश करनी चाहिये। सरदार पटेल की वक्तृता सुनने के बाद, मैं यह नहीं समझता हूं कि किसी भी वर्ग के साथ,

जो सहानुभूति और न्याय पाने का अधिकारी है, कोई भी अन्याय किया जायेगा। और अगर कोई अन्याय किया जाता है तो हमारे नेता तो हैं ही वे लोग उसके हितों का जरूर बचाव करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं और सभा से सिफारिश करता हूं कि वह उसे स्वीकार करे।

(संशोधन नं. 80, 258 और 284 पेश नहीं किये गये।)

***श्री एच.वी. कामतः** संशोधन नं. 65 का क्या हुआ?

***अध्यक्षः** उसी की ओर मैं आ रहा हूं। अब तक हमने उन संशोधनों को लिया है। जो श्री मुंशी द्वारा पेश किये गये संशोधन नं. 64 पर आये हैं। श्री मुंशी का संशोधन नं. 63 के बारे में है और नं. 63 है संशोधन नं. 43 के बारे में। नं. 63 में यह कहा गया है कि संशोधन नं. 43 की जगह उसे रखा जाये और नं. 64 में यह कहा गया है कि नं. 63 की जगह उसे रखा जाये। इसलिये संशोधन नं. 64 पर आये संशोधनों को मैंने पहले लिया है। अब अगर कोई सदस्य अपना अन्य संशोधन पेश करना चाहते हैं और वह नं. 64 के साथ ठीक बैठता तो उसे पेश करने की मैं अनुमति दूंगा अन्यथा नहीं। मैं केवल संशोधनों का नं. बोल दूंगा और उसके प्रस्तावक सदस्य यदि उसे पेश करना चाहें तो वे पेश कर सकते हैं।

नं. 44 जो श्री लक्ष्मी नारायण साहू और श्री कुलधर चालिहा के नाम से हैं।

***श्री कुलधर चालिहा** (आसामः जनरल): मैं यह संशोधन पेश करता हूं श्रीमानः–

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खण्ड (2) के अन्त में 'for its approval, modification or addition.'

(उसके द्वारा अनमोदन, रूप भेद और अभिवर्धन के लिये) शब्द जोड़ दिये जायें।"

***अध्यक्षः** आप कौन सा संशोधन पेश कर रहे हैं?

***श्री कुलधर चालिहाः** मैं पेश कर रहा हूं संशोधन नं. 71 को।

***अध्यक्षः** ठीक है, अपनी बात कहिये।

***श्री कुलधर चालिहाः** अनुच्छेद में केवल इतना ही कहा गया है श्रीमान् कि प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा। हमें यहां यह साफ साफ बता देना चाहिये कि इस सम्बन्ध में संसद की शक्तियां क्या होंगी। इसीलिये मैंने इन शब्दों को यहां जोड़ने का सुझाव दिया है क्योंकि उससे खण्ड और स्पष्ट हो जायेगा। मेरा निजी अनुभव यही है कि सदन के समक्ष ऐसे अनेक प्रतिवेदन रखे जाते हैं पर बहुत ही कम सदस्य ऐसे हैं जो उसको बारीकी से देखते हों या उसे अमल मे लाने के लिये कुछ करते हो, इसीलिये मैंने यहां उन शब्दों

[श्री कुलधर चालिहा]

को जोड़ने का सुझाव दिया है कि संसद का कर्तव्य क्या है यह यहां स्पष्ट हो जाये। मुझे विश्वास है कि मसौदा समिति और डॉ. अम्बेडकर इन शब्दों को यहां रख लेंगे। सभा से मैं इस बात की सिफारिश करता हूं कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार करे।

***अध्यक्ष:** और कोई सदस्य कोई संशोधन रखना चाहते हैं क्या? हां, आप भी तो कोई संशोधन रखना चाहते थे सरदार भूपेन्द्र सिंह जी मान?

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** हां नं. 67 और 69 को मैं पेश करना चाहता हूं जो श्री मुंशी के संशोधन नं. 63 से सम्बन्ध रखते हैं।

मैं ये संशोधन रखता हूं:

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) में, 'by the President' (राष्ट्रपति नियुक्त करेगा) शब्दों के आगे 'and a Special Officer for minorities for each State for the time being specified in Part I and II and Part III of the First Schedule, who shall be appointed by the Governor or Rajpramukh of the State, as the case may be' (तथा प्रत्येक राज्य में जो प्रथम अनुसूची के भाग 1, 2 और 3 में अभी उल्लिखित हैं, अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा। जिसे यथास्थिति, राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख नियुक्त करेगा) शब्द जोड़े जायें।"

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खण्ड (2) में, 'Under this Constitution and' (इस संशोधन के अधीन) शब्दों के आगे 'their representation in different Legislatures and services of the country' (देश के विभिन्न विधान मंडलों और सेवाओं में उनके प्रतिनिधान का,) शब्दों को रखा जाये।"

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 की व्याख्या के अन्त में 'Muslim, Christian and Sikh' (मुसलमान, ईसाई और सिख) शब्द जोड़ दिये जायें।"

मेरे पहले संशोधन में यह कहा गया है कि राज्यों में अल्पसंख्यकों के लिये विशेष पदाधिकारी रखने की जो बात शुरू में प्रस्तावित की गई थी उसके अनुसार ही हमें इस सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिये। मैं यह अनुभव करता हूं कि केन्द्र में जो अल्पसंख्यक पदाधिकारी होगा वह राज्यों से उतनी दूर रहेगा कि वह इस बात को नहीं देख सकेगा और न इसका अनुसंधान कर सकेगा कि संविधान पर किस तरह अमल किया जा रहा है। यदि राज्यों के लिये अल्पसंख्यक पदाधिकारियों

के रखने की व्यवस्था नहीं की जाती है तो अनुच्छेद 299 में परित्राण का जो उपबंध रखा गया है वह कभी प्रभावी नहीं हो सकेगा। आखिर और किसी बात से अधिक महत्व यह बात रखती है कि राज्यों में प्रशासन किस तरह चल रहा है, वहां के दैनिक जीवन में प्रशासन कहां तक संविधान पर अमल करता है। मैं यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि न केवल केन्द्र में ही एक अल्पसंख्यक-पदाधिकारी रहना चाहिये बल्कि राज्यों में भी एक ऐसा पदाधिकारी होना चाहिये।

मेरे बाकी दो संशोधनों में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक-पदाधिकारी न केवल इस बात का ही अनुसंधान करेगा कि संविधान में रखे गये रक्षणमूलक उपबंधों पर कहां तक अमल किया जा रहा है बल्कि वह अल्पसंख्यकों से सम्बन्ध रखने वाली और बातों को भी देखेगा और इस बात का ख्याल रखेगा कि विधान मंडलों में और नौकरियों में उनको कहां तक प्रतिनिधान मिला है। अल्पसंख्यकों के बारे में यहां लोगों में में कुछ गलत फहमियां दिखाई देती हैं। कुछ मित्रों का कहना यह है कि चूंकि अल्पसंख्यक-मंत्रणा समिति ने यह फैसला किया है कि विधान-मण्डलों में इनके लिये स्थान रक्षण की व्यवस्था नहीं रखी जायेगी इसलिये देश में अब कोई अल्पसंख्यक रह ही नहीं जायेंगे। मैं अवाक इस बात से हूं कि आखिर कोरे कागजी प्रस्ताव से यह समस्या कैसे मिट जायेगी और वह भी करीब एक साल की लघु अवधि के अन्दर।

संविधान सभा के पूर्व के निर्णयों से जहां तक में समझ पाता हूं स्थिति यह है कि इस सभा ने यह मंजूर किया है कि देश में अल्पसंख्यक वर्ग हैं। इस सभा ने उन्हें क.ख. और ग. इन तीन गुटों में बांटा है। न केवल इतना ही, मेरे हाथ में अभी एक पुस्तिका है जिसे इंफारमेशन और ब्राडकास्टिंग की मिनिस्ट्री ने प्रकाशित कराया है। इसमें भी यही मत प्रकट किया गया है और कहा गया है कि ये लोग अल्पसंख्यक हैं धर्म के आधार पर। इसमें भारतीय संघ राज्य में मुसलमान, सिख, इसाई, पारसी और ऐंग्लो इंडियन ये पांच अल्पसंख्यक वर्ग बताये गये हैं। अब इस मत के विरूद्ध बहस करना अपनी बात से मुकरना है।

खुशी की बात यह है कि अब एक अनुकूल वातावरण पैदा कर दिया गया है और अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यक समुदाय की सद्भावना पर विश्वास कर लिया है। उनको यह भरोसा हो गया है कि उनका अस्तित्व सर्वथा समाप्त न हो जायेगा। हम यह आशा करके इस दिशा में आगे बढ़े हैं कि हमारे साथ अन्याय न होगा। किन्तु इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अब कोई अल्पसंख्यक वर्ग यहां रह ही नहीं गया। आखिर परित्राण का उपबंध तो इसी बात के लिये ही रखा जाता है कि देश की शासन व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को जो अंश मिलना चाहिये वह प्राप्त रहे। अब हमें इस बात का पक्का आश्वासन हो जाता है कि जहां तक शासन व्यवस्था का सम्बन्ध है, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होने पायेगा तो फिर यह स्वाभाविक है कि विधान मंडलों के लिये या अन्य जगहों के लिये हम राजनैतिक रक्षण पाने की मांग ही न करेंगे।

हम यह कहेंगे हमारा यह प्रयोग बड़े साहस का काम है। मैं इसके साफल्य की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह अवश्य सफल होगा। इसे सफल होना ही चाहिये। यदि यह सफल होता है, अगर अल्पसंख्यकों की आशंकायें

[सरदार भूपेन्दर सिंह मान]

अन्ततोगत्वा मिथ्या सिद्ध हो जाती है तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। पर इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए ही मैं यह कह रहा हूं कि अल्पसंख्यकों की सभी बातों का पुनरीक्षण होना चाहिये और सभी अल्पसंख्यकों के लिये अल्पसंख्यक-पदाधिकारी नियुक्त किये जाने चाहियें। आखिर ऐसी व्यवस्था कर के आप किसी को कुछ दे तो रहे नहीं हैं। आप यह तो कर नहीं रहे हैं कि किसी को कोई कोटा या अंश दे रहे हैं या किसी के लिये जगहें रक्षित रख रहे हैं आप तो केवल इतना ही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक-पदाधिकारी अल्प-संख्यकों के और अनुसूचित जातियों के मामले का पुनरीक्षण करेंगे।

आप तो अपने कंधों पर एक बहुत बड़े दायित्व का भार ले रहे हैं। आप हमें इस बात का वचन दे रहे हैं कि आपकी ओर से कोई ऐसी बात न होगी जिससे हम चिंता में पड़ सकते हो। फिर डॉ. अम्बेडकर से मैं यह पूछता हूं कि सभी अल्पसंख्यकों के मामलों की पुनरीक्षण की बात यहां रखने में आप क्यों सकुचा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप हमेशा ठीक और न्याय का ही बर्ताव करेंगे और अल्प-संख्यकों को उनका समुचित अंश अवश्य मिलेगा। फिर यहां यह उपबंध रखने में नुकसान ही क्या है कि इन सभी बातों पर समय-समय पर विचार किया जायेगा और उन्हें संसद के समक्ष रखा जायेगा? इससे यह होगा कि हम लोगों को संविधान के अधीन अपनी स्थिति पर पुनरीक्षण करने का अवसर मिल जायेगा। अगर ऐसा उपबंध नहीं रखा जाता है तो एक मात्र दूसरा उपाय यही रह जायेगा कि हम आन्दोलन करके आप के कान में यह बात डालें कि हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है। मैं तो इसे सोच कर ही कांप जाता हूं, बजाय इसके लिए अल्पसंख्यक अपनी शिकायतों को जताने के लिये किसी अवैध उपाय का अवलम्बन करें, अच्छा यही होगा कि यह उपबंध रख दिया जाये ताकि उन्हें अपनी शिकायतों को जताने का एक सांविधानिक मार्ग मिल जाये। मैं यह विश्वास करता हूं कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा किन्तु केवल इस आधार पर एक सांविधानिक मार्ग को बन्द करना ठीक नहीं हो सकता है।

मैं आप से साग्रह यह अनुरोध करूंगा कि इन अनुच्छेदों का सर्वथा निराकरण न कर दीजिये; जो कुछ आप स्वीकार कर चुके हैं उस पर अब पुनः विचार न शुरू कीजिये। मैं अपने कर्तव्य से च्युत होऊंगा अगर यहां यह न कह दूं कि यदि इन अनुच्छेदों को—296 और 299 को—नराकृत किया जाता है तो जहां तक हमारे समुदाय का सम्बन्ध है, इसका बड़ा व्यापक और गहरा प्रतिघात पड़ेगा। हमें हमेशा जो मानसिक आश्वासन आप देते आये हैं वह इससे जाता रहेगा। आपने कहा यह था कि "चिन्ता न करो, कोई न कोई आदमी हमेशा इस बात को देखता रहेगा कि संविधान पर किस तरह अमल किया जा रहा है।" अब आप इस बात को वापस लिये ले रहे हैं और यह कह रहे हैं कि "न्याय हो या अन्याय हो, आपके मामले का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।" मेरा ख्याल यह है कि आप के इस रुख से यह होगा कि आपके आश्वासन के फलस्वरूप जो अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा हो गया है उसको नुकसान पहुंचेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक कि अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, संविधान किस तरह कार्यान्वित किया जा रहा है इसे देखने के लिये जो व्यवस्था आपने पहले की थी उसे यदि आप हटा

देते हैं तो हमारी जो यह रही सही आशा है कि वैधानिक रूप से संसद के समक्ष अपनी बात कहने का और अपने मामलों का समय समय पर पुनरीक्षण कराने का मौका हमें मिलेगा, वह भी जाती रहेगी। मेरा यह विश्वास है श्रीमान कि जिस उपबंध को रखने का सुझाव दे रहा हूं उसके रखने से अपना संविधान किसी तरह भी कुरूप न होगा जैसाकि लोग आमतौर पर कह रहे हैं।

अब अन्त में मैं उस आश्वासन का जिक्र करूंगा जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसे मेरे सम्प्रदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने दे रखा है। इस बात से लोगों में एक धारणा पैदा हो गई है। और सरदार पटेल से असहमति व्यक्त करते हुए मैं यह कहूंगा कि एक गलत धारणा पैदा हो गई है। वस्तुतः जहां तक कि इस आश्वासन का सम्बन्ध है, (मैं उसे अस्वीकार नहीं करता हूं) इसकी बाबत मैंने उन प्रतिनिधियों से पूछा था और मुझे मेरे पास उस आश्वासन की प्रति मौजूद है। इसको लेकर मेरे सम्प्रदाय में और अन्यत्र भी कुछ गलत फहमी पैदा हो गई है जिसकी वजह से सिखों पर यह दोषारोप किया जा रहा है कि वह अपनी बात से हट रहे हैं। मैं इस गलत फहमी को दूर कर देना चाहता हूं। अनुच्छेद 296 और 299 को सभा ने उसी रूप में मंजूर किया था जिसमें कि मंत्रणा-समिति ने इसे मंजूर करने की सिफारिश की थी और इसके मसौदे में कोई अदल बदल नहीं किया गया था और यह भी ऊपर से मान लिया गया था कि अनुसूचित जातियों को इसमें शामिल कर लिया जायेगा। इन सब बातों को देख कर ही सिखों ने यह बात कही थी कि वह अब और किसी भी बात की मांग न करेंगे। किन्तु उनसे यह वचन लेकर अब अगर आप पीछे हटते हैं और सभा में इस प्रश्न पर पुनर्विचार प्रारम्भ करके अनुच्छेद 296 और 299 के उपबंधों से हटते हैं तो हम पर यह दोषारोप नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी बात से हट रहे हैं। समझौते में जो ठीक ठीक शब्द रखे गये हैं उनको मैं पढ़कर सुनाये देता हूं। अगर समझौते में और कोई बात कही गई थी तो आप उसे सामने रखिये ताकि गलत फहमी दूर की जा सके। सिखों ने जो आश्वासन दिया उसके शब्द ये थे:—

> "पूर्वी पंजाब की विधान-सभा के हम सिख सदस्य अल्पसंख्यक-मंत्रणा-समिति की उप-समिति के प्रतिवेदन के प्रसंग में यह कहना चाहते हैं कि जहां तक कि प्रतिवेदन का सिख सम्प्रदाय की समस्याओं से सम्बन्ध है, उसमें जो बातें कहीं गई है उनके अलावा निम्नलिखित बातें भी उसमें आनी चाहिये....."

अल्पसंख्यक-मंत्रणा-समिति की कतिपय सिफारिशों को आपने स्वीकार किया जो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में रखी गई हैं। जहां तक कि नौकरियों में उनके अंश का प्रश्न है, उसके बारे में आपने यह कहा है कि यह भी दिया जायेगा और उसके लिये एक विशेष अनुच्छेद संविधान में रख दिया जायेगा आपने यह भी कहा है कि सभी अल्पसंख्यकों के लिये अल्पसंख्यक-पदाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। आपने यह सभी बातें मंजूर की थीं तब हमने यह वचन दिया था कि जो परित्राण दिये गये हैं उनके अलावा और किसी परित्राण की मांग हम न करेंगे।

***श्री आर.के. सिधवा:** क्या आप ने कहा? क्या देना मंजूर किया गया था?

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** जो परित्राण आपने दिये हैं वह अभी तक निराकृत नहीं किये हैं। यह परित्राण देना आपने मंजूर किया था सन् 1947 में।

***श्री आर.के. सिधवा:** उसके बाद बहुत सी नई बातें पैदा हो गई।

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** मैं उसका भी जिक्र करने जा रहा हूं। इसके बाद मंत्रणा समिति ने अपना दूसरा प्रतिवेदन किया जो 11 मई सन् 1949 का था। यदि माननीय मित्र इसे ध्यान से पढ़े तो, जहां तक कि इन दो प्रस्तावों का सम्बन्ध है, उसमें इसका कोई उल्लेख उन्हें नहीं मिलेगा। जहां तक कि विधान-मण्डलों में स्थान-रक्षण की व्यवस्था का सम्बन्ध है, इस प्रतिवेदन में यह व्यवस्था जरूर हटा दी गई है। किन्तु नौकरियों में जगह देने की बात और अल्पसंख्यकों के लिये अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त करने की बात इसमें ज्यों की त्यों बनी हुई है। माननीय मित्र से मैं कहूंगा कि इस सभा द्वारा मंजूर किये गये, मंत्रणा समिति के बाद वाले प्रतिवेदन से वह एक भी वाक्य या पंक्ति पेश तो करें जिससे यह जाहिर हो सके कि अनुच्छेद 296 और 299 को निराकृत किया गया है।

***श्री आर.के. सिधवा:** अल्पसंख्यक समिति का मैं शुरू से ही सदस्य रहा हूं पर मुझे नहीं याद आता है कि कभी भी यह प्रश्न वहां इस रूप से उठा हो जैसा कि माननीय मित्र बता रहे हैं।

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** यदि माननीय मित्र की निगाह में यह बात न आ सकी हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? किन्तु यह बात लिखित रूप में आ गई है और मेरे लिये यह बड़े महत्व की बात है आप.....

***अध्यक्ष:** वह लेख्य क्या है जिसे पढ़कर आप अभी सुना रहे थे? आप किसी वचन का जिक्र कर रहे थे?

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** मैं कतिपय उन आश्वासनों का जिक्र कर रहा था जिन्हें कहा जाता है कि सिख समुदाय ने दे रखा है। कहा जाता है कि सिखों ने यह वचन दे रखा है कि वह और किसी बात की मांग न करेंगे और किसी रक्षण की मांग न करेंगे। वस्तुत: यह बात समाचार पत्रों में भी आ गई हैं। मानों हमने कोई ऐसा आश्वासन दे रखा है कि अब हम अपने अधिकारों की मांग न करेंगे।

***अध्यक्ष:** वह लेख आपके पास है क्या?

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** हां मेरे पास है।

***अध्यक्ष:** तो उसे पढ़कर सुनाइये।

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** उसे मैंने पढ़ तो दिया है।

***अध्यक्ष:** मैंने ठीक ठीक सुना नहीं। यदि आपने उस समूचे लेख्य को यहां पढ़ दिया है जिसका जिक्र सरदार पटेल कर रहे थे.....

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** मेरे पास जो प्रति है वह यह है। यदि वह और कोई अन्य लेख है तो मैंने जो कुछ पढ़ा है यह शायद गलत पढ़ा है।

***अध्यक्ष:** मेरा ख्याल है अच्छा यह होगा कि आप उसे पढ़कर सुना दें ताकि सरदार पटेल और कोई भी यह जान सकें कि आया यह वही लेख है या दूसरा।

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** मैं कह चुका हूं कि मुझे उस लेख के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। सिख प्रतिनिधियों ने अपने आश्वासन को जिस लेख में दिया था उसके बारे में मैंने पता लगाया था और मुझे मालूम हुआ है कि यही वह लेख्य है जिसमें उन्होंने अपने आश्वासन दिये हैं।

***अध्यक्ष:** लेख में क्या है यह तो हमें बताइये।

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** हां मैं पढ़कर सुना देता हूं। यह यों है:

"पूर्वी पंजाब की विधान सभा के हम सिख सदस्य अल्पसंख्यक-मंत्रणा-समिति की उपसमिति के प्रतिवेदन के प्रसंग में यह कहना चाहते हैं कि जहां तक कि सिख समुदाय की समस्याओं का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की गई हैं उनके अलावा उसमें यह बातें भी होनी चाहिये।

(1) सिखों के पिछड़े हुए वर्गों को अर्थात् मजहबी, कबीर पन्थी, रामदासी, बाबरिया, सरेना और सिकलीगर जातियों को, राजनैतिक अधिकारों के मामले में अनुसूचित जातियों के बराबर रखा जाये। यह किया जा सकता है इस तरह:-

(क) इन वर्गों को, संविधान के प्रारूप में संख्याबद्ध किये गये अनुसूचित जातियों में शामिल करके, या

(ख) सभी अल्पसंख्यकों के लिये, जिसमें कि पूर्वी पंजाब की अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं, स्थान रक्षण की व्यवस्था को उठा करके; या

(ग) सिखों के लिये रक्षित जगहों में से सिखों के इन पिछड़े हुए वर्गों के लिये जगहें रक्षित करके। सिखों में इन वर्गों की संख्या करीब दस प्रतिशत है। सिखों की जगहों से दस प्रतिशत जगहें इनको इस तरह मिलेंगी।

[सरदार भूपेन्दर सिंह मान]

(2) भाषा लिपि और संस्कृति के सम्बन्ध में या तो संविधान में प्रादेशिक आधार पर कोई व्यवस्था उपबन्धित होनी चाहिये या कार्यपालिका की कार्रवाई द्वारा इसको सद्यः तय कर देना चाहिये।

(3) पूर्वी पंजाब के बाहर जो सिख अल्पसंख्यक हैं उनको वही अधिकार मिलना चाहिये जो राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में अल्पसंख्यकों को दिया गया हो या दिया जाये।

हम सादर यह सुझाव देंगे कि इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय न किया जाये इससे पहले हमें अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये ताकि हम अपनी बात का खुलासा कर सकें। हम यह भी कह देना चाहते हैं कि जहां तक संविधान में उपबन्ध रखने का सवाल है, हमें अब अन्य परित्राण की मांग नहीं करनी है। इस सुझाई गई व्यवस्था के होने से सिखों को जो सन्तोष मिलेगा उससे बड़ी मदद इस बात में मिलेगी कि सिख जनता राष्ट्रीय हितों का समर्थक बन जायेगी।"

***श्री आर.के. सिधवा:** इस पर हस्ताक्षर किसने किया है?

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** सिख सदस्यों ने तथा सिख प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं। सवाल यह है कि हमें सिखों का विश्वास प्राप्त करना है। मैं फिर यह कहूंगा कि जो कुछ मंजूर किया जा चुका है उसे अब इनकार किया जा रहा है।

***श्री आर.के. सिधवा:** अनुच्छेद में तो ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि किसी प्रदत्त अधिकार को अब अस्वीकार किया जा रहा है।

***अध्यक्ष:** इस लेख्य की एक प्रति आप मुझे दीजिये। सरदार पटेल से पूछ कर मुझे यह तय करना है कि आया यह वही लेख्य जिसे सिख प्रतिनिधियों ने दिया है या कोई दूसरा है। सरदार पटेल से दरयाफ्त करके यह मैं आपको बताऊंगा।

***सरदार भूपेन्दर सिंह मान:** श्री सिधवा यह अच्छी तरह जानते हैं कि अध्यक्ष ने आज जो निर्णय किया है उसे देखते हुए यह कहना होगा इस मसले पर अब पुनर्विचार होने जा रहा है।

***अध्यक्ष:** जहां तक इस पर पुनर्विचार करने का सम्बन्ध है, इस पर आपत्ति ही इस आधार पर उठाई गई थी कि इस पर निर्णय किया जा चुका है और मैंने यह कहा था निर्णय होने पर भी इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। किन्तु पुनर्विचार से मेरा मतलब यह नहीं था कि किसी बात से अब पीछे हटा जायेगा। पुनर्विचार करने के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई गई थी कि इस पर पहले निर्णय किया जा चुका है और अब जो निर्णय किया जा रहा है वह पहले वाले निर्णय

से असंगत होगा। उस आपत्ति पर मैंने यह मत व्यक्त किया था कि फिर भी इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है अगर 25 प्रतिशत सदस्य पुनर्विचार के पक्ष में हों।

***श्री एच.वी. कामतः** मैं यह संशोधन पेश करता हूं श्रीमानः–

"कि संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खण्ड (2) के अन्त में 'for such action as Parliament may deem necessary' (ऐसी कार्रवाई के लिये जैसा कि संसद आवश्यक समझे) शब्द जोड़ दिये जायें।"

संभव है श्रीमान कि जब प्रतिवेदन इस अनुच्छेद के अधीन नियुक्त विशेष पदाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाय तो संसद इस बात को आवश्यक या अत्यावश्यक समझे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों ने जितनी उन्नति कर ली है उसे देखते हुए देश के हित में सर्वोत्तम यह होगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की संज्ञा को बिल्कुल उठा दिया जाये और इन सब को विशाल हिंदू संप्रदाय का अंग मान लिया जाये। अगर ऐसा करना जरूरी हुआ तो यह काम अकेले राष्ट्रपति पर नहीं छोड़ा जा सकता है। संविधान में ऐसा निर्णय लेने का अधिकार संसद को दिया गया है। संविधान के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों को सांविधानिक रक्षणों की प्रत्याभूति दी गई है सुतरां इस तरह का महत्वपूर्ण निर्णय केवल संसद ही कर सकती है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो प्रतिवेदन संसद के सामने रखा जाये उस पर कार्रवाई राष्ट्रपति न करे। उस पर जो कुछ कार्रवाई करनी हो, वह संसद ही करे।

एक दूसरा संशोधन है नं. 75 का जो संशोधन नं. 63 के बारे में हैं। किंतु दुर्भाग्य से इस संशोधन की जगह एक दूसरा संशोधन रख दिया गया है नं. 64 को, जिसे श्री मुन्शी ने पेश किया है। किंतु, मेरा संशोधन इस संशोधन पर भी किंचित परिवर्तित रूप में लागू हो सकता है। संशोधन नं. 63 में जो व्याख्या है?....

***अध्यक्षः** संशोधन नं. 63 में कोई व्याख्या नहीं रखी गई है।

***श्री एच.वी. कामतः** व्याख्या की जगह संशोधन नं. 64 में खंड (3) है। इस संशोधन में ऐंग्लो इंडियन समुदाय के लिये रक्षण प्रस्तावित किया गया है। मेरी तुच्छ राय यह है कि यहां ऐंग्लो इंडियन समुदाय का स्पष्ट उल्लेख बिल्कुल बे मौके हैं। हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये परित्राण उपबन्धित किये हैं पर....

***अध्यक्षः** मेरा ख्याल यह है कि वस्तुतः संशोधन नं. 75 की मूल बात खंड (3) में आ गई है। संशोधन नं. 64 के खंड (3) में अब ऐंग्लो इंडियन समुदाय नहीं शामिल किया गया है।

***श्री एच.वी. कामतः** शामिल किया गया है श्रीमान्। उसमें अन्तिम शब्द रखे गये है "ऐंग्लो इंडियन समुदाय"। मैं चाहता हूं कि ये शब्द हटा दिये जायें।

***अध्यक्ष:** ठीक है, ये शब्द तो आये हैं।

***श्री एच.वी. कामत:** इसमें कहा यह गया है कि "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रति निदेश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निदेश, जिनको राष्ट्रपति आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे, तथा ऐंग्लो इंडियन समुदाय के प्रति निदेश भी है।" ऐंग्लो इंडियन समुदाय न तो पिछड़ा हुआ वर्ग है और न अनुसूचित जाति है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के साथ इन्हें कैसे रखा जा सकता है। इस समुदाय के लिये तो एक मात्र परित्राण यही दिया जायेगा कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल यह समझते हों कि इस समुदाय को विधान मंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधान नहीं मिला है तो मनोनयन के द्वारा लोक सभा में और राज्यों के विधान मंडलों में इसके लिये प्रतिनिधान दिया जायेगा। और फिर यह व्यवस्था भी केवल दस साल के लिये रहेगी। इस अवधि के बाद यह परित्राण स्वत: समाप्त हो जायेगा।

जहां तक कि इस समुदाय को नौकरियों में जगहों के रक्षण की सुविधा देने का सवाल है मैं यह कहता हूं कि यह समुदाय पिछड़ा हुआ नहीं है और आज भी कई सेवाओं में तो इसे इतनी जगहें मिली हुई हैं जो इसकी आबादी को देखते हुए कहीं ज्यादा हैं। इसलिये मैं यह महसूस करता हूं कि खंड (3) में ऐंग्लो इंडियन समुदाय का उल्लेख करना सर्वथा अनावश्यक है। इसे धर्म के आधार समुदाय नहीं माना जा सकता है। अधिक से अधिक प्रजाति के आधार पर ही इसे एक समुदाय हम मान सकते हैं। मेरा ख्याल यह है कि हमें इस देश में, प्रजाति के आधार पर निर्मित समुदायों को कतई कोई बढ़ावा नहीं देना चाहिये। अगर वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल होना ही चाहते हैं तो उन्हें भारत के ईसाई समाज में शामिल होना चाहिये। एक पृथक ऐंग्लो इंडियन समुदाय के रूप में वह अपना अस्तित्व, यहां बनाये रहे इसका कोई कारण नहीं है। आशा है कि इस अनुच्छेद के खंड (3) में आवश्यक संशोधन परिवर्तन अवश्य कर दिये जायेंगे।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:

"कि संशोधन सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये:

'299. (1) There shall be a special officer for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to be appointed by the President.

(2) The special officer in consultation with the President may appoint a special officer for each State who shall work exclusively under his superintendence, direction and control.

(3) The special officer appointed either for the Union or for a State shall not be a member either of the Scheduled Tribes, the Scheduled Castes or of such other backward classes as the President may on receipt of the report of a commission appointed under clause (1) of Article 301 of this Constitution by order specify.

(4) The salaries, allowances and pensions payable to the special officer for the Union and to the special officer for each State shall be expenditure charged on the revenues of India.

(5) It shall be the duty of the special officer for the Union to make annual recommendations as to the steps that should be taken by the Union and by each State to improve the economic, educational and cultural level of the Scheduled Tribes, the Scheduled Castes or of such other backward classes as the President may on receipt of the report of a commission appointed under clause (1) of Article 301 of this Constitution by order specify and as to the sums that should be separately allotted in the annual budget of the Union Government and of each State Government for the purpose; and the President shall cause all such recommendations to be laid before Parliament.

(6) Parliament shall have the power to reject or accept in whole or in parts any of the recommendations contained in the Report.

(7) All State Governments shall be bound to make annual allotment in their budgets of such sums as Parliament may deem to be necessary for the purpose of giving effect to the recommendations contained in the Report of the Special officer for the Union.

(8) Until the appointment of the Commission and consideration of its Report by the President under clause (1) of Article 301 of the Constitution the backward classes shall consist of such castes and communities as may be determined by the President.

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

(9) The President may delegate the power to the special officer for the Union to supervise and give effect to all or any recommendations made by the commission appointed under Article 301 and accepted by the President.

(10) All appointment to be made under clauses (1) and (2) of this Article shall be made from the following category of persons:

(a) Doctors

(b) Scientists

(c) Socialogists, and

(d) Anthropologists

(11) Parliament shall have the power to repeal or amend any or all of the provisions of this Article.' "

[299. (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) यह विशेष पदाधिकारी राष्ट्रपति के परामर्श से प्रत्येक राज्य के लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है जो बिल्कुल उसके ही अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण में काम करेंगे।

(3) संघ या किसी राज्य के लिये नियुक्त विशेष पदाधिकारी न तो अनुसूचित जातियों का न अनुसूचित आदिमजातियों का या अन्य ऐसे किसी पिछड़े वर्ग का सदस्य होगा जिसे राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 301 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करेगा।

(4) संघ के विशेष पदाधिकारी को तथा प्रत्येक राज्य के विशेष पदाधिकारी को जो वेतन, भत्ते और निवृति वेतन देय होंगे वह भारतीय राजस्व पर प्रभारित व्यय होंगे।]

(5) संघ के विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह उस बारे में अपनी वार्षिक सिफारिश दे कि अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित आदिम जातियों की या ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों की, जिनको राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 301 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर, उल्लिखित

करे, आर्थिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक समुन्नति के लिये संघ द्वारा तथा प्रत्येक राज्य द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिये और कितनी रकमें संघ शासन के तथा राज्यों के वार्षिक बजट में उस प्रयोजन के लिये पृथक रखी जानी चाहिये, तथा राष्ट्रपति ऐसी सभी सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवायेगा।

(6) संसद को उसकी शक्ति होगी कि वह प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों को पूर्णत: या अंशत: स्वीकार अथवा अस्वीकार करे।

(7) संघ के विशेष पदाधिकारी के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये जितनी रकम संसद आवश्यक समझेगी उतनी रकम प्रति वर्ष अपने बजट में रखना सभी राज्य शासनों के लिये जरूरी होगा।

(8) तब तक जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 301 के खंड (1) के अधीन आयोग नियुक्त न हो जाये और राष्ट्रपति प्रतिवेदन पर विचार न कर ले, पिछड़े हुए वर्गों में वह जातियां या समुदाय माने जायेंगे जिनको राष्ट्रपति विनिश्चित करे।

(9) अनुच्छेद 301 के अधीन नियुक्त आयोग द्वारा की गई तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत सभी नियम किन्हीं सिफारिशों के प्रबंध के लिये तथा उनके कार्यान्वित करने के लिये राष्ट्रपति संघ के विशेष पदाधिकारी को अधिकार सौंप सकता है।

(10) इस अनुच्छेद के खंड (1) और (2) के अधीन की जाने वाली सभी नियुक्तियां इन श्रेणियों के लोगों में से की जायेंगी:

(क) डॉक्टर

(ख) वैज्ञानिक

(ग) समाज विज्ञानवेता, तथा

(घ) प्राणि विज्ञानवेत्ता।

(11) संसद को इस अनुच्छेद के किसी या सभी उपबन्धों को निरसित या स्थगित करने की शक्ति होगी।]

***सरदार हुकम सिंह:** मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान.....

***श्री आर.के. सिधवा:** यह संशोधन तो एक पहले मौके पर अस्वीकृत हो चुका है। ईसाई, पारसी और सिख समुदायों को इसमें शामिल करने की बात नामंजूर हो चुकी है।

***अध्यक्ष:** यह संशोधन है अनुच्छेद 299 के बारे में। अनुच्छेद 299 पर तो अभी विचार ही नहीं किया गया है, फिर यह कैसे अस्वीकृत हो चुका है। हां इसी तरह का एक संशोधन अनुच्छेद 296 के संबंध में अस्वीकृत हो चुका है।

***श्री आर.के. सिधवा:** यहां भी ईसाई, सिख और पारसी समुदायों को शामिल करने की बात कही गई है। पहले के एक अनुच्छेद पर विचार करते समय सभा इस सिद्धान्त को नामंजूर कर चुकी है।

***सरदार हुकम सिंहः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूंः—

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (2) की व्याख्या में 'means' शब्द के आगे 'the Muslims, the Christians, the Sikhs, the Parsees, the Anglo-Indians' शब्द रखे जायें।"

जिन बातों की चर्चा की जा चुकी है उनकी पुनरावृत्ति मैं यहां नहीं करूंगा किंतु.....

***श्री के.एम. मुन्शीः** मेरा एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान। मेरे संशोधन नं. 64 में है "परिमाणों से संबद्ध सब विषयों से"। यानी केवल उन्हीं परिमाणों से सम्बद्ध विषयों के बारे में जो संविधान में उपबन्धित किये गये हैं। मुसलमान, ईसाई, सिख और पारसी समुदायों के लिये कोई परित्राण नहीं उपबन्धित किये गये हैं। संविधान में अब तक जो परित्राण स्वीकृत हुए हैं वह है केवल ऐंग्लो इंडियन, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के बारे में। इसलिये मेरा कहना यह है श्रीमान्, कि अन्य समुदायों के लिये कोई परित्राण नहीं उपबन्धित किये गये हैं और यह संशोधन अनियमित है।

***सरदार हुकम सिंहः** संविधान के अधीन परित्राण अवश्य उपबन्धित किये गये हैं।

***श्री के.एम. मुन्शीः** इन समुदायों के लिये कोई परित्राण नहीं उपबन्धित किये गये हैं।

***सरदार हुकम सिंहः** अनुच्छेद 23 के अधीन अल्पसंख्यकों के लिये परित्राण रखे गये हैं। यह अनुच्छेद भी तो आखिर संविधान में ही शामिल है।

***श्री के.एम. मुन्शीः** अनुच्छेद 23 है संस्कृति संबंधी मूल अधिकार के बारे में जिसके लिये परित्राण का काम दे सकता है उच्चतम न्यायालय न कि यह विशेष पदाधिकारी।

***अध्यक्षः** इस पदाधिकारी को इस बारे में प्रतिवेदन देने को तो कहा जा सकता है कि उपबन्ध पर कहां तक अमल किया गया है। फेडरल न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाकर आप उससे इस बात पर फैसला पा सकते हैं कि संविधान के किसी अनुच्छेद विशेष का उल्लंघन किया गया है या नहीं। पर यह विशेष पदाधिकारी भी तो इस बारे में प्रतिवेदन दे ही सकता है कि आया संविधान के एक अनुच्छेद विशेष पर अमल किया गया है या नहीं। सरदार हुक्म सिंह का मतलब इसी बात से है।

***श्री के.एम. मुन्शीः** यह परित्राण नहीं हुआ श्रीमान्। मैं सादर कहूंगा कि यह परित्राण नहीं है। परित्राण का मतलब है राजनैतिक परित्राण से जो संविधान में उपबन्धित किया गया हो। मूलाधिकार तो सभी नागरिकों को ही प्राप्त हैं और अगर उनके अधिकार पर आघात पहुंचता है तो इसके लिए एक मात्र उपाय यह है कि वह उच्चतम न्यायालय से अपील करे। यदि विशेष पदाधिकारी को इसके अनुसंधान का अधिकार दिया भी जाता है तो इस अधिकार का कोई मूल्य नहीं है।

***अध्यक्षः** प्रशासन-प्रयोजनों के लिए इसका एक मूल्य है। शासन, विशेष पदाधिकारी के इस प्रतिवेदन को कि अमुक अधिकार को प्रदत्त किया गया है पालन नहीं किया जा रहा है या उसको मान्यता नहीं दी जा रही, ध्यान में रखेगा और उसके बारे में कार्यवाही करेगा।

***सरदार हुकम सिंहः** और अगर किसी अधिकार की उपेक्षा की जाती है और इसकी शिकायत फेडरल न्यायालय में नहीं की जाती है तो शासन का यह फर्ज नहीं है क्या कि वह इस बात को देखे कि अल्पसंख्यकों के साथ समुचित व्यवहार किया जा रहा है या नहीं, उनके साथ न्याय किया जा रहा है या नहीं?

जवाब से मैं भयभीत नहीं हूं। जो बातें कही जा चुकी हैं उनको मैं नहीं दुहराऊंगा। मैं एक या दो बातें ही आप के सामने रखूंगा। अनुच्छेद 296 पर जो मेरा संशोधन था और भी आवश्यक हो गया है कि अनुच्छेद 299 के अधीन विशेष पदाधिकारी के यह अधिकार प्राप्त रहे कि वह सभी अल्पसंख्यकों को दिये गये परित्राणों की देख भाल करे न कि केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के ही परित्राणों की। हमसे यहां कहा गया है कि हमें अपने नेताओं पर विश्वास करना चाहिये, अपने भविष्य पर भरोसा करना चाहिये। यह तो ठीक है, मैं मानता हूं। यह भी मान लेता हूं कि सभी लोग ईमानदार होंगे और शासन सब समुदायों के साथ न्याय करेगा। पर जब तक शासन को यह न मालूम हो कि कोई बात गलत तो नहीं हुई है, कहीं किसी के साथ अनुचित व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है, किसी वचन का उल्लंघन तो नहीं किया गया है, और सबके साथ न्याय हो रहा है, या नहीं, तब तक शासन आखिर न्याय करने में समर्थ ही कैसे होगा? जब तक कि शासन को इन सब बातों की जानकारी का कोई साधन न हो, वह कैसे किसी अन्याय का या किसी भूल का सुधार कर सकता है? इसलिये मेरा निवेदन यह है कि भले ही इन सब अल्पसंख्यकों को शामिल करना और अनुच्छेद 296 में इनका उल्लेख देना अनावश्यक समझा गया हो, पर यह है बहुत जरूरी कि नियुक्त किया जाने वाला विशेष पदाधिकारी इन सब बातों को देखे और अपने प्रतिवेदन में यह बताये कि, जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध है, संविधान के उपबन्धों पर किस तरह अमल हो रहा है। यह न होना चाहिये कि विशेष पदाधिकारी केवल दो ही वर्गों के संबंध में ध्यान दे।

इस मौके पर मैं एक बात का जवाब दे देना चाहता हूं जिसकी चर्चा यहां की गई है। मैंने एक सवाल किया था पर उसका जवाब मुझे नहीं दिया गया। माननीय श्री मुन्शी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि वह मेरे सवाल का जवाब दें। माननीय सरदार पटेल ने मुझ से यह कहा है कि अगर सिखों को इसका खेद है तो जो कुछ उन्हें दिया गया है उसे वापस कर दें और हमसे यह परित्राण ले लें। मैं यही जानना चाहता हूं कि उनको दिया क्या गया है। हमें यह बताया गया है कि हमारी चार पिछड़ी हुई जातियों को पिछड़े हुए वर्गों में शामिल कर लिया गया है। वह कहां किसी अनुसूची में शामिल किये गये हैं? मैं यही जानना चाहता हूं। पहले एक अनुसूची रखीं गई थी और आपने पिछड़े वर्गों को उसमें शामिल कराने के लिये हमें अपनी सभी मांगों का परित्याग करना पड़ा। किंतु अब वह अनुसूची ही उड़ा दी गई है। अनुच्छेद 300-क के अनुसार यह बात राष्ट्रपति

[सरदार हुकम सिंह]

पर छोड़ी गई है कि राज्यपाल से परामर्श करके वह यह बताये कि कौन-कौन जातियां अनुसूचित जातियां मानी जायेंगी। इसके लिये मैंने कीमत जरूर चुकाई है जैसा कि कहा गया है। जो कुछ भी मेरे पास था उसका मैंने त्याग किया है पर इसके लिये संविधान में मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मेरी शिकायत यही है और इसका जवाब मुझे मिलना चाहिये।

(संशोधन नं. 80 पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्ष:** बस इतने ही संशोधन इस पर आये हैं। कोई सदस्य कुछ कहना चाहते हैं क्या?

***माननीय सदस्यगण:** नहीं श्रीमान्।

***श्री के.एम. मुन्शी:** जवाब में मुझे चन्द शब्द ही कहने हैं। जहां तक कि माननीय मित्र श्री चालिहा के संशोधन का सवाल है, उनको यह मालूम होगा कि विशेष पदाधिकारी का जो प्रतिवेदन संसद के सामने रखा जायेगा वह एक तरह से एक विशेषज्ञ का प्रतिवेदन होगा। अवश्य ही संसद को उस पर विचार करने का अधिकार होगा। कोई सदस्य उस पर बहस उठा सकता है पर यह तो निश्चित है कि विशेषज्ञ ने अपने प्रतिवेदन में तथ्य दिये होंगे उसमें संसद कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं कर सकती है। उस प्रतिवेदन में तो केवल सामग्री रहेगी और संसद के समक्ष विचारार्थ वह रखी जायेगी। इसलिए मैं यह कहूंगा कि संशोधन नं. 71 यहां उपयुक्त नहीं होगा।

जहां तक कि श्री कामत के संशोधन नं. 80 का संबंध है, वस्तुत: मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात पर है कि वह "and also to the Anglo Indian community" (ऐंग्लो इंडियन समुदाय के प्रति निदेश भी है) शब्दों को हटाना चाहते हैं। अनुच्छेद 297 और 298 के द्वारा संविधान ने इस समुदाय को कुछ परित्राण दिये हैं और इस अनुच्छेद का मुख्य अभिप्राय यही है कि संविधान द्वारा जो राजनैतिक परित्राण कतिपय समुदायों को दिये गये हैं उन पर किस तरह अमल किया जा रहा है इसका अनुसंधान किया जाये और इसे संसद के समक्ष रखा जाये। यदि ऐंग्लो इंडियन समुदाय को कोई परित्राण दिये गये हैं तो इस पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह इस बात को देखे कि इन परित्राणों पर किस तरह अमल किया जा रहा है।

अब मैं लेता हूं सरदार हुकुम सिंह के संशोधन नं. 74 को जिसके द्वारा वह यह चाहते है कि ऐंग्लो इंडियन समुदाय के साथ मुसलमान, ईसाई, सिख और पारसी समुदायों को भी यहां शामिल कर लिया जाये। उस संबंध में सादर मैं यह निवेदन करूंगा कि अनुच्छेद 299 में जिन परित्राणों को देने की बात सोची गई वह कोई मूल अधिकार नहीं है जो सभी नागरिकों को प्राप्त रहेंगे। वह तो केवल राजनैतिक परित्राण हैं देशवासियों के कतिपय सुपरिभाषित वर्गों की रक्षा के लिये। अन्यथा तो विशेष पदाधिकारी को संविधान के सारे मूलाधिकारों के संबंध में ही इसको देखना होगा कि उन पर कहां तक अमल किया जा रहा है। जहां तक मैं अपने संशोधन को समझ पाता हूं यह केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम

जातियों, ऐंग्लो इन्डियन समुदाय और पिछड़े वर्गों के लिए है जिसको मूलाधिकार संबंधी अनुच्छेद 10 में निश्चित परित्राण दिये गये हैं और विशेष पदाधिकारी को यह देखना चाहिये कि इन पर ठीक ठीक अमल किया गया है या नहीं। ऐसी हालत में संशोधन नं. 74 में सुझाये गये "मुसलमान, ईसाई, सिख इत्यादि" शब्दों को मंजूर करना संभव नहीं है।

अब मुझे एक ही बात कहनी रह गई है और वह है सरदार भूपेन्द्र सिंह मान के संशोधन नं. 67 के बारे में।

***श्री एच.वी. कामतः** संशोधन नं. 72 का क्या हुआ?

***श्री के.एम. मुन्शीः** नं. 72 में सुझाये गये "ऐसी कार्यवाही के लिये जैसी कि संसद को उचित प्रतीत हो" शब्दों को रखना अनावश्यक है। प्रतिवेदन जब संसद के सामने पेश हो जायेगा तो उस पर जैसा मैं कह चुका हूं, बहस की जा सकती है और प्रस्ताव रखा जा सकता है। यह बात जोकि यहां लिखित रूप में नहीं कही गई है पर यह स्वतः निहित है। इसलिये इन शब्दों को यहां रखने की कोई जरुरत नहीं है।

संशोधन नं. 67 के द्वारा भूपेन्द्र सिंह मान यह चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक विशेष पदाधिकारी होना चाहिये। इस अनुच्छेद में जिस विशेष पदाधिकारी की रखने की बात सोची गई है उसे यदि अन्य पदाधिकारियों के साहाय्य की अपेक्षा होगी तो इनको अवश्य नियुक्त किया जाये किंतु हर राज्य के लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने की जरुरत नहीं है। इससे तो स्थिति और जटिल हो जायेगी। प्रस्तुत व्यवस्था को इसी उद्देश्य से रखा जा रहा है कि देश भर में सर्वत्र एक सिद्धांत के आधार पर काम हो। हम नहीं चाहते हैं कि हर राज्य में बतौर स्थायी अभिभावक के विशेष पदाधिकारियों को रखा जाये। और फिर माननीय संशोधनकर्त्ता महोदय ने अपने संशोधन में 'minorities' (अल्पसंख्यक) शब्द को भी स्थान दिया है। अनुच्छेद 296 से हम ने इस शब्द को हटा दिया है और इस अनुच्छेद में इसे रखना सर्वथा अनुपयुक्त होगा। अपने भाषण के सिलसिले में आपने उन बातों का भी जवाब देने का प्रयास किया है जिन्हें सिखों को परित्राण देने के बारे में सरदार पटेल ने यहां कही हैं। सरदार पटेल ने जो कुछ कहा है, उसे मैं दुहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो केवल एक बात के संबंध में ही कुछ कहूंगा जिसकी आपने यहां चर्चा की है और मेरा ख्याल है कि मुझे उसे जरूर कहना चाहिये। सिख प्रश्न पर छान बीन करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी उसका मैं सदस्य रह चुका हूं। मंत्रणा समिति और अल्पसंख्यक समिति के नियुक्त काल से ही बातचीत के हर मौके से मेरा कुछ न कुछ संबंध बना रहा है। मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि मंत्रणा-समिति की गत बैठक में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, परित्राण देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा था। सारी बातचीत ही इस आधार पर चली थी कि पिछड़े वर्गों को जो कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर संविधान में और किसी को भी अल्पसंख्यक समुदाय नहीं माना जायेगा। माननीय सदस्य ने कतिपय सिखों द्वारा दिये गये एक वक्तव्य से कुछ अंश पढ़कर अवश्य सुनाया था। दुर्भाग्य की बात है कि जो थोड़ा समय मेरे पास रहा है उसमें मैं विभिन्न लेख्यों को सभा के

[श्री के.एम. मुन्शी]

सामने नहीं रख सका हूं। पर मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि जब यह मसला मंत्रणा-समिति के सामने पेश हुआ था उस समय सिख सदस्यों ने परित्राण के बारे में अपनी सभी मांगों को वापस ले लिया था इस बात के बदले में कि सिखों की अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया जाये और उनको वही विशेष सुविधायें दी जायें जिनकी हकदार हैं शेष अनुसूचित जातियां। अब इस संबंध में अगर कोई सवाल उठाया जाता है तो वह बाद की सूझ है।

इस संबंध में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जिस तरह के आरोप यहां लगाये गये हैं वह सर्वथा निराधार हैं। मुसलिम समुदाय के संबंध में भी बहस केवल प्रतिनिधान के प्रश्न पर हुई थी। जहां तक मुसलमानों का संबंध है, इनके बारे में भी नौकरियों को बाबत यही तय पाया था कि यह कोई परित्राण नहीं मांगेंगे। यह जरूर है कि यह बात लिखित रूप में समिति के प्रतिवेदन में नहीं दी गई है। समिति ने निर्णय ही इस आधार पर किया था कि संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय नहीं माना जायेगा इसी आधार पर सारी बातें हुई थीं और अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं।

***सरदार हुकम सिंह:** मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है। मैं यह पूछता हूं कि क्या सिखों की इन चार जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया गया है?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** अवश्य ही शामिल किये जायेंगे।

***श्री के.एम. मुन्शी:** अनुच्छेद 300-क के अधीन राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों की सूची निकालने का अधिकार दिया है। उस सूची में इनको जरूर शामिल किया जायेगा।

***सरदार हुकम सिंह:** इस बात की गारंटी क्या है कि राष्ट्रपति इनको सूची में शामिल करेगा ही? संविधान में यह अधिकार पाने के लिये ही तो हमने सारी मांगों को छोड़ा है पर हमें यह मिला कहां?

***श्री के.एम. मुन्शी:** राष्ट्रपति को इसकी शक्ति प्राप्त है। यहां जो भी वचन दिया गया है राष्ट्रपति अवश्य उसका निर्वाह करेंगे। मंत्रणा-समिति के प्रतिवेदन में उसका यह निर्णय दिया हुआ है कि सिखों की अनुसूचित जातियों को देश की अनुसूचित जातियों का अंग माना जायेगा और अनुच्छेद 296 के अधीन जिसे कि हमने अभी स्वीकार किया है उसे सभी परित्राण दिये जायेंगे। अपने इस वचन के पीछे हटने की कोई बात नहीं है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि सिखों की अनुसूचित जातियों को वही सुविधायें प्राप्त रहेंगी जो शेष अनुसूचित जातियों को दी जायेंगी। मैं पुन: इस बात को दुहराता हूं कि सिखों की अनुसूचित जातियों को पंजाब की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में जरूर शामिल किया जायेगा।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधनों पर एक-एक करके मत लूंगा। जो कि ये सभी संशोधन, संशोधन नं 63 पर रखे गये हैं, नं. 64 के साथ भी यह ठीक बैठेंगे

और इसलिये इनको पेश करने की अनुमति दी गई है। इनमें से अगर कोई संशोधन मंजूर किया जाता है तो उसे हम ठीक जगह बिठा देंगे।

प्रश्न यह है:

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (1) में 'by the President' (राष्ट्रपति नियुक्त करेगा) शब्दों के आगे 'and a special officer for minorities for each State for the time being specified in Part I, II and III of the first Schedule who shall be appointed by the Governor or Rajpramukh of the State as the case may be' (तथा प्रत्येक राज्य में जो प्रथम अनुसूची के भाग 1, 2 और 3 में अभी उल्लिखित हैं, अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे, यथा स्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख नियुक्त करेगा) शब्द जोड़े जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:—

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (2) में 'under this Constitution and' (इस संविधान के अधीन) शब्दों के आगे 'their representation in different Legislatures and services of the country' (देश के विभिन्न विधान मंडलों में और सेवाओं में उनके प्रतिनिधान का) शब्दों को रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:—

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (2) के अन्त में 'for its approval, modification or addition' (इसके द्वारा अनुमोदन, रूप भेद और अभिवर्धन के लिये) शब्द जोड़ दिये जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:—

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (2) के अन्त में 'for such action as Parliament may deem necessary' (ऐसी कार्रवाई के लिये जैसी कि संसद आवश्यक समझे) शब्द जोड़े जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:—

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (2) की व्याख्या में 'means' शब्द के आगे 'the Muslims, the Christians, the Sikhs, the Parsees, the Anglo-Indians' (मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, ऐंग्लो-इंडियन समुदाय) शब्दों को रखा जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:—

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 की व्याख्या में 'and include the Anglo-Indian Community' (तथा ऐंग्लो इंडियन समुदाय के प्रति निदेश भी है) शब्दों की जगह 'and includes such community or communities as the President may then specify' (तथा अन्य ऐसा या ऐसे समुदाय के प्रति, जिन्हें राष्ट्रपति उस समय उल्लिखित करे निदेश भी है) शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:—

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 की व्याख्या के अन्त में 'Muslims, Christians and Sikhs,' (मुसलमान, ईसाई और सिख) शब्द जोड़े दिये जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:—

"कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (3) में, 'to such other backward classes as the President may on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of article 301 of this Constitution, by order specify and' (ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निदेश, जिनको कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 301 के खंड (1) के अंधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे) शब्दों को हटा दिया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब लिया जाता है संशोधन नं. 80। इसे श्री मुन्नावाली ने पेश नहीं किया था। मेरा ख्याल यह है कि इस संशोधन की बात अन्य संशोधनों के अन्दर आ जाती है। अच्छा यही होगा कि इस पर राय ही ले लूं। प्रश्न यह है:

"कि ऊपर के संशोधन नं. 64 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (3) में, 'and also to the Anglo Indian Community' शब्दों को हटा दिया जाये।'

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:—

"कि संशोधन सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये:

'299. (1) There shall be a special officer for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to be appointed by the President.

(2) The special officer in consultation with the President may appoint a special officer for each State who shall work exclusively under his superintendence, direction and control.

(3) The special officer appointed either for the Union or for a State shall not be a member either of the Scheduled Tribes, the Scheduled Castes or of such other backward classes as the President may on receipt of the report of a commission appointed under clause (1) of Article 301 of this Constitution by order specify.

(4) The salaries, allowances and pensions payable to the special officer for the Union and to the special officer for each State shall be expenditure charged on the revenues of India.

(5) It shall be the duty of the special officer for the Union to make annual recommendations as to the steps that should be taken by the Union and by each State to improve the economic, educational and cultural level of the Scheduled Tribes, the Scheduled Castes or of such other backward classes as the President may on receipt of the report of a commission appointed under clause (1) of Article 301 of this Constitution by order specify and as to the sums that should be separately allotted in the annual budget of the Union Government and of each State Government for the purpose; and the President shall cause all such recommendations to be laid before Parliament.

[अध्यक्ष]

(6) Parliament shall have the power to reject or accept in whole or in parts any of the recommendations contained in the Report.

(7) All State Governments shall be bound to make annual allotment in their budgets of such sums as Parliament may deem to be necessary for the purpose of giving effect to the recommendations contained in the Report of the special officer for the Union.

(8) Until the appointment of the commission and consideration of its Report by the President under clause (1) of Article 301 of the Constitution the backward classes shall consist of such castes and communities as may be determined by the President.

(9) The President may delegate the power to the special officer for the Union to supervise and give effect to all or any recommensations made by the commission appointed under Article 301 and accepted by the President.

(10) All appointments to be made under clauses (1) and (2) of this Article shall be made from the following category of persons:

(a) Doctors

(b) Scientists

(c) Socialogists, and

(d) Anthropologists.

(11) Parliament shall have the power to repeal or amend any or all of the provisions of this Article.' "

[299. (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) यह विशेष पदाधिकारी राष्ट्रपति के परामर्श से प्रत्येक राज्य के लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है जो बिल्कुल उसके ही अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण में काम करेगा।

(3) संघ या किसी राज्य के लिये नियुक्त विशेष पदाधिकारी न तो अनुसूचित जातियों का न अनुसूचित आदिमजातियों का या अन्य ऐसे किसी पिछड़े वर्ग का सदस्य होगा जिसे राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 301 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करेगा।

(4) संघ के विशेष पदाधिकारी को तथा प्रत्येक राज्य के विशेष पदाधिकारी को जो वेतन, भत्ते और निवृति वेतन देय होंगे वह भारतीय राजस्व पर प्रभारित व्यय होंगे।]

(5) संघ के विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह उस बारे में अपनी वार्षिक सिफारिश दे कि अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित आदिम जातियों की या ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों की जिनको राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 301 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर, उल्लिखित करे, आर्थिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक समुन्नति के लिये संघ द्वारा तथा प्रत्येक राज्य द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिये और कितनी रकमें संघ शासन के तथा राज्यों के वार्षिक बजट में उस प्रयोजन के लिये पृथक रखी जानी चाहिये तथा राष्ट्रपति ऐसी सभी सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवायेगा।

(6) संसद को उसकी शक्ति होगी कि वह प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों को पूर्णत: या अंशत: स्वीकार अथवा अस्वीकार करे।

(7) संघ के विशेष पदाधिकारी के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये जितनी रकम संसद आवश्यक समझेगी उतनी रकम प्रति वर्ष अपने बजट में रखना सभी राज्य शासनों के लिये जरूरी होगा।

(8) तब तक जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 301 के खंड (1) के अधीन आयोग नियुक्त न हो जाये और राष्ट्रपति प्रतिवेदन पर विचार न कर ले, पिछड़े हुए वर्गों में वह जातियां या समुदाय माने जायेंगे जिनको राष्ट्रपति विनिश्चित करे।

(9) अनुच्छेद 301 के अधीन नियुक्त आयोग द्वारा की गई तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत सभी नियम किन्हीं सिफारिशों के प्रबंध के लिये तथा उनको कार्यान्वित करने के लिये राष्ट्रपति संघ के विशेष पदाधिकारी को अधिकार सौंप सकता है।

(10) इस अनुच्छेद के खंड (1) और (2) के अधीन की जाने वाली सभी नियुक्तियां इन श्रेणियों के लोगों में से की जायेंगी:

(क) डॉक्टर

(ख) वैज्ञानिक

(ग) समाज विज्ञानवेता, तथा

(घ) प्राणि विज्ञानवेता।

(11) संसद को इस अनुच्छेद के किसी या सभी उपबन्धों को निरसित या स्थगित करने की शक्ति होगी।]

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** कुल यही संशोधन हैं जो कि पेश किये गये हैं। अब मैं श्री मुंशी द्वारा यथा प्रस्तावित अनुच्छेद 299 (संशोधन नं. 64) पर मत लूंगा। प्रश्न यह है:—

"संशोधन नं. 63 के संबंध में, अनुच्छेद 299 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये:

Special officer for Scheduled Castes, Scheduled Tribes etc.

'299. (1) There shall be a Special Officer for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to be appointed by the President.

(2) It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this Constitution and report to the President upon the working of those safeguards at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to the laid before each House of Parliament.

(3) In this article, the reference to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed as including the reference to such other backward classes as the President may on receipt of the report of a Commission appointed under clause (1) of article 301 of this Constitution by order specify and also to the Anglo-Indian community."

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों इत्यादि के लिये विशेष पदाधिकारी।

[299. (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये इस संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से संबद्ध सब विषयों का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्य होने के संबंध में ऐसी अन्तराविधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति निदिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा।

(3) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 301 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे तथा आंग्ल-भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी है।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 299 यथा संशोधित रूप में संविधान में शामिल किया गया।

***अध्यक्ष:** अब सभा स्थगित होती है। हम पुन: चार बजे समवेत होंगे।

इसके पश्चात् सभा भोजनार्थ, चार बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में, सभा भोजनोपरान्त 4 बजे समवेत हुई।

अल्पसंख्यक मंत्रणा-समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

***अध्यक्ष:** पहले इसके कि आज के कार्यक्रम में दिये गये अन्य अनुच्छेदों को हम लें, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज सवेरे जब यहां अनुच्छेद 296 और 299 पर विचार किया जा रहा था उस समय माननीय सरदार पटेल ने एक लेख्य का हवाला दिया था। सभा के माननीय सदस्य सरदार भूपेन्द्र सिंह मान ने एक लेख्य से कुछ अंश पढ़कर सुनाया था। आपका ख्याल था कि यह वही लेख्य है जिसका हवाला माननीय सरदार पटेल ने दिया था। चूंकि उस लेख्य के बारे में मुझे कुछ संदेह था इसलिये मैंने यह सोचा कि लेख्य के केवल एक अंश को ही कार्रवाई में शामिल करना ठीक नहीं होगा और माननीय सदस्य से मैंने इस बात का अनुरोध किया कि वह समूचा लेख्य पढ़कर सुना दें जो उनके हाथ में था और उन्होंने समूचे लेख्य को पढ़कर सुना दिया। इसके बाद मैंने इस संबंध में पूछताछ की और मुझे यह मालूम हुआ है कि यह वह लेख्य नहीं है जिसका हवाला माननीय सरदार पटेल ने अपने भाषण में दिया था। मैं उस लेख्य को पढ़कर सुना देना चाहता हूं जो कि सरदार पटेल के दिमाग में था ताकि जब दूसरा लेख्य कार्रवाई में आ गया है तो यह लेख्य भी इसमें दिखा दिया जाय जिससे कि उस लेख्य के कारण अगर किसी को कोई गलतफहमी हुई हो तो वह दूर हो जाये।

***सरदार सुचेत सिंह** (पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संघ): क्या इस लेख्य की प्रतियां सदस्यों को मिल सकती हैं?

***अध्यक्ष:** अवश्य मिल सकती हैं। पर अभी तो मैं उसे पढ़कर ही सुनाये देता हूं। यह लेख्य पर तारीख दी हुई है 10 मई सन् 1949 की। मंत्रणा-समिति की बैठक हुई थी 11 मई सन् 1949 को और यह स्पष्ट है कि मंत्रणा समिति ने जो निर्णय किया था वह इस लेख्य के आधार पर ही किया था। इस पर हस्ताक्षर किये हैं तीन सदस्यों ने—सरदार उज्जल सिंह, माननीय सरदार योगिन्दर सिंह मान तथा सरदार गुरुवचन सिंह ने। अब मैं समूचे लेख्य को पढ़ देता हूं।

"पूर्वी पंजाब की विधान सभा के तथा संविधान सभा के सिख सदस्यों की एक बैठक 10 मई को दिल्ली में हुई जिसमें ये सदस्य उपस्थित थे:—

1-सरदार कपूर सिंह

2-ज्ञानी करतार सिंह

3-सरदार स्वरन सिंह

4-सरदार ईशर सिंह मझाइल

[अध्यक्ष]

5-सरदार उज्जल सिंह

6-सरदार योगिन्दर सिंह मान

7-भाई पियारा सिंह

8-सरदार इन्दर सिंह

9-सरदार गुरवचन सिंह वजवा

10-सरदार दलीप सिंह कंग

11-सरदार अजित सिंह

12-सरदार शिवसरन सिंह

13-सरदार नरोत्तम सिंह

14-संत नरीन्दर सिंह

15-सरदार हुकुम सिंह

16-सरदार तारा सिंह

17-सरदार रतन सिंह मोंगा

18-सरदार रतन सिंह लोगाढ़

19-सरदार गुरुवचन सिंह फिरोजपुर

20-सरदार सजन सिंह मिरगंदपुरी

21-सरदार जगजीत सिंह मान

22-सरदार सारदूल सिंह

पूर्वी पंजाब की विधानसभा के अध्यक्ष सरदार कपूर सिंह के सभापतित्व में यह बैठक हुई। अल्प संख्यक सिख समुदाय के लिए संविधान में परित्राण उपबन्धित करने के बारे में सर्व सम्मति से यह बातें स्वीकृत हुई थीं। इन बातों को उन सब सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था जो इस बैठक में उपस्थित न हो सके थे।

1-सिख समुदाय के पिछड़े वर्गों को अर्थात् मजहबी, कबीर पंथी, राम दासी, बावरिया तथा सिकलीगर इत्यादि जातियों को, पूर्वी पंजाब तथा पेप्सू में, विधान मंडलों में प्रतिनिधान के बारे में और अन्य राजनैतिक रियायतों के बारे में वही सुविधायें मिलनी चाहिये जो कि अनुसूचित जातियों को दी जायें। इस प्रयोजन के लिये, या तो इन वर्गों को संविधान के प्रारूप में अनुसूचित जातियों की जो सूची दी गई है उसमें दिखाया जाये या सिखों के लिए जितनी जगहें रक्षित रखी गई हैं उनमें से आबादी के आधार पर इनके लिए जगह रक्षित रखी जायें।

2-पूर्वी पंजाब में, सिखों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर जगहें रक्षित रखी जायें और अतिरिक्त जगहों के लिए चुनाव लड़ने का उन्हें अधिकार रहे।

3-पूर्वी पंजाब के सिवाय अन्य प्रांतों में तथा केन्द्र में, जहां संख्या के आधार पर प्रतिनिधान पाने का सिखों को हक हो, वहां उनके लिये जगहें रक्षित रहनी

चाहियें तथा जहां चुनाव द्वारा उनके पर्याप्त प्रतिनिधि न आ पाये हों। वहां मनोनयन के द्वारा उनके प्रतिनिधि लिये जायें ताकि संख्या के हिसाब से उनको ठीक प्रतिनिधान प्राप्त हो जाये।

4–पूर्वी पंजाब में स्थान रक्षण की व्यवस्था को उठाने पर सिख राजी हैं अगर सिखों को और हिंदू अनुसूचित जातियों को साथ मिला दिया जाये और उनकी जनसंख्या के आधार पर उनके लिये जगहें रक्षित रख दी जायें।

यदि ये बातें नहीं मंजूर होती हैं तो सिखों को परित्राण देने का समूचा प्रश्न, कांग्रेस द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार, मध्यस्थ–निर्णयन पर छोड़ दिया जाये।

(हस्ताक्षर) उज्जल सिंह

ता. 10 मई सन् 1949 ई. (हस्ताक्षर) योगिन्दर सिंह मान

(हस्ताक्षर) गुरवचन सिंह वजवा

मैं इस पर कोई राय नहीं जाहिर करना चाहता हूं। दोनों लेखों को साथ साथ पढ़ने पर सदस्य स्वयं अपना निर्णय कर सकते हैं।

अनुच्छेद 48

***अध्यक्ष:** अब हम उन विभिन्न अनुच्छेदों को लेंगे जो आज के कार्यक्रम में दिये गये हैं और शुरू करेंगे अनुच्छेद 48 से। ये सभी संशोधन उन अनुच्छेदों पर आये हैं जो स्वीकृत हो चुके हैं। जहां भी आवश्यक होगा, पूर्व निर्णय को बदलने के लिये सभी की अनुमति ले ली जायेगी। अनुच्छेद 48 ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 48 से लेकर अनुच्छेद 306 तक प्राय: सभी अनुच्छेदों पर, सिवाय 273–क और 302–क के, पुनर्विचार करने की जरुरत होगी क्योंकि ये सब पहले स्वीकृत हो चुके हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि अगर आप चाहें तो, इन सभी अनुच्छेदों पर पुनर्विचार करने की अनुमति सभा से मांग ली जाये।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि सभा इन निर्णयों पर पुनर्विचार करने की अनुमति दे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन रखता हूं:—

"कि अनुच्छेद 48 के खंड (3) में "the President shall have an official residence" (राष्ट्रपति के लिये पदावास रहेगा) शब्दों की जगह "the President

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences" (राष्ट्रपति को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों के उपयोग का हक होगा) शब्द रखे जाये।"

मैं यह देखता हूं कि मेरे इस संशोधन पर एक संशोधन भेजा है माननीय मित्र श्री सिधवा ने। इस संबंध में मैं उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा उस संशोधन की ओर जिसे सभा ने कल यहां भाग 6-क के बारे में स्वीकार किया है। मेरा मतलब है माननीय मित्र श्री सन्तानम् के संशोधन से जो यों है:-

"Unless he has his own residence in the capital of his State, the Rajpramukh shall be entitled to the use of an official residence without payment of rent and there shall be paid to the Rajpramukh such allowances... etc."

[राजप्रमुख को जब कि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में उनका अपना निवास गृह न हो, तब बिना किराया दिये पदावास के उपयोग का हक होगा तथा उसको ऐसे भत्तों... इत्यादि, इत्यादि।]

राजप्रमुख के संबंध में जब यह उपबन्ध स्वीकार किया जा चुका है तो इसी के अनुसार राज्यपाल के बारे में भी उपबन्ध रखना होगा। सभा इस संशोधन को कल स्वीकार कर चुकी है। यही कारण है कि मैं अपना यह संशोधन रख रहा हूं। आशा है कि श्री सिधवा, इस बात को देखते हुए कि भाग 6-क के संबंध में श्री सन्तानम् के संशोधन को पास कर जिस मार्ग का प्रदर्शन किया है हम उसी का अनुगमन कर रहे हैं, अपने संशोधन के लिये जोर नहीं देंगे।

***श्री आर.के. सिधवा:** अध्यक्ष महोदय, श्री संतानम् का संशोधन है राजप्रमुख के संबंध में। पर मेरे संशोधन में यह कहा गया है कि जहां तक राष्ट्रपति का संबंध है, उसे बिना किराया दिये गवर्नमेंट हाउस का, अपने आवास के रूप में उपयोग करने का हक होगा। मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिर श्री संतानम् के संशोधन से यह प्रयोजन कैसे हल होगा।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** माननीय मित्र श्री सिधवा से मैं यह कहूंगा कि यह फिर से संशोधन को देख लें। वह यों है:-

"राष्ट्रपति को, बिना किराया दिये, अपने पदावास के उपयोग का हक होगा।"

वस्तुत: श्री सिधवा के ध्यान में मूल बात नहीं आ पाई है। मेरे संशोधन में "official residence" शब्द प्रयुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति को एक से अधिक पदावास

हो सकते हं। गवर्नर जनरल का एक पदावास है दिल्ली में और एक है शिमला में। इसीलिये इन शब्दों को यहां रखा गया है और विशेषज्ञ की राय यही है कि विधेयक में यही शब्द बिल्कुल ठीक बैठेंगे। इसलिये मैं यह अनुभव करता हूं कि इस में किसी परिवर्तन की जरुरत नहीं है। इसलिये श्री सिधवा से मैं यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने संशोधन के लिये आग्रह न करें।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रान्तः जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्री सिधवा यह कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हाउस का उपयोग केवल राष्ट्रपति के आवास के लिये ही किया जायेगा। किन्तु हो सकता है कि भावी संसद इसे और किसी उपयोग में भी लाना चाहे।

***श्री आर.के. सिधवाः** मैं सोचता यह था कि अपने संशोधन के लिये जोर न दूं किन्तु प्रो. शिब्बनलाल की बात सुनकर मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि मुझे इस पर जोर देना ही चाहिये। उनका कहना है कि गवर्नमेंट हाउस का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये भी किया जा सकता है जैसा प्रो. सक्सेना चाहते हैं उसके हिसाब से तो इसका उपयोग कोई परिव्राजक भी कर सकता है। पर इस सम्बन्ध में किसी सन्देह की गुंजाइश नहीं रहने देना चाहता इसलिये मैं साफ तौर पर 'गवर्नमेंट हाउस' का उल्लेख यहां कर देना चाहता हूं जैसा कि मैंने अपने संशोधन में किया है इसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये भी किया जा सकता है जैसा कि प्रदर्शिनी के लिये इसका उपयोग हमने किया है। पर यह बात हमें यहां अवश्य रख देना चाहिये कि गवर्नमेंट हाउस का उपयोग राष्ट्रपति के आवास गृह के लिये किया जायेगा।

***अध्यक्षः** किन्तु श्री कृष्णमाचारी के संशोधन से यह तो नहीं होता है कि राष्ट्रपति के आवास गृह के लिये इसका उपयोग वर्जित हो जाता हो। क्या इस मामले पर हमें किसी बहस की जरुरत है?

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये बिना किराया के आवास गृह देने के बारे में जो उपबन्ध अभी उस दिन रखा गया था उसका मैंने विरोध किया था। किन्तु डॉ. अम्बेडकर ने जवाब में यह बताया कि जिन अनुच्छेदों को पास कर चुके हैं। उनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिये बिना किराये के आवास गृह का उपबन्ध रखा गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिये बिना किराये के आवास गृह के उपबंध पर जब यहां विचार किया जा रहा था उस समय मुझे आपत्ति उठानी चाहिये थी। अब ऐसा मालूम पड़ता है कि खुद उनके दिमाग में ही यह सन्देह उत्पन्न हो गया है कि कहीं पहले के अनुच्छेदों का कोई और निर्वचन न किया जा सकता हो; कहीं यही अर्थ न किया जाये कि किराया देने पर ही उनको आवास गृह दिया जायेगा बिना किराया दिये नहीं। उस दिन उनका तर्क यह था कि जहां तक न्यायाधीशों का सम्बन्ध है, वह दूर दूर की जगहों से यहां राजधानी में आते हैं और उनको यह तकलीफ न देनी चाहिये कि दिल्ली में अपने लिये मकान ढूंढते फिरें। उस दिन आपने यही दलील पेश की थी किन्तु उनके इस तर्क के आधार पर उनसे मैं यह कहूंगा कि फिर तो मिनिस्टरों को भी, बिना उनसे किराया लिये आवास गृह देना अनुचित नहीं होगा। आखिर जब आप उच्चतम न्यायालय के

[श्री एच.वी. कामत]

न्यायाधीशों के लिये बिना किराया के आवास गृह की व्यवस्था कर रहे हैं, कार्यपालिका के प्रधान के लिये जब बिना किराया के आवास गृह की व्यवस्था कर रहे हैं तो मेरी समझ से तो बुद्धि संगत और तर्क संगत बात यही होगी कि मिनिस्टरों के लिये ऐसी ही व्यवस्था की जाये। आशा है कि सभा मेरे इस मन्तव्य से सहमत होगी कि संविधान में ऐसा उपबंध रहना चाहिये।

***अध्यक्ष:** सभा के सामने जो संशोधन पेश है उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता ही कहां है?

***श्री एच.वी. कामत:** अभी उस दिन जब डॉ. अम्बेडकर ने मुझे उत्तर दिया था तो उनको इस बारे में कोई सन्देह नहीं था। पर आज, ऐसा मालूम पड़ता है कि, उनको खुद कुछ सन्देह हो रहा है जो यह राज्यपालों के लिये तथा राष्ट्रपति के लिये बिना किराये के आवास गृह देने का संशोधन रख रहे हैं। फिर तो तर्क संगत यही है कि मिनिस्टरों को भी बिना किराया लिये आवास गृह दिया जाये।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** यदि अनुमति हो तो एक बात कहूं। राजप्रमुख के सम्बन्ध में इस बारे में जो उपबन्ध रख चुके हैं उसके अनुरूप उपबन्ध यहां रखने के लिये यह संशोधन रखना जरूरी है। राजप्रमुखों के आवास गृह के सम्बन्ध में जो खण्ड अभी उस दिन पेश किये गये थे उनमें हमने यह साफ साफ कहा है कि इनके आवास गृह के लिये इनसे कोई किराया न लिया जायेगा। राज्यपालों के सम्बन्ध में इस बारे में जो खण्ड हमने रखे हैं उनका इनसे मिलान करने पर हमने यह देखा कि वहां किसी तरह एक बात छूट गई है और वह यह कि बिना किराया लिये आवास गृह देने की बात वहां नहीं रखी गई है। इस खामी को दूर करने के लिये तथा राज्यपालों को और राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में राजप्रमुखों के स्तर पर लाने के लिये इस संशोधन की जरुरत पड़ी है।

मिनिस्टरों को बिना किराया के आवास गृह देने का जो प्रश्न है उस पर विचार करना है संसद को इस बात का कि उनको वेतन के साथ आवास गृह दिया जाये या नहीं और अगर दिया जाये तो किराया लेकर या बिना किराये के, विनिश्चयन संसद करेगी क्योंकि मिनिस्टरों का जो पद है वह राजनतिक पद है जो सदन की सदभावना और विश्वास पर निर्भर करता है और मेरा ख्याल है कि श्री कामत इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि मिनिस्टरों को संसद के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना ठीक नहीं होगा।

अध्यक्ष: इस पर अब में मत ले लेना चाहता हूं। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 48 के खण्ड (3) में 'the President shall have an official residence' (राष्ट्रपति के लिये पदावास रहेगा) शब्दों की जगह 'the President shall be entitled to the use of Government House without payment of

rent' (राष्ट्रपति को बिना किराया दिये गवर्नमेंट हाउस के उपयोग का हक होगा) शब्द रखे जायें।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब मैं श्री कृष्णमाचारी के संशोधन पर मत लूंगा। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 48 के खण्ड (3) में 'The President shall have an official residence' (राष्ट्रपति के लिये पदावास रहेगा) शब्दों की जगह 'The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences' (राष्ट्रपति को बिना किराया दिये अपने पदावासों के उपयोग का हक होगा) शब्द रखे जायें।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं अपना संशोधन नं. 360 पेश करता हूं श्रीमान। वह यों है:

"कि अनुच्छेद 62 के खण्ड (5क) को हटा दिया जाये।"

इसको रखने का कारण यह है जैसा कि अभी उस दिन डॉ. अम्बेडकर की ओर से मैंने यहां कहा है, कि हम अनुसूची 3-क को नहीं रखना चाहते हैं और उस अनुसूची को भी नहीं रखना चाहते हैं जिसमें राज्यपालों के लिये अनुदेश रखे गये हैं। प्रस्तुत खण्ड में यह कहा गया है: "(5a) in the choice of his ministers and in the exercise of his functions under this Constitution to the President shall be personally guided by instructions set out in schedule IIIA." (अपने मिनिस्टरों को चुनने में तथा इस संविधान के अधीन अपने प्रकार्यों के प्रयोग में राष्ट्रपति अनुसूची 3-क में दिये गये अनुदेशों पर चलेगा।) किन्तु जब यह अनुसूची 3-क अब प्रस्तावित ही नहीं की जा रही है तो इस खण्ड का रखना भी अनावश्यक है। इसीलिये मैंने इसे हटाने का संशोधन रखा है।

***श्री एच.वी. कामत:** आपको याद होगा श्रीमान कि कुछ महीना पहले आपने यह महत्वपूर्ण प्रश्न यहां उठाया था कि आया राष्ट्रपति के लिये हमेशा अपने मंत्रिपरिषद् की राय को मानना अनिवार्य होगा क्या। हमारा संविधान इस प्रश्न पर खामोश है इसमें केवल इतना ही कहा गया है कि "राष्ट्रपति को सहायता और राय देने के लिये एक मंत्रिपरिषद् होगी" उस अवसर पर डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा था कि इस बात के स्पष्टीकरण के लिये संविधान में कहीं न कहीं एक उपबन्ध आगे चल कर हम रख देंगे। मुझे तो ऐसा ही याद आता है। अध्यक्ष

[श्री एच.वी. कामत]

महोदय कृपा कर यह बता दें कि मेरा कहना सही है या गलत? संविधान में कहीं भी इस प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। आशा है डॉ. अम्बेडकर इसे स्पष्ट कर देंगे और इसे यों ही अस्पष्ट न रह जाने देंगे।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं चाहता यह हूं कि इसके लिये नोटिस दिया गया होता ताकि मैं आवश्यक उद्धरण यहां रख सकता। फिर भी इस पर एक सामान्य वक्तव्य तो मैं दे सकता हूं। यह प्रश्न कि आया संविधान में ऐसी कोई बात रखी गई है जिससे राष्ट्रपति के लिये मंत्रिपरिषद् की राय को मानना लाज़िमी हो, एक ऐसा प्रश्न है जो विस्तृत प्रश्न की तुलना में बहुत छोटा-सा प्रश्न है। पहले मैं विस्तृत प्रश्न के सम्बन्ध में ही चन्द बातें कहना चाहूंगा:

जहां तक कि संसदात्मक लोकतन्त्र का सम्बन्ध है, प्रत्येक संविधान में राज्य के लिये ये तीन अंग—कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधान मण्डल—आवश्यक माने गये हैं किसी भी संविधान में मुझे ऐसा एक भी उपबन्ध नहीं मिला है जिसमें यह कहा गया हो कार्यपालिका विधान मण्डल के आदेश का पालन करेगी और न किसी संविधान में ऐसा ही कोई उपबन्ध मिला है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के आदेश का पालन करेगी। किसी भी संविधान में आपको इस तरह का उपबन्ध नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि यह आम तौर से एक मानी हुई बात है कि संविधान के उपबन्धों को मानना राज्य के इन तीनों अंगों के लिये लाजिमी है। इसलिये हमें यह मान लेना होगा कि जो लोग कि संविधान को कार्यान्वित करते हैं अर्थात विधानमण्डल के सदस्य तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्य अपने प्रकार्यों को अपने परिसीमनों को और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिये हमें यह मानना होगा कि अगर कार्यपालिका संविधान पर ईमानदारी से अमल करती है तो उसके लिए विधान मण्डल का आदेश मानना अनिवार्य है चाहे इसके लिए संविधान में कोई आदेश मूलक उपबन्ध कार्यपालिका के लिये भले ही न रखा गया हो।

इसी तरह कार्यपालिका अगर संविधान को ईमानदारी से कार्यान्वित करती है तो उसके लिये उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के अनुसार काम करना अनिवार्य है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह मामला राज्य के एक अंग से सम्बन्ध रखता है। यह अंग अपनी सीमाओं के अन्दर रह कर कार्य करता है और साथ ही राज्य के अन्य अंगों के प्रभुत्व को भी स्वीकार करता है। यदि संविधान में इस अंग को भी प्रभुत्व प्रदान किया गया है तो इसका यह अर्थ है कि उसका एक सांविधानिक दायित्व है। यह दायित्व संविधान में निहित है।

मुझे स्मरण है श्रीमान कि आपने यह प्रश्न उठाया था और मैंने इस पर छानबीन की थी और इंग्लैण्ड की सर्वोपरि अदालत के दो निर्णयों को रख लिया था जिन्हें सभा के सामने में किसी दिन रखना चाहता था इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिये। किन्तु मुझे खेद है कि इसकी सूचना मुझे नहीं थी कि आज यह प्रश्न उठाया जायेगा। अस्तु, जो प्रश्न उठाया गया है उसका यही जवाब है।

किसी भी देश में कोई सांविधानिक शासन तब तक चल नहीं सकता है जब तक कि वहां का एक सांविधानिक पदाधिकारी इस तथ्य को न याद रखे कि उसका अधिकार संविधान द्वारा परिसीमित है तथा इस तथ्य को न याद रखे कि, उसके और अन्य किसी पदाधिकारी के बीच उठने वाले किसी प्रश्न के विनिर्णयन के लिये संविधान ने अगर किसी पदाधिकारी की व्यवस्था की है तो उस पदाधिकारी के निर्णय को मानना, उसके लिए तथा राज्य के अन्य अंग के लिये लाजिमी है। यह मंजूरी संविधान ने इसलिये दी है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की राय पर अवश्य चले और कार्यपालिका अपने कार्यपालिक अधिकारों के प्रयोग में संसद निर्मित विधियों का अतिक्रमण न करे तथा कार्यपालिका विधि पर अपना कोई ऐसा निर्वचन न दें जो संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित राज्य की न्यायपालिका के निवर्चन से प्रतिकूल हो।

***श्री एच.वी. कामतः** यदि किसी खास मामले में राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं चलता है तो क्या यह संविधान का उल्लंघन समझा जायेगा और क्या इसके लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** इसमें तो रंचमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्** (मद्रासः जनरल): डॉ. अम्बेडकर के कथन में मैं इतना और जोड़ देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि कई मामलों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की राय नहीं भी मान सकता है। यदि मंत्रिमंडल यह चाहता हो कि उसका विघटन कर दिया जाये तो राष्ट्रपति यह कह सकता है कि उसके स्थान पर वह अन्य मंत्रिमण्डल बिठायेगा जिस पर बहुमत का विश्वास हो और शासन को चालू रख सकता है। कुछ मामलों में उत्तरदायी शासन के हित में राष्ट्रपति अपने उत्तरदायी मंत्रियों की राय की अवहेलना कर सकता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** जवाब में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं एक समय यह स्थिति जरूर थी। मेकाले लिखित इंग्लैण्ड के इतिहास में यह साफ-साफ बता दिया गया है कि सम्राट क्या कर सकता है। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न रूढ़ि से सम्बन्ध रखता है। कनाडा में जब मिस्टर मेकेंजी किंग ने मंत्रिमण्डल का विघटन करना चाहा था तो वहां यह प्रश्न उठा था। प्रश्न यह था कि आया गवर्नर जनरल के लिये विघटन का निर्णय देना लाजिमी है या उसे इस बात की स्वतन्त्रता है कि विरोधी पक्ष के नेता को बुला कर उसे मंत्रिमंडल बनाने को कहे। गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश शासन की राय से मिस्टर मेकेंजी किंग की राय को स्वीकार किया था और मंत्रिमंडल को भंग कर दिया था।

***श्री एच.वी. कामतः** बजाय इसके कि डॉ. अम्बेडकर के किसी प्रसंगात कथन पर हम निर्भर करें, संविधान में इसके लिए उपबन्ध क्यों न रख लें?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** इस प्रश्न पर हम इस तरह विचार नहीं कर सकते हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** हमने एक बहुत ही विवादास्पद विषय उठा लिया है। यह प्रश्न कि मंत्रिमण्डल और राष्ट्रपति संसद् के निश्चय को मानने के लिए बाध्य हैं या नहीं, एक बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। इस प्रश्न पर ब्रिटिश संविधान का निर्णय क्या है, यह चर्चा वस्तुत: यहां प्रासंगिक नहीं हो सकती है। ब्रिटिश संविधान बहुत सी चिर स्थापित रूढ़ियों को लेकर बना है। लिपिबद्ध विधियों को लेकर वह नहीं बना है। वहां, सम्राट् की तथा कार्यपालिका की क्या शक्तियां हैं इसे सारा देश अच्छी तरह जानता है। किन्तु हमारा संविधान बन रहा है लिपिबद्ध विधियों को लेकर। इसलिये मेरा ख्याल तो यही है कि हमें इन प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए एक न एक उपबन्ध अवश्य रख देना चाहिये। अन्यथा, हो सकता है कि कभी गतिरोध उत्पन्न हो जाये। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश पार्लियामेंट की नजीर से हमें कोई सहायता नहीं मिल सकती है। जहां तक कि कनाडा की नजीर का सम्बन्ध है वह भी रूढ़ियों पर और एक चिरकालीन मान्यता पर ही आश्रित है। किन्तु हमारे यहां इसके लिये कोई पूर्ववर्ती उदाहरण या नजीर नहीं है जिसका हम सहारा ले सकें। पर इस विषय को यहां उठाना एक गड़ी हुई बात को उठाना है और मैं नहीं समझता कि इस पर हमें यह बहस और चलानी चाहिये। पर यह जरूर है कि डॉ. अम्बेडकर की राय को हम अपने लिए लाजिमी ही नहीं मान सकते हैं।

***श्री अलादी कृष्णस्वामी अय्यर** (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, इस बहस में दखल देने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी पर मैं यह देख रहा हूं कि यहां उपबन्ध रखने की आवश्यकता का जो प्रश्न उठाया गया है वह सर्वथा निस्सार है। अनुच्छेद 61 (3) में हमने यह कहा है कि मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यदि कोई राष्ट्रपति इस उत्तरदायित्व की पूर्ति में मंत्रिपरिषद को रुकावट डालता है जो वह संविधान को भंग करने का अपराधी है और उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यह तो किसी कठोर बात को कोमल बनाने का ढंग है जो यहां यह कहा गया है कि अपने प्रकार्यों के पालन में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह से चलेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी लोकसभा के प्रति। बजट के बारे में, या विधि बनाने के बारे में अथवा देश के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी विषय के बारे में स्थिति के अनुसार सारा काम करना होगा वस्तुत: लोक सभा को। इसलिये, अगर मंत्रिपरिषद को अपने दायित्वों का पालन करना है तो राष्ट्रपति को इस बात का ख्याल रखना होगा कि संविधान का पालन हो। इसलिये अनुच्छेद 61 तथा 62 (3) के द्वारा यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरदायी शासन का दायरा क्या है? अन्यथा आपको एक बड़ी सूची इस बात की रखनी होगी कि किसका क्या दायित्व है; आपको यह बताना होगा कि संसद का विघटन अगर किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी होगी प्रधान मन्त्री पर; आप को यह भी बताना होगा कि ऐसे मौकों पर राष्ट्रपति को क्या क्या रायें माननी होंगी। कहने का मतलब यह है कि बहुत सी विस्तार की बातों का आपको उल्लेख देना होगा। आयरलैंड में कुछ ऐसा ही प्रयास किया गया था क्योंकि उन दिनों सम्राट के प्रति वहां अविश्वास भाव था। आयरलैंड का जो संविधान शुरू में बना था उसमें कुछ उपबन्ध रखे गये थे जिनमें इन सब विस्तार की बातों का उल्लेख था कि किसका क्या दायित्व होगा। यदि आप कनाडा, आस्ट्रेलिया या अन्य किसी देश के संविधान को देखें, जिसमें उत्तरदायी शासन की व्यवस्था रखी गई है या नाममात्र के भी उत्तरदायी शासन की व्यवस्था रखी गई

है तो आपको मालूम होगा कि कहीं भी इसके लिए विस्तृत उपबन्ध नहीं रखे गये हैं। जर्मनी के संविधान विशारदों ने जिन्होंने वहां का संविधान तैयार किया था, इसके बारे में कुछ परिभाषायें रखने का प्रयास किया था जिसके फलस्वरूप वह संविधान ही असफल हो गया जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्यों ही वहां राष्ट्रपति तथा मंत्रियों के अधिकारों के बीच संघर्ष पैदा हुआ था उससे जर्मन संसद का ही खात्मा हो गया था। इसलिए, इन बातों को देखते हुए, मैं तो साहसपूर्वक यही कहूंगा कि संविधान के किसी अनुच्छेद में हमें विस्तारपूर्वक इन बातों को रखने की जरूरत नहीं है कि उत्तरदायी शासन की क्या-क्या जिम्मेदारियां होंगी और क्या प्रकार्य होंगे।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** अध्यक्ष महोदय, हमने एक ऐसा संविधान बनाया है जिसमें छोटे से छोटे विस्तार की बात के लिए उपबन्ध रख दिया है। हमारा संविधान इंग्लैण्ड के संविधान से भिन्न है, इस ख्याल से कि इंग्लैण्ड का संविधान आधृत है रूढ़ियों पर और अपना संविधान बना है लिपिबद्ध बातों को लेकर। इस तरह के महत्वपूर्ण मसले के बारे में संविधान में हमने कहीं भी यह नहीं कहा है कि राष्ट्रपति के लिये यह अनिवार्य होगा कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को बुलाकर मंत्रिमंडल बनाने को कहे और न हमने यही कहा है कि मंत्रिपरिषद की राय मानना राष्ट्रपति के लिये आवश्यक होगा। वह अनुसूची जिसमें अनुदेशों का उल्लेख करना था वह भी अब हटा दी गई है। डॉ. अम्बेडकर ने हमें अभी यह समझाया है कि अन्य देशों में इस सम्बन्ध में रूढ़ियों के आधार पर काम होता है। अब यहां अनुसूची 4 पर विचार किया जा रहा था तो मैंने यह उम्मीद की थी कि इन बातों के लिए संविधान में कुछ न कुछ उपबन्ध जरूर रखे जायेंगे। दरअसल खुद डॉ. अम्बेडकर ने एक बार मुझसे यह कहा था कि हमें इन सब विस्तार की बातों के लिए संविधान में उपबंध जरूर रखना चाहिये क्योंकि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की दिशा में हम एक बहुत बड़ा प्रयोग शुरू करने जा रहे हैं। जब हम संविधान में छोटी-छोटी विस्तार की बातों के लिए उपबन्ध रख रहे हैं तो मैं यह महसूस करता हूं कि इन बुनियादी बातों को कि राष्ट्रपति के लिये यह लाजिमी होगा कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को बुलाकर मंत्रिमण्डल बनाने को कहे तथा यह कि मंत्रिपरिषद की राय मानना उसके लिये जरूरी होगा, हमें संविधान में किसी न किसी रूप में अवश्य रख देना चाहिये।

***अध्यक्ष:** मेरा ख्याल है कि इस पर काफी बहस हो चुकी है। श्री कृष्णमाचारी। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** नहीं श्रीमान। डॉ. अम्बेडकर सारी बातों का जवाब दे चुके हैं।

***श्री एच.वी. कामत:** बहस के सम्बन्ध में आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? यह सवाल शुरू में उठाया था आपने ही।

***अध्यक्ष:** इसमें मेरी प्रतिक्रिया से कोई वास्ता नहीं है। इसका निश्चय करना है सभा को।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** इस प्रश्न पर फिर से विचार करने की अनुमति मिलनी चाहिये।

***माननीय श्री के. सन्तानम्ः** यह संशोधन तो बिल्कुल आनुषंगिक है।

***अध्यक्षः** इस संशोधन पर मुझे मत लेना चाहिये। बस, यही मेरी प्रतिक्रिया है।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 62 के खण्ड (5-क) को हटा दिया जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं श्रीमान: "कि अनुच्छेद 67 का खण्ड (6) हटा दिया जाये।"

यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खण्ड है, सुतरां माननीय मित्र श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने जिस सजगता के साथ मेरे संशोधन को निराकृत करने के लिये अपना संशोधन भेजा है उसे मैं समझ रहा हूं। किन्तु मैं सभा को यह अविलम्ब बता देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण खण्ड को, जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर लोक सभा के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, हम यों ही बिना सोचे समझे हटाने का संशोधन नहीं रख रहे हैं। इस सम्बन्ध में सभा का ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा 289-ख की ओर जिसमें यह कहा गया है:-

"The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult franchise; that is to say, every citizen, who is not less than twenty-one years of age on such date as may be fixed in this behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled, to be registered as a voter at any such election."

[326—लोक सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अपितु प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीख पर, जैसी कि समुचित विधान मण्डल द्वारा नियमित किसी विधि के द्वारा या अधीन इसलिये नियत की गई हो, इक्कीस वर्ष की अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधान मण्डल द्वारा

निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त-विकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या अवैध आचार के आधार पर अनर्ह नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीबद्ध होने का हकदार होगा।]

अनुच्छेद 67 के खण्ड (6) का समूचा सार भाग अनुच्छेद 289-ख में आ गया है और मसौदा समिति ने मतदाताओं की अनर्हता को रखने के लिये इसी स्थल को उपयुक्त समझा है। इसलिये अब अनुच्छेद 67 के खण्ड (3) को रखने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। यही कारण है जो मैंने यह संशोधन रखा है।

(प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना ने अपना संशोधन नहीं पेश किया)

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 67 का खण्ड (3) हटा दिया जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:

"कि 67 के खण्ड (7) के स्थान पर यह खण्ड रखा जाये।

'The representation in the House of the People of the territories comprised within the territory of India but not included within any State shall be such as Parliament may by law provide.' "

[भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक सभा में वैसा होगा जैसा कि संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे।]

मूल खण्ड (7) का पाठ यह था:

"Parliament may, by law, provide for the representation in the House of the People of territories other than States."

[संसद, विधि द्वारा राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के, लोक सभा में प्रतिनिधित्व का उपबन्ध कर सकेगी।]

सभा को स्मरण होगा कि अभी कल हमने नया अनुच्छेद 67-क पास किया है जो कमोवेश अधिकार देने वाला अनुच्छेद है। इससे खण्ड (7) जैसे खण्ड को रखने की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती है। सोचा यह है कि इस खण्ड को विशद् बनाकर इस रूप में रखने की जरूरत है जैसाकि संशोधन में सुझाया गया है।

***अध्यक्षः** इस पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 67 के खण्ड (7) के स्थान पर यह खण्ड रखा जाये:–

'(7) The representation in the House of the People of the territories comprised within the territory of India but not included within any State shall be such as Parliament may by law provide.' "

[भारत राज्य क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले राज्य-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक सभा में वैसा होगा जैसा कि संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं:

"कि अनुच्छेद 109 के परन्तुक के स्थान पर यह परन्तुक रखा जाये:–

'Provided that the said jurisdiction shall not extend to—

(i) a dispute to which a State for the time being specified in Part III of the First Schedule is a party, if the dispute arises out of any provision of a treaty, agreement, covenant, engagement, *sanad* or other similar instrument which was entered into or executed before the date of commencement of this Constitution and has, or has been, continued in operation after that date;

(ii) a dispute to which any State is a party, if the dispute arises out of any provision of a treaty, agreement, covenant. engagement, *sanad*, or other similar instrument, which provides that the said jurisdiction shall not extend to such dispute.' "

[परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा जिसमें:–

(1) प्रथम अनुसूची के भाग 3 में उल्लिखित कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबन्ध, सनद या अन्य तत्सम लिखित के, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहले की गई या निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रवर्तन में है या रख ली गई है, किसी उपबन्ध से पैदा हुआ है।

(2) कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा वचनबंध, सनद या अन्य तत्सम लिखित के, जो उपबन्ध करती है कि वैसा क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पर विस्तृत न होगा, किसी उपबन्ध से पैदा हुआ है।]

इस सम्बन्ध में सदस्यों से मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि, इस अनुच्छेद के पास किये जाने के पहले, संविधान के प्रारूप में यह अनुच्छेद जिस रूप में रखा गया था उसकी ओर वह दृष्टिपात करें। वह यह देखेंगे कि प्रारूप में ये परन्तुक ठीक इसी रूप में रखे गये हैं। किन्तु प्रारूप के अनुच्छेद 109 को जब हमने यहां पेश किया था उस समय महसूस यह किया था कि जिस परिस्थिति में हम हैं उसमें शायद हम सभा से यह अनुरोध नहीं कर सकते हैं कि इस परन्तुक (1) के आशय के किसी परन्तुक को वह स्वीकार करे। इसलिये सभा द्वारा उस समय स्वीकृत किये अनुच्छेद 109 में ऐसा परन्तुक नहीं है जिससे भाग 3 वाले राज्यों की बात आ जाती हो और उसमें केवल परन्तुक (2) को उस समय सभा ने रखा था। किन्तु अब परिस्थिति बदल गई है और हम यह आवश्यक समझ रहे हैं कि मूल मसौदे के परन्तुक (1) के आशय का एक परन्तुक हमें इस अनुच्छेद में रखना चाहिये और इसीलिये यह संशोधन मैंने रखा है। आशा है सभा इसे स्वीकार करेगी।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 109 के परन्तुक के स्थान पर यह परन्तुक रखा जाये:

'Provided that the said jurisdiction shall not extend to—

(i) a dispute to which a State for the time being specified in Part III of the First Schedule is a party, if the dispute arises out of any provision of a treaty, agreement, covenant, engagement, *sanad* or other similar instrument which was entered into or executed before the date of commencement of this Constitution and has, or has been, continued in operation after that date;

(ii) a dispute to which any State is a party, if the dispute arises out of any provision of a treaty, agreement, covenant, engagement, *sanad,* or ohher similar instrument which provides that the said jurisdiction shall not extend to such dispute.' "

[परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा जिसमें:—

(1) अनुसूची के भाग 3 में उल्लिखित कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या अन्य तत्सम लिखित के, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहले की गई या

[अध्यक्ष]

निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रवर्तन में है या रख ली गई है, किसी उपबन्ध से पैदा हुआ है।

(2) कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद, किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या अन्य तत्सम लिखित के, जो उपबंध करती है कि वैसा क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पर विस्तृत न होगा, उपबन्ध से पैदा हुआ है।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

अनुच्छेद 112

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद पर विचार अभी कल तक स्थगित रखा जाये। कई सदस्यों ने ऐसा आवेदन किया है कि इस अनुच्छेद की वह कुछ और छानबीन करना चाहते हैं। यदि इतना समय देने में असुविधा होती हो तो कृपा कर कल तक के लिये इसे अवश्य रोक लीजिये।

***अध्यक्ष:** तो इस पर विचार अभी रुका रहता है। अब हम लेंगे संशोधन नं. 365 को जो अनुच्छेद 119 पर आया है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** संशोधन नं. 365 को उपस्थित करते हुए मैं आपसे इस बात की अनुमति चाहता हूं कि इसमें अपने संशोधन नं. 388 को भी शामिल कर लूं जिसको मैंने आज भेजा है। मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:–

"कि अनुच्छेद 119 के संख्याक्रम को बदल कर अनुच्छेद 119 के खण्ड (1) के रूप में रखा जाये और उसके साथ यह खण्ड और जोड़ दिया जाये:

'(2) The President may notwithstanding anything contained in clause (i) of the proviso to article 109 of this Constitution, refer a dispute of the kind mentioned in the said clause to the Supreme Court for opinion and the Supreme Court may, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.' "

[(2) राष्ट्रपति, इस संविधान के अनुच्छेद 109 के परन्तुक के खण्ड (1) में किसी बात के होते हुये भी, उक्त खण्ड में वर्णित प्रकार के विवाद को उच्चतम न्यायालय को राय देने के लिये सौंप सकेगा तथा उच्चतम न्यायालय, ऐसी कार्रवाई के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा।]

यह खण्ड भी संविधान के प्रारूप में जो अनुच्छेद 119 रखा गया है उसका ही अंश है। मूल अनुच्छेद 119 की सारी बातें प्रायः यहां शब्दशः रखी गई हैं सिवाय इसके कि उसके अन्तिम तीन पंक्तियों में जरा सा अदल बदल कहीं कहीं कर दिया गया है। अनुछेद 119 को जिस रूप में सभा ने पास किया है उसमें यह खंड नहीं रखा गया है पर अब हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यह खण्ड अब फिर इस अनुच्छेद में आ जाना चाहिये। इसको किस अभिप्राय से रखा जा रहा है यह बात स्वतः स्पष्ट है। इसके द्वारा अधिकार दिया जा रहा है राष्ट्रपति को इस बात का कि वह ऐसे मामले को, जैसाकि संशोधन में वर्णित है, उच्चतम न्यायालय को उसकी राय के लिये सौंप सकता है और उच्चतम न्यायालय उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को प्रतिवेदित कर सकता है। वर्तमान अनुच्छेद 119 में और इस प्रस्तावित अनुच्छेद 119 में बड़ा महत्वपूर्ण अन्तर आ जाता है इस उपबन्ध से। इस अनुच्छेद को पहले जब पास किया गया था तब से बहुत सी और बातें जोड़ दी गई हैं जिससे संविधान का दायरा बहुत विस्तृत हो गया है। इस दायरे के विस्तृत होने से जो परिस्थिति अब पैदा हो गई है उसमें इस उपबन्ध का रखना जरूरी हो गया है।

*अध्यक्षः प्रश्न यह हैः

"कि अनुच्छेद 119 के संख्या क्रम को बदल कर अनुच्छेद 119 के खण्ड (1) के रूप में रखा जाये और उसके साथ यह खण्ड और जोड़ दिया जायेः

'(2) The President may, notwithstanding anything contained in clause (1) of the proviso to article 109 of this this Constitution, refer a dispute of the kind mentioned in the said clause to the Supreme Court for opinion and the Supreme Court may, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.' "

[(2) राष्ट्रपति, इस संविधान के अनुच्छेद 109 के परन्तुक के खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त खण्ड में वर्णित प्रकार के विवाद को उच्चतम न्यायालय को राय देने को सौंप सकेगा, तथा उच्चतम न्यायालय, ऐसी कार्रवाई के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा।]

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं—

"कि अनुच्छेद 135 के खण्ड (3) में 'shall have an official residence' (पदावास रहेगा) शब्दों की जगह 'shall be entitled without payment of rent to

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

the use of his official residence' (बिना किराया दिये अपने पदावासों के उपयोग का हक होगा) शब्द रखे जायें।"

यह अनुच्छेद राज्यपाल के सम्बन्ध में है। राष्ट्रपति से सम्बन्ध रखने वाले अनुच्छेद 49 में इस सम्बन्ध में जो संशोधन रखा गया था उसे सभा ने स्वीकार किया है।

श्री एच.वी. कामतः मेरी तुच्छ राय में तो यहां एक विषमता रह गई है। केन्द्र के सम्बन्ध में तो हमने राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को—दोनों को—ही बिना किराये का आवास गृह का उपबंध किया है। फिर यहां भी क्यों न राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों—दोनों के लिये बिना किराये के आवासगृह का उपबन्ध करें? कवल राज्यपाल के लिये क्यों ऐसा किया जाये?

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** किसी भी प्रस्ताव को निरर्थक बनाने के लिये तर्क का इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है।

***अध्यक्षः** यह सवाल यहां नहीं उठता है। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 135 के खण्ड (3) में 'shall have an official residence' (पदावास रहेगा) शब्दों की जगह 'shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences' (बिना किराया दिये अपने पदावासों के उपयोग का हक होगा) शब्द रखे जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं—

"कि अनुच्छेद 135 के खण्ड (3) में 'Legislature of the State' (राज्य के विधान मण्डल) शब्दों की जगह 'Parliament' (संसद) शब्द रखा जाये।"

अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसलिये यह महसूस किया आ रहा है कि यह ठीक नहीं होगा कि राज्यपाल के उपलब्धियों के विनिश्चयन का प्रश्न राज्य के विधान मण्डल को सौंपा जाये। शुरू में ऐसा किया गया था इसलिये कि हमने सोचा यह था कि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाये। यह संशोधन और पहले ही आ जाना चाहिये था पर हमने यह देखा कि अब यह अन्तिम मौके पर ही रखा जा सकता है। इसीलिये अब मैं यह संशोधन रख रहा हूं ताकि राज्यपाल की उपलब्धियों का विनिश्चयन संसद विधि द्वारा करे।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** मुझे खुशी है कि यह परिवर्तन यहां किया जा रहा है। केवल यह जानना चाहता हूं कि राज्यपाल का वेतन कहां से दिया जायेगा, केन्द्रीय कोष से या प्रान्तीय कोष से?

***अध्यक्ष:** यह प्रान्तीय राजस्व पर प्रभारित होगा।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 135 के खण्ड (3) में 'Legislature of the State' (राज्य का विधानमण्डल) शब्दों की जगह 'Parliament' (संसद) शब्द रखा जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:

"कि अनुच्छेद 144 का खण्ड (4) निकाल दिया जाये।"

यह खण्ड (4) उसी तरह का है जैसा कि अनुच्छेद 62 (5-क) जिसे हम हटा चुके हैं। इसे हटाने का कारण यह है कि सभा यह फैसला कर चुकी है कि संविधान में अनुसूची 4 नहीं रहनी चाहिये और यह खण्ड इस बात पर ही आधृत है कि अनुसूची 4 संविधान में रहे। सुतरां अब इसको रखने की आवश्यकता नहीं है।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 144 का खण्ड (4) हटा दिया जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:

"कि अनुच्छेद 149 का खण्ड (2) हटा दिया जाये।"

अनुच्छेद 149 का खण्ड (2) प्राय: वैसा ही है जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद जिसे सभा लोक सभा के बारे में पास कर चुकी है। इस खण्ड में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन का उपबंध किया गया है और अब हम इसे दूसरे स्थल पर रख रहे हैं। संसद तथा राज्यों के विधान-मण्डलों के चुनाव के सम्बन्ध में सारी व्यवस्था अनुच्छेद 289-ख में रख दी गई है। इसलिये अब इस खण्ड की जरुरत नहीं रह गई है।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** मैं अपना टाइप किया हुआ संशोधन नहीं उपस्थित कर रहा हूं। यह संशोधन यों है:-

"कि संशोधन सूची 4 (द्वितीय सप्ताह) का संशोधन नं. 369 हटा दिया जाये।"

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** कुछ सदस्य, जिनमें मैं भी हूं, यह समझने में असमर्थ हैं कि आखिर क्यों यहां लोग अपने विचार बदल दिया करते हैं। जब अनुच्छेद 149 (2) यहां मौजूद था तो हमें अनुच्छेद 289-ख को नहीं पास करना चाहिये था। इनमें से एक अनुच्छेद को हटाने का ही संशोधन हमें तुरन्त पास कर लेना

[श्री नज़ीरुद्दीन अहमद]

था। जहां तक वर्तमान संशोधनों का सम्बन्ध है, यह आज ही सदस्यों के पास भेजे गये हैं। सदस्यों को इन पर विचार करने का अभी मौका भी नहीं मिल पाया है। इस तरह से जल्दबाजी में संशोधनों को रखने का परिणाम यह हो सकता है कि जगह-जगह असंगतियां आ जायेंगी जिनको हमें पुनः ठीक करना होगा। इन संशोधनों को समझना मुश्किल है और जिस तरह असंगति और द्वित्व के आधार पर अपने पूर्व स्वीकृत बातों के बारे में हम संशोधन कर रहे हैं उससे यह आशंका होती है कहीं इनको बिना विचारे ही न हम पास कर बैठें।

***अध्यक्षः** मेरा ख्याल है कि यह सभी अनुच्छेद पहले अलग एक दूसरे भाग में रखे गये थे जो निर्वाचन के बारे में था। पर अब आवश्यक यह समझा गया है कि निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले इन सभी अनुच्छेदों को उठाकर इस स्थल पर रख दिया जाये।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** जब संशोधनों को पास किया गया था उस समय यह बात क्यों नहीं सोची गई?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** अध्यक्ष ने जो समझाया वह बिल्कुल ठीक है। पर असल में इन सभी बातों को हम एक अध्याय में रखना चाहते थे और जिस समय यह अध्याय रखा गया और पास किया गया था उस समय हमने इस अनुच्छेद को उठाने का संशोधन इसलिये नहीं पेश किया था कि सोचा यह गया कि द्वितीय पठन के समय जब इन पर बहस खत्म होगी उस समय ऐसा कर दिया जायेगा। हमने यह अनुभव किया कि और भी तरह-तरह की बातें यहां उठायी जायेंगी और इन सबके लिये एक संशोधन अन्त में रख दिया जायेगा। यही कारण है जो जब यह संशोधन आपके सामने रखा गया है।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 149 का खण्ड (2) हटा दिया जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं श्रीमानः

"कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (4) में 'Legislature of the State' (राज्य का विधान-मण्डल) शब्दों की जगह 'Parliament' (संसद) शब्द रखा जाये।"

इस संशोधन को रखने का कारण यह है कि इस अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन जो शक्ति राज्य के विधान मण्डल को प्राप्त है वह अब अनुच्छेद 289-ख के द्वारा संसद को दे दी गई है। मुझे विश्वास है कि माननीय मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद हमें इस बात के लिये दोषी न बतायेंगे कि उस समय हमने इन शब्दों की जगह 'संसद' शब्द रखने का संशोधन रख कर क्यों नहीं इस खण्ड को हटाने

का प्रस्ताव किया। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमने यह अनुभव किया कि बाद में चल कर हम यह सब ठीक तरह से कर सकेंगे और इसीलिये तब इसे छोड़ दिया था। यह बात नहीं है कि हम यह नहीं जानते थे कि हम जो कर रहे हैं वह अनुच्छेद 149 के खण्ड (4) के प्रतिकूल है।

***श्री एच.वी. कामतः** मसौदा समिति ने इसमें एक छोटी सी शाब्दिक भूल कर दी है। होना यह चाहिये कि "Legislature of a State" शब्दों की जगह "Parliament" शब्द रखा जाये। अगर यह संशोधन इसी रूप में स्वीकृत होता है तो खण्ड का रूप यह होगाः–

"With effect from such date as the Parliament may by law determine."

यहां 'Parliament' के आगे 'the' का प्रयोग गलत है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** माननीय मित्र का मैं बहुत ही अनुगृहीत हूं कि इन्होंने इस त्रुटि की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। संशोधन को इस रूप में पढ़िये कि 'Legislature of a State' की जगह 'Parliament' शब्द रखा जाये।

माननीय मित्र का इसके लिये मैं अतिशय ही कृतज्ञ हूं।

***श्री एच.वी. कामतः** क्यों न मान लीजिए कि आपके संशोधन पर मैंने यह संशोधन रखा है?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इसमें कहा यह गया हैः

" 'Upon the completion of each census, the representation of the several territorial constituencies in the Legislative Assembly of each State shall subject to the provisions of article 289 of this Constitution, be, readjusted by such authority, in such manner and with effect from such date as the Legislature of the State may by law determine...'

(प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में विविध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधान, इस संविधान के अनुच्छेद 289 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी तिथि से प्रभावी होने के लिये पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा जैसा कि उस राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा निश्चय करे।)"

इसको रखने का अभिप्राय यह था कि नई जनगणना की समाप्ति पर और निर्वाचन क्षेत्रों के बन जाने पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था राज्य का विधान मण्डल करेगा। अब यह अधिकार संसद को दे दिया जा रहा है। संसद को यह अधिकार दिया जा रहा है। इसको तो मैं बहुत पसन्द करता हूं क्योंकि संसद की व्यवस्था

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

में एकरूपता रहेगी। पर मैं जानना यह चाहता हूं कि यह काम सम्पादित किस तरह किया जायेगा। हो सकता है कि प्रान्तों की आबादी और बढ़ जाये। अतः प्रश्न यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कैसे किया जायेगा। अवश्य ही प्रान्त यह तो चाहेंगे ही कि इस सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्था की जाये इसके पहले उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाये और उसकी सुनवाई हो इसलिये कुछ न कुछ व्यवस्था इस बात के लिये होनी चाहिये कि संसद को इस बारे में कोई निर्णय करने से पहले, यह मालूम हो जाये कि सम्बन्धित राज्य के विधान-मण्डल की राय क्या है। आप मेरे ही प्रान्त को लीजिये। वहां की आबादी 6 करोड़ है और जगहें रखी गई हैं 500। अब मान लीजिये कि वहां की आबादी बढ़ जाती है। उस हालत में वहां निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः परिवर्तन करना होगा। या ऐसे किसी प्रान्त को लीजिये जहां आबादी अभी कम है पर आगे चल कर बढ़ जाती है। ऐसे प्रान्त क्या अपने निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में आबादी के हिसाब से वृद्धि कर सकेंगे? हमें इस बात का उपबन्ध करना ही होगा कि संसद कोई निर्णय करे इसके पहले राज्य के विधान-मण्डल को इस बारे में अपनी बात कहने का मौका जरूर दिया जायेगा।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के कथन के उत्तर में मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। पूर्वगामी एक संशोधन पर मैंने जो बात कही थी उसके जवाब में आप यह फरमाते हैं कि मैं हमेशा उनकी गलती ढूंढा करता हूं। वस्तुतः मैं उनका छिद्रान्वेषण नहीं कर रहा था बल्कि अपनी कठिनाई समझा रहा था। मेरी तरह सभा के अन्य कई सदस्यों को भी यही कठिनाई है। वस्तुतः श्री कृष्णमाचारी ही सदस्यों की गलती ढूंढा करते हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** अगर माननीय मित्र को मेरे कारण कुछ भी असुविधा हुई है तो इसके लिए मैं अवश्य उनसे क्षमा चाहूंगा। जहां तक कि माननीय प्रो. शिब्बललाल सक्सेना की बात का सम्बन्ध है मैं उनसे यह कहूंगा कि वह अनुच्छेद 290 को फिर पढ़ें। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि राज्य के विधान-मण्डलों की राय संसद को मालूम होनी चाहिये, इरादा यही किया गया था कि इसके लिये एक न एक व्यवस्था रखी जायेगी। किन्तु अभी इस समय, अनुच्छेद 290 तथा अनुच्छेद 149 के खण्ड (4) में जो कुछ कहा गया है, उससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह हैः

"कि अनुच्छेद 149 के खण्ड (4) में 'the Legislature of a State' शब्दों की जगह 'Parliament' शब्द रखा जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं श्रीमान कि संशोधन नं. 371 को अभी रोके रखिये क्योंकि यह भी संशोधन नं. 364 के समान

है जिसके सम्बन्ध में मेरा अनुरोध स्वीकार करके आपने कल तक स्थगित रखने की कृपा की है। अब मैं यह संशोधन रखता हूं:

"कि अनुच्छेद 230 में, अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जायें:—

'or any decision made at any international conference, association or other body.'

[या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकाय द्वारा किये गये किसी विनिश्चयन के]"

मेरा ख्याल है कि माननीय मित्र श्री कामत इस संशोधन को अवश्य पसन्द करेंगे खास करके इस बात को देखते हुए कि अनुसूची 7 की सूची 1 की एतत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के उपबंध को और विस्तृत करने पर आपका प्रबल आग्रह था। इस संशोधन के स्वीकृत होने पर इस अनुच्छेद का रूप यह होगा:–

" 'Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, Parliament has power to make any law for any State or part thereof for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other body.'

[इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिश्चय के परिपालन के लिये किसी राज्य या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।]"

मेरा ख्याल है कि इस संशोधन से अनुच्छेद सर्वथा पूर्ण हो जायेगा और उन सभी आवश्यकताओं की इससे पूर्ति हो जायेगी जिनके लिये संसद को, ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के निर्णयों को जिनमें कि भारत भी एक पक्ष होगा कानून बनाने की जरूरत पड़ सकती है।

***श्री एच.वी. कामत:** माननीय मित्र श्री कृष्णमाचारी के कथन से मैं सर्वथा सन्तुष्ट हूं।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 230 में अन्त में यह जोड़ दिया जाये:–

'or any decision made at any international conference, association or other body' (या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकाय द्वारा किये गये किसी विनिश्चय के)"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** संशोधन नं. 373 के बारे में मैं आपसे इसे कल तक रोकने की अनुमति चाहूंगा, श्रीमान।

***श्री आर.के. सिधवा:** यह तो मैं समझ सकता हूं कि कुछ समय बाद कोई किसी संशोधन के बारे में अपना विचार बदल दे, किन्तु यह संशोधन तो अभी कल ही सभा के सामने रखा गया है और इतनी जल्दी माननीय मित्र ने इस बारे में अपना विचार बदल दिया है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** तो मैं इसे अभी उपस्थित किये देता हूं श्रीमान।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** एक औचित्य प्रश्न है श्रीमान। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खण्ड माना गया है और आज सवेरे ही हम लोगों को यह मिला है। इस सभा में योगदान देने के अलावा भी तो और भी कई बातें हमें देखनी पड़ती हैं। इन संशोधनों पर विचार करने के लिये हमें कुछ समय चाहिये। हम अभी एकाएक इस पर कोई विचार तो दे सकते हैं।

***अध्यक्ष:** अच्छी बात है, संशोधन कल तक रुका रहेगा।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:–

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) का उपखण्ड (ग) हटा दिया जाये।"

अनुच्छेद 303 को पेश करने से पहले मैं अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) (ख) में, जो रोक रखा गया है, एक बात पेश करने की अनुमति चाहता हूं। अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) के मद (ख) और (ग) उस दिन रोक रखे गये थे और मेरा संशोधन नं. 375 के मद (ग) को हटाने की अनुमति चाहता है। मद (ख) को हमें पेश करना ही होगा और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसे पेश करूं। इस पर कोई संशोधन नहीं आया है। यह ऐंग्लो इंडियनों को परिभाषा के बारे में में है। मैं यह प्रस्ताव रखता हूं:—

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) का मद (ख) उस रूप में रखा जाये जिसमें कि प्रारम्भ में संविधान के प्रारूप में इसे रखा गया था।"

***श्री एच.वी. कामत:** उन लोगों के बारे में क्या होगा श्रीमान जिनके जनक पिता पक्ष में आस्ट्रेलियन या अमेरिकन वंश के हैं? 'ऐंग्लो' का मतलब है केवल इंग्लैंड से न कि यूरोप से। इसका मसौदा कुछ ठीक नहीं बन पाया है। उनका क्या होगा जो अमेरिकन, आस्ट्रेलियन या कैनाडियन वंश के होंगे। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस कठिनाई का हम कैसे हल करेंगे।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** यह परिभाषा दी गई है भारत शासन अधिनियम में। हमने तो उसे वहां से ही लिया है।

***श्री एच.वी. कामत:** भारत शासन अधिनियम में अगर कोई गलती है तो क्या हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं?

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** "यूरोपीय वंश का" शब्दों के अन्दर अमेरिकन और आस्ट्रेलियन वंश के लोग भी आ जायेंगे।

***श्री एच.वी. कामत:** आप इस मसौदे से सन्तुष्ट हैं क्या श्रीमान। मुझे तो आश्चर्य है।

***अध्यक्ष:** व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने कोई प्रश्न न रखिये। जो भी सभा स्वीकार करती है उससे मैं सन्तुष्ट हूं। अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) का मद (ख) 16 सितम्बर को स्थगित रखा गया था और.....

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** इसका स्मरण तो हमें तब हुआ जब माननीय सदस्य ने अपना फिर से बनाया मसौदा पढ़कर सुनाया है। कार्यक्रम में यह नहीं दिया गया है। इससे यही जाहिर होता है कि कितनी लापरवाही यहां की जाती है।

***अध्यक्ष:** अनुच्छेद 303 कार्यक्रम में है और इसमें किसी बात को सुधारने या हटाने का कोई संशोधन नहीं आ रहा है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि इसको और रोके रखने में कोई लाभ है। संशोधनों की जो दूसरी छपी हुई सूची है उसको मैंने देख लिया है। उसमें कोई भी संशोधन इस पर नहीं है। प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) का उपखण्ड (ख), जिस रूप में कि संविधान के प्रारूप में वह शुरू में रखा गया है, स्वीकार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) का उपखण्ड (ग) हटा दिया जाये।"

यह भारतीय इसाइयों के बारे में है और अपने संविधान में 'भारतीय इसाई' कह कर कोई उल्लेख नहीं आया है क्योंकि शुरू में जो अधिकार उनको दिये गये थे उनका अब प्रस्तावित संशोधनों द्वारा निरसन कर दिया गया है। इसलिये अब इस परिभाषा को रखने की कोई जरूरत नहीं रह गई है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** संशोधन क्या है श्रीमान?

***अध्यक्ष:** संशोधन यह है कि 'इसाई' शब्द की जो परिभाषा अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) में रखी गई है वह हटा दी जाये क्योंकि 'इसाई' शब्द संविधान में अब कहीं नहीं आता है।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) का उपखण्ड (ग) हटा दिया जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन रखता हूं कि:

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) के उपखण्ड (3) की जगह यह उपखण्ड रखा जाये।

'(iii) 'Indian State' means any territory which the Government of the Dominion of India recognised as such a State.'

[(3) 'देशी राज्य' से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्यक्षेत्र जिसे भारत डोमिनियन की सरकार ऐसा राज्य अभिज्ञात करती थी।]"

यहां निर्देश हैं संविधान के प्रारूप के पृष्ठ 157 के प्रति तथा उस पर आये उपखण्ड के प्रति जिसे हम पास कर चुके हैं। जिस रूप में हमने इस उपखण्ड (3) को पास किया है यह दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक में तो देशी राज्य की परिभाषा दी गई है संविधान के प्रारम्भ के पूर्व की अवधि के बारे में और दूसरे में, संविधान के प्रारम्भ के बाद की अवधि के बारे में। किन्तु अब इन दो अवधियों के लिये अलग-अलग परिभाषा देने की जरूरत नहीं रह गई है। इसलिये अब यह परिभाषा दी जा रही है।

***श्री एच.वी. कामत:** "भारत डोमिनियन की सरकार" रखना क्या जरूरी है श्रीमान? 'भारत सरकार' कहना क्या पर्याप्त न होगा?

***अध्यक्ष:** इससे एक भ्रान्ति होती है। भारत सरकार से अभिप्रेत है वह भारत सरकार जो नये संविधान के अधीन काम करेगी और भारत डोमिनियन की सरकार से अभिप्रेत है वह सरकार जो संविधान के प्रारम्भ के पूर्व यहां अधिकारारूढ़ रही है। इस भ्रान्ति को बचाने के लिये ही यह संशोधन रखा जा रहा है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मुझे ऐसा मालूम होता है श्रीमान कि यहां 'डोमिनियन शब्द का प्रयोग भविष्य के सम्बन्ध में किया गया है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** मेरा ख्याल यह है कि यहां अन्त में 'such a State' शब्दों की जगह "an Indian State" शब्द रखना ज्यादा अच्छा होगा।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मुझे यह परामर्श मिला है कि अगर श्री सन्तानम् का संशोधन स्वीकार किया जाता है तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पायेगा। तथ्य यह है कि संविधान के प्रवर्तन में आ जाने पर 'देशी राज्य' को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी। संविधान के प्रारम्भ के पूर्व के सम्बन्ध में ही देशी राज्य का उल्लेख आयेगा। इसलिये संविधान के प्रवर्तन में जाने के बाद संविधान से इसका नाता जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि हमने इसकी परिभाषा संक्षिप्त कर दी है। शुरू में सभा ने इसकी परिभाषा के लिये दो अलग-अलग पैरा रखे थे पर अब इसकी परिभाषा एक ही पैरे में दे दी गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि 'as such' शब्दों को यहां जिस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया है वह उसके लिए सर्वथा उपयुक्त हैं।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** नये संविधान में भी "Indian States" (देशी राज्य) शब्द आये हैं और परिसम्पत्ति तथा देयता (assets & liabilities) के प्रयोजन के लिए, इनका निर्वचन देना ही होगा। इसलिय हमें यहां यह कहना होगा कि 'देशी राज्यों' से अभिप्रेत है वह राज्य क्षेत्र जो भारत डोमिनियन द्वारा देशी राज्य के नाम से अभिज्ञात था। यह संशोधन शाब्दिक मात्र है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** नये संविधान में जहां कहीं भी देशी राज्य के प्रति निर्देश आया है वहां इसे राज्य ही कहा गया है और उसका मतलब है पूर्ववर्ती तत्स्थानी राज्य से या तत्स्थानी प्रान्त से। संविधान के प्रवर्तन में आ जाने के बाद इस सम्बन्ध में जो स्थिति रहेगी उसके निर्वचन के लिये संविधान में कहीं भी 'देशी राज्य' शब्द नहीं रखे गये हैं।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** मैं एक बात जानना चाहता हूं। वह यह कि संविधान में कहां-कहां 'देशी राज्य' शब्द रखे गये हैं? हमें यह मालूम होना चाहिये कि किस प्रसंग में यह शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तभी हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं।

***अध्यक्ष:** श्री कृष्णमाचारी ने अभी दो स्थानों का उल्लेख किया तो है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** यदि माननीय मित्र इसी वक्त यह देखना चाहते हैं कि किस प्रसंग में यह शब्द आये हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि वह अनुच्छेद 273-क को देखें जो अभी रुका हुआ है तथा अनुच्छेद 267-क को देखें जो पास हो चुका है। इसके अलावा भी अन्य कई अनुच्छेदों में यह शब्द आये हैं।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** 'such a State' शब्द जो रखे गये हैं इसमें आर्टिकल 'a' को तो कम से कम अवश्य हटा देना चाहिये।

***अध्यक्ष:** 'recognised as an Indian State' कहने में कुछ हानि है क्या?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** आर्टिकल का हटाना गलत होगा। यदि 'Indian State' शब्दों को आप रखते हैं तो 'an Indian State' कहना ही होगा क्योंकि केवल 'Indian State' कहना शुद्ध नहीं होगा। चाहे 'Indian State' शब्द रखिये या 'State' शब्द रखिये 'an' या 'a' आर्टिकल तो आपको रखना ही होगा। भारत शासन अधिनियम में क्या परिभाषा दी गई है यह मैं पढ़कर सुना दूं श्रीमान?

> "Indian State means any territory not being part of British Indian which his Majesty's Government recognised as being such a State whether described as a State, an estate, jagir or otherwise."
>
> [देशी राज्य से अभिप्रेत है वह राज्य क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत का अंग नहीं है और जिसे सम्राट् की सरकार देशी राज्य के नाम से अभिज्ञात करती थी चाहे वह राज्य, इस्टेट, जागीर या अन्य नाम से वर्णित हो]

***अध्यक्ष:** मैं नहीं समझता कि अर्थ के बारे में कोई कठिनाई हो सकती है। यह तो केवल भाषा की बात है कि अंग्रेजी में इसे कैसे व्यक्त करते हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** इन मामलों में कमोबेश हमने भारत शासन अधिनियम का ही अनुगमन किया है।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) के उपखण्ड (3) की जगह यह उपखण्ड रखा जाये:

'(iii) 'Indian State' means any territory which the Government of the Dominion of India recognised as such a State.'

[(3) 'देशी राज्य' से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य क्षेत्र जिसे भारत डोमिनियन की सरकार ऐसा राज्य अभिज्ञात करती थी।]"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:–

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ढ़) की जगह यह उपखण्ड रखा जाये:

'(nn) 'Rajpramukh' means—

(i) in relation to the State of Hyderabad, the person who for the time being is recognised by the President as the Nizam of Hyderabad;

(ii) in relation to the State of Jammu and Kashmir or the State of Mysore, the person who for the time being is recognised by the President as the Maharaja of that State; and

(iii) in relation to any other State for the time being specified in Part III of the First Schedule, the person who for the time being is recognised by the President as the Rajpramukh of that State,

and includes in relation to any of the said States any person for the time being recognised by the President as competent to exercise the powers of the Rajpramukh in relation to that State;'

["राजप्रमुख" से अभिप्रेत है:—

(1) हैदराबाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद के निजाम के रूप में तत्समय अभिज्ञात है;

(2) जम्मू और कश्मीर राज्य या मैसूर राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप में तत्समय अभिज्ञात है; तथा

(3) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राजप्रमुख के रूप में तत्समय अभिज्ञात है;

तथा उसमें उक्त राज्यों में से किसी के सम्बन्ध में, वह कोई व्यक्ति भी अन्तर्गत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के सम्बन्ध में राजप्रमुख की शक्तियां प्रयोग करने के लिये सक्षम तत्समय अभिज्ञात है;]

मूल परिभाषा, जिसके स्थान पर अब यह रखी जा रही है वह केवल शासक के बारे में थी। इसके बाद एक परिभाषा मैं राज्यपाल के बारे में रखना चाहता हूं जो यों है:—

" '(nnn) 'Ruler' in relation to an Indian State means the Prince, Chief or other person by whom any such covenant or agreement as is referred to in clause (1) of article 267A of this Constitution was entered into and who for the time being is recognised by the President as the Ruler of the State, and includes any person who for the time being is recognised by the President as the successor of such Ruler;'

["शासक" से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में अभिप्रेत है कोई राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिसने ऐसी कोई प्रसंविदा या करार, जैसा कि इस संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट है, किया था तथा जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक तत्समय अभिज्ञात है तथा उसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो राष्ट्रपति द्वारा ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्ञात है;]"

जैसा कि पहले मैं कह चुका हूं, मूल अनुच्छेद 303 (1) के उपखण्ड (ढ़ढ़) को यहां दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। यहां यह साफ-साफ व्यक्त किया गया है कि राजप्रमुख कौन है और राजप्रमुख का निर्देश करने में हैदराबाद के शासक के लिये 'निजाम' शब्द के प्रयोग की तथा जम्मू और कश्मीर तथा मैसूर के शासकों के लिये महाराजा शब्द के प्रयोग की अनुमति दी गई है। राजप्रमुख और शासक में यहां अन्तर भी कर दिया गया है क्योंकि यहां यह कहा गया है कि शासक एक ऐसा व्यक्ति होगा जो राजप्रमुख नहीं होगा। वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भारत सरकार के साथ ऐसी कोई प्रसंविदा या करार, जैसा कि

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

अनुच्छेद 267-क में निर्दिष्ट है, किया था चाहे उसे शासन की शक्तियां भले ही न प्राप्त हों। इस अनुच्छेद 267-क को हमने कल ही पास किया है। इसके लिये यह उपबन्धित किया गया है कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक माना जाता हो। यह भी उपबन्धित किया गया है कि राष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी को भी शासक मानेगा।

***श्री एच.वी. कामतः** दुर्भाग्यवश इस संशोधन में दो त्रुटियां आ गई हैं श्रीमान। पहली त्रुटि यह रह गई है कि इसमें उप-राजप्रमुख और महाराज प्रमुख की परिभाषा नहीं दी गई है। मुझे यह मालूम हुआ है उदयपुर के महाराजा महाराज प्रमुख के नाम से अभिज्ञात हैं। इस संशोधन में इन दोनों की परिभाषा नहीं दी गई है। यह दोनों परिभाषायें यहां अवश्य आ जानी चाहियें और तभी यह अनुच्छेद पूर्ण हो सकता है।

***अध्यक्षः** उप-राजप्रमुख की परिभाषा के लिये एक संशोधन की सूचना आई है। यह संशोधन आगे चल कर आ रहा है। महाराज प्रमुख शब्द तो कभी व्यवहृत ही नहीं हुआ है।

***एक माननीय सदस्यः** उसे तो कोई शक्ति ही नहीं प्राप्त है।

***माननीय श्री के. सन्तानमः** शासक की परिभाषा के बारे में अन्तिम वाक्य में यह कहा गया है कि "तथा उसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो राष्ट्रपति द्वारा ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्ञात है।" यदि वह ऐसे शासक का उत्तराधिकारी है तो वह अपने आप ही शासक हो जायेगा। शासक तथा उसका उत्तराधिकारी दोनों ही तो एक साथ शासक नहीं रहेंगे। मेरा ख्याल है कि अनुच्छेद के अन्तिम अंश से भ्रान्ति पैदा होगी। इससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि किसी राज्य के लिए शासक भी होगा और साथ ही उसका उत्तराधिकारी भी शासक माना जायेगा। यह एक असम्भव सी बात है। यदि कोई वास्तविक उत्तराधिकारी है तो वह तो अपने आप आगे चल कर शासक हो जायेगा। पर दोनों साथ ही शासक तो नहीं रह सकते हैं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** माननीय मित्र जिस तरह से इस पर विचार कर रहे हैं उसमें दिक्कत यह आती है कि अपने आप उत्तराधिकार पाने की व्यवस्था अब नहीं रह गई है। उत्तराधिकारी वही होगा जिसे राष्ट्रपति उत्तराधिकारी माने।

***माननीय श्री के. सन्तानमः** मेरा मतलब यह है कि ज्यों ही कोई व्यक्ति उत्तराधिकारी स्वीकार किया जायेगा वह शासक बन जायेगा। अन्यथा किसी को उत्तराधिकारी स्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं होता है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** यहां कुछ भ्रान्ति इसलिये हो रही है कि बिना राज्य हुए भी कुछ लोग शासक माने जायेंगे। राजप्रमुख तो केवल राज्यों में ही होंगे पर शासकों का सम्बन्ध होगा जागीरों या जमींदारियों से जो पहले उनके पास रही हैं। हम लोगों का विचार यह है कि जो व्यक्ति जागीर का उत्तराधिकारी होगा वही

राष्ट्रपति द्वारा शासक माना जायेगा। यदि राष्ट्रपति उसे शासक नहीं मानता है तो वह शासक नहीं बन सकता है। किसी को उत्तराधिकार अपने आप नहीं मिल सकेगा। यदि राष्ट्रपति किसी को उत्तराधिकारी स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद जब तक कि वह जगह खाली नहीं होती वह किसी और को उत्तराधिकारी नहीं मान सकता है। किसी को उत्तराधिकारी मानने के पहले उसके लिए खाली जगह होनी चाहिये। अनुच्छेद के शब्दों को लेकर मुझे तो कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्यों को प्रान्तों में मिला देने से, जिसका राज्य समाप्त हो गया है वह शासक माना जायेगा या उत्तराधिकारी?

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** सारी कठिनाई यह है कि यह व्यवस्था ही कुछ बड़ी जटिल है। वस्तुत: यह चकरा देने वाली व्यवस्था है। मैं यह मानता हूं कि उपखण्ड (ढ़ढ़) में जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार तथा अनुच्छेद 267-क के प्रयोजन के लिये वह व्यक्ति भी शासक ही माना जायेगा जिसका राज्य प्रान्त में मिल गया है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** उसके पुत्र को भी फिर क्यों न शासक बनाया जाये।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** ऐसा भी हो सकता है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** यदि अनुमति हो तो मैं यह कहूंगा श्रीमान कि शासक की परिभाषा यहां केवल इस सीमित प्रयोजन के लिये रखी जा रही है कि निजी थैली (प्रिवी पर्स) से उनको रकम दी जा सके। इसको रखने का और कोई मतलब नहीं है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** मेरा प्रश्न यह है कि इसका यह मतलब तो नहीं होगा कि दो व्यक्तियों को एक साथ निजी थैली से रकम पाने का हक होगा? मैं इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहता हूं कि प्रसंविदा के अधीन एक समय एक ही व्यक्ति निजी थैली से रकम पाने का अधिकारी होगा।

***अध्यक्ष:** मेरा ख्याल है कि इस संशोधन के द्वारा यह बात सुनिश्चित हो जाती है क्योंकि केवल वही व्यक्ति इस थैली से रकम पाने का अधिकारी होगा जो राष्ट्रपति द्वारा शासक माना जायेगा।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इसकी व्यवस्था तो उन उपबन्धों के अधीन रहेगी जो राष्ट्रपति द्वारा किसी को शासक माने जाने के बारे में रखे गये हैं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को शासक मानेगा न कि दो, तीन या चार व्यक्तियों को शासक मानेगा। यह पद संहिता यहां जानबूझ कर इसी उद्देश्य से रखी गई है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त रहे।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** उस व्यक्ति को शासक या उत्तराधिकारी के नाम से अभिज्ञात किया जा सकता है:

***अध्यक्षः** श्री सन्तानम्। मैं समझता हूं संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है। इस उपबन्ध के पीछे मूल विचार यह है कि शासकों को जो विशेषाधिकार दिये गये हैं वह उनको भी मिलें जो उनके उत्तराधिकारी स्वीकार किये जायेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को शासक माना जाता है तो वह विशेषाधिकार जो उसे दिये गये हैं केवल उसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त होंगे जिसे राष्ट्रपति उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करेगा।

मैं नहीं समझता कि इस पर और बहस की कोई जरूरत है। अब मैं इस पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ढ़ढ़) की जगह यह उपखण्ड रखा जाये:

'(nn) 'Rajpramukh' means—

(i) in relation to the State of Hyderabad, the person who for the time being is recognised by the President as the Nizam of Hyderabad;

(ii) in relation to the State of Jammu and Kashmir or the State of Mysore, the person who for the time being is recognised by the President as the Maharaja of that State; and

(iii) in relation to any other State for the time being specified in Part III of the First Schedule, the person who for the time being is recognised by the President as the Rajpramukh of that State;

and includes in relation to any of the said States any person for the time being recognised by the President as competent to exercise the powers of the Rajpramukh in relation to that State;

(nnn) 'Ruler' in relation to an Indian State means the Prince, Chief or other person by whom any such covenant or agreement as is referred to in clause (1) of article 267A of this Constitution was entered into and who for the time being is recognised by the President as the Ruler of the State, and includes any person who for the time being is recognised by the President as the successor of such Ruler;'

[(ढ़ढ़) "राजप्रमुख" से अभिप्रेत है:

(1) हैदराबाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद के निजाम के रूप में तत्समय अभिज्ञात है;

(2) जम्मू और कश्मीर राज्य या मैसूर राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप में तत्समय अभिज्ञात है; तथा

(3) प्रथम अनुसूची के भाग (3) में उल्लिखित किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राजप्रमुख के रूप में सत्समय अभिज्ञात है;

तथा उसमें उक्त राज्यों में से किसी के सम्बन्ध में, वह कोई व्यक्ति भी अन्तर्गत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के सम्बन्ध में राजप्रमुख की शक्तियां प्रयोग करने के लिये सक्षम तत्समय अभिज्ञात है;

(ढ़ढ़ढ़) "शासक" से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में अभिप्रेत है कोई राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिसने ऐसी कोई प्रसंविदा या करार, जैसा कि अनुच्छेद 267-क के खंड (1) में निर्दिष्ट है, किया था तथा जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक तत्समय अभिज्ञात है तथा उसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो राष्ट्रपति द्वारा ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्ञात है;]"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन रखता हूं:

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) के उपखण्ड (द) की जगह यह उपखण्ड रखा जाये–

'(r) railway does not include:—

(a) a tramway wholly within a municipal area, or

(b) any other line of communication wholly situate in one State and declared by Parliament by law not to be a railway.'

[(द) रेल में यह शामिल नहीं हैं:

(क) किसी नगरक्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्रामवे, अथवा

(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी एक राज्य में पूर्णतया स्थित हो और जिसे संसद ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित किया हो।]"

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

मूल परिभाषा यों रखी गई थी श्रीमान:

" 'A railway does not include a tramway whether wholly within a municipal area or not.'

[रेल में कोई ट्रामवे नहीं शामिल है चाहे वह किसी नगरक्षेत्र में पूर्णतया स्थित हो या नहीं।]"

अब पता यह चला है कई राज्यों में कुछ ऐसी रेलें हैं जो माने हुए अर्थ में रेलें नहीं हैं। वह रेल तथा ट्रामवे की बीच की चीज हैं। अब परिभाषा में ऐसा परिवर्तन कर दिया गया है कि संसद विधि द्वारा यह बता सके कि कौन से संचार के मार्ग रेल नहीं माने जा सकते हैं। यह परिवर्तन करना जरूरी हो गया है क्योंकि मूल परिभाषा जब बनाई थी तबसे कुछ ऐसा हुआ है कि अधिकांश देशी राज्यों ने रेलों को भारत सरकार को सौंप दिया है या करने वाले हैं। इन राज्यों में आज जो स्थिति है उसका हमें ख्याल रखना होगा और उसके लिए उपबन्ध करना होगा यही कारण है जो यह संशोधन सभा के सामने रखा जा रहा है।

श्री आर.के. सिधवा: ट्रामवे को कभी रेल नहीं कहते हैं। नगर क्षेत्र के स्थित ट्रामवे का यहां उल्लेख करना सर्वथा अनावश्यक है। ट्रामवे को ट्रामवे ही कहते हैं। मसौदा समिति के दिमाग में किसने यह बात ला दी है कि ट्रामवे रेलवे है। यहां इसका उल्लेख करना बड़ी बेतुकी बात है। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं श्रीमान कि संशोधन का उपखण्ड (क) अनावश्यक है।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** मेरा ख्याल है कि माननीय की बात गलत है। उस समय भी जब कि मूल परिभाषा पर यहां बहस की जा रही थी मैंने यह बताया था कि यह कहना गलत है कि रेल में ट्रामवे शामिल नहीं है। रेलवे और ट्रामवे में सिवाय इसके और अन्तर ही क्या है कि ट्राम में एक या दो गाड़ियां रहती हैं पर रेलों में ज्यादा गाड़ियां रहती हैं। इसलिए यह संशोधन जरूरी है। अन्यथा बहुत से स्थानों में लोग अन्य लीकों को भी ट्रामवे मान सकते हैं और इसको लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी विवाद की कोई गुंजाइश रह जाये। इसलिये यह परिभाषा ठीक परिभाषा है और इसको रखना ही उचित होगा।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** प्रस्तुत संशोधन के उपखण्ड (ख) को स्वीकार करने में मुझे कुछ कठिनाई है। अभी श्री कृष्णमाचारी ने अपनी अपील में यह कहा है.....

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** माननीय मित्र से मैं यह कहूंगा कि इस संशोधन के समर्थन में पूर्ववक्ता विशेषज्ञ ने जो तर्क रखा है उसे आप स्वीकार कीजिए और मैंने जो कुछ कहा है उसकी आप उपेक्षा कीजिए।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** इससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि श्री कृष्णमाचारी केवल सन्देश वाहक मात्र हैं। आखिर इस मसले को समझाने की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। इन्होंने यह बताया है कि 'State' शब्द से अभिप्रेत है देशी राज्य न कि प्रान्त अभिप्रेत है। किन्तु नई व्यवस्था में 'State' शब्द के अन्तर्गत प्रान्त भी आ जाते हैं। यहां 'स्टेट' शब्द से शायद उनका मतलब है प्रथम अनुसूची के भाग 3 के राज्यों से। अगर यह बात है तो उसको यहां साफ-साफ बता देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो होगा यह कि भाग एक वाले किसी प्रान्त में अगर कोई छोटी रेल है तो वह भी रेल नहीं मानी जायेगी। अगर अभिप्राय यह है कि देशी राज्यों की रेलों को इसमें शामिल न किया जाये क्योंकि इन्होंने अब तक शर्तें नहीं मंजूर की हैं तो यहां यह साफ-साफ कह देना चाहिए रेलों में देशी राज्यों की रेलें शामिल न मानी जायेंगी।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** समूचे संविधान में हमने सर्वत्र 'State' शब्द का ही प्रयोग किया है। जहां कहीं राज्यों में कोई अन्तर व्यक्त करना पड़ा है हमने यह कह कर उनका उल्लेख किया है कि भाग 1 के राज्य या भाग 2 अथवा 3 के राज्य। इसलिए श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के कथन में सार क्या है इसे मैं नहीं समझ पाता हूं।

***अध्यक्षः** 'State' शब्द के प्रयोग के आधार पर अपना तर्क नहीं रखा है और न उन्होंने यह कहा ही है।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमदः** बहस के सिलसिले में आपने कई देशी राज्यों का जिक्र किया है। इससे मुझे भ्रम हो गया।

***अध्यक्षः** प्रश्न यह है:-

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) के उपखण्ड (द) की जगह यह उपखण्ड रखा जाये:—

'(r) 'railway' does not include:—

(a) a tramway wholly within a municipal area, or

(b) any other line of communication wholly situate in one State and declared by Parliament by law not to be a railway.'

[(द) रेल में यह शामिल नहीं हैं:

[अध्यक्ष]

(क) किसी नगरक्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्रामवे, अथवा

(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी एक राज्य में पूर्णतया स्थित हो और जिसे संसद ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित किया हो।]"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं आपसे एक संशोधन पेश करने की अनुमति चाहता हूं जिसकी सूचना तो आई है पर वह सदस्यों के पास नहीं भेजा गया है। इसको संख्या-बद्ध नहीं किया गया है और यह है उप-राज्य प्रमुख के बारे में। मैं इसे पेश करता हूं। संशोधन यह है....

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) में यह उपखण्ड जोड़ दिया जाये...

'(y) 'Uprajpramukh' in relation to any State means the person who for the time being is recognised by the President as the 'Uprajpramukh' of that State.'

[(म) 'उपराजप्रमुख' से, किसी राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के उपराजप्रमुख के रूप में तत्समय अभिज्ञात है।]"

मैं कृतज्ञ हूं माननीय मित्र मैसूर के प्रधान मंत्री का जिन्होंने मेरा ध्यान इस त्रुटि की ओर आकृष्ट किया है।

महाराज प्रमुख के सम्बन्ध में जो प्रश्न माननीय मित्र श्री कामत ने उठाया है उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि संविधान में कहीं भी महाराजप्रमुख का उल्लेख नहीं आया है जोकि एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे महाराजप्रमुख कहा जाता हे। संविधानिक रूप से, ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व को हमने स्वीकार नहीं किया है। इस परिभाषा को रखने की आवश्यकता इसलिये पड़ी है कि कल, पद सम्बन्धी अनर्हता को हटाने के बारे में जो संशोधन यहां रखे गये हैं उनमें दो स्थलों पर उपराजप्रमुख का उल्लेख हमें करना पड़ा है। आशा है सभा इसे स्वीकार करेगी।

श्री एच.वी. कामत: इस सम्बन्ध में एक छोटी सी कठिनाई है और वह यह है कि संस्कृत तथा हिन्दी भाषाओं के अनुसार–भाषा विज्ञान की दृष्टि से तथा शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से—होना चाहिये उपराजप्रमुख (Uprajpramukh)। अन्यथा अंग्रेज तथा विदेशी पत्रकार इसे 'अपराजप्रमुख' पढ़ेंगे और मैंने उनको ऐसा उच्चारण करते सुना है।

***अध्यक्ष:** अक्षर विन्यास को हम ठीक कर लेंगे। पर मैं नहीं समझता कि ठीक करने पर भी हम अनभिज्ञ आदमियों को अशुद्ध उच्चारण करने से रोक सकेंगे।

***श्री जयनारायण व्यास** (संयुक्त राज्य राजस्थान): अध्यक्ष महोदय, महाराजप्रमुख की स्थिति से मैं सहमत नहीं हूं। राजाओं की बैठकों का सभापतित्व महाराजप्रमुख ही करता है। अगर हम संविधानिक रूप से उसे महाराज प्रमुख नहीं स्वीकार करेंगे तो वह सारी बैठकें जो उसके सभापतित्व में होंगी अवैध होंगी।

***अध्यक्ष:** क्या राजाओं की ऐसी बैठकें होती हैं जैसी कि नरेन्द्र मंडल की हुआ करती थीं?

***श्री गोकुलभाई दौलतराम भट्ट** (राजस्थान): राजस्थान के कवेनेन्ट में एक आर्टिकल है जिसमें यह लिखा है कि राजाओं की जब कोई मीटिंग होगी जहां महाराणा उदयपुर हाजिर होंगे, तो वह महाराजप्रमुख की हैसियत से उसके सदर होंगे। यह स्पष्ट तौर से लिखा है तो उसमें उनकी कुछ हैसियत तो जरूर आती है। उनके हाथ में दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर इसमें है और यह सोचने की बात है। इस पर दोबारा गौर करने की जरूरत है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** भाग 6-क में हमने इस तरह का कोई उपबन्ध नहीं रखा है।

***अध्यक्ष:** क्या अपने संविधान में नरेशों की बैठक के लिये कोई उपबन्ध है?

***श्री गोकुलभाई दौलतराम भट्ट:** जिन राज्यों को मिला कर राजस्थान-संघ बना है उनके नरेशों की बैठक के लिये उपबन्ध किया गया है।

***एक माननीय सदस्य:** प्रसंविदा में इसके लिये एक उपबंध है।

***अध्यक्ष:** पर संविधान में नहीं है।

***श्री गोकुलभाई दौलतराम भट्ट:** राजप्रमुख और उपराजप्रमुख शब्द प्रसंविदा में हैं।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** प्रसंविदायें संविधान का ही अंग हैं। इन प्रसंविदाओं के अधीन ही तो नरेश भारतीय संघ में शामिल हुए हैं। इसलिये हमें इन्हें मानना ही होगा। इस प्रश्न पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है।

***श्री एच.जे. खाण्डेकर** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): मेरा ख्याल है कि अभी इसे हमें स्थगित रखना चाहिये।

***माननीय श्री के. सन्तानम्:** यहां तो केवल परिभाषा रखने की बात है। जब तक कि संविधान में इसका प्रयोग नहीं होता है हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी क्या परिभाषा होगी।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** इस संशोधन को तो हमें स्वीकार करना ही होगा क्योंकि, एक संशोधन को, जिसमें यह शब्द आया है, हम स्वीकार कर चुके हैं। अगर किसी ऐसे शब्द की परिभाषा का सवाल है जो संविधान में आया ही नहीं, तो इसका प्रस्तुत संशोधन से क्या सम्बन्ध है? माननीय मित्र का जो मत है उससे इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं पैदा होती है।

***अध्यक्ष:** तो उपराजप्रमुख की परिभाषा के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। महाराजप्रमुख की परिभाषा के सवाल को अभी हम आगे के लिये छोड़ते हैं।

***श्री गोकुलभाई दौलतराम भट्ट:** मैं चाहता हूं कि इस बात का यहां खुलासा हो जाना चाहिये नहीं तो हो सकता है कि यह कहा जाये कि जिस तरह राजप्रमुख और उपराजप्रमुख का स्पष्ट उल्लेख संविधान में दिया गया है उसी तरह महाराजप्रमुख का भी स्पष्ट उल्लेख आना चाहिये था।

***अध्यक्ष:** अपने संविधान में हमने केवल उपराजप्रमुख शब्द का प्रयोग किया है। प्रमुख के पूर्व विशेषण के रूप में किसी शब्द के रखने से कोई कठिनाई नहीं आ सकती है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मुझे मालूम हुआ था कि उदयपुर के महाराजप्रमुख को जो भत्ता दिया जायेगा वह अनुच्छेद 267-क के एक शासक के नाते निजी थैली से दिया जायेगा न कि महाराजप्रमुख होने के नाते। इसलिये उनके लिये संविधान में विशेष उपाधि के उल्लेख की जरूरत नहीं है।

***अध्यक्ष:** अब मैं इस पर मत लूंगा।

***श्री एच.जे. खांडेकर:** अगर उपराजप्रमुख कोई महिला हुई तो क्या स्थिति होगी? उसको किस नाम से पुकारा जायेगा।

***अध्यक्ष:** इस तरह तो कई समितियों की महिला चेयरमैन भी हमारे यहां हैं। जहां तक अंग्रेजी भाषा का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है।

प्रश्न यह है:

"कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (1) में यह उपखण्ड जोड़ दिया जाये:—

'(y) 'Uprajpramukh' in relation to any State means the person who for the time being is recognised by the President as the Uprajpramukh of that State.'

[(म) 'उपराजप्रमुख' से, किसी राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के उपराजप्रमुख के रूप में तत्समय अभिज्ञात है।]"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्षः** अब हम लेते हैं अनुसूची को।

***श्री युधिष्ठिर मिश्र** (उड़ीसा के राज्य): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है श्रीमान, कि प्रथम अनुसूची पर विचार कृपया कल तक के लिये स्थगित रखा जाये।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसादः** हां श्रीमान। इसे स्थगित रखा जा सकता है। यह सूची अभी आज सवेरे ही आठ बजे तो हम लोगों को मिली है।

***अध्यक्षः** अनुसूची उपस्थित तो कर ली जाये पर विचार इस पर किया जाये कल प्रातः।

प्रथम अनुसूची

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान....

"कि प्रथम अनुसूची की जगह यह अनुसूची रखी जाये:–

'FIRST SCHEDULE
(Articles 1 and 4)
The States and the territories of India
PART I.

	Names of States	Names of Corresponding Provinces
1.	Assam	Assam
2.	Bengal	West Bengal
3.	Bihar	Bihar
4.	Bombay	Bombay
5.	Koshal-Vidarbh	Central Provinces and Berar
6.	Madras	Madras
7.	Orissa	Orissa
8.	Punjab	East Punjab
9.	United Provinces	Unitel Provinces

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

Territories of States

The territory of the State of Assam shall comprise the territories which immediately before the commencement of this Constitution were comprised in the Province of Assam, the Khasi States and the Assam Tribal Areas.

The territory of the State of Bengal shall comprise the territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Province of West Bengal."

[प्रथम अनुसूची
(अनुच्छेद 1 और 4)
भारत के राज्य और राज्यक्षेत्र
भाग–1

	राज्यों के नाम	तत्स्थानी प्रान्तों के नाम
1.	आसाम	आसाम
2.	बंगाल	पश्चिमी बंगाल
3.	बिहार	बिहार
4.	बम्बई	बम्बई
5.	कौशल विदर्भ	मध्यप्रान्त और बरार
6.	मद्रास	मद्रास
7.	उड़ीसा	उड़ीसा
8.	पंजाब	पूर्वी पंजाब
9.	युक्त प्रदेश	संयुक्त प्रान्त

राज्यों के राज्यक्षेत्र

आसाम राज्य के राज्यक्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले आसाम प्रान्त, खासी राज्य, और आसाम आदिमजाति क्षेत्र के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था।

पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्यक्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले पश्चिमी बंगाल प्रान्त के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था।]

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): हम लोग उड़ीसा का नाम उत्कल रखना चाहते थे श्रीमान।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** इसके लिये आप संशोधन पेश कर सकते हैं।

"The territory of the State of Bombay shall comprise the territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Province of Bombay and the territories which by virtue of an order made under section 290A of the Government of India Act, 1935, were immediately before such commencement being administered as if they formed part of that Province or which immediately before such commencement were being administered by the Government of that Province under the provisions of the Extra Provincial Jurisdiction Act, 1947.

The territory of each of the other States shall comprise the territories which immediately before the commencement of this Constitution were comprised in the corresponding Province and the territories which, by virtue of an order made under section 290A of the Government of India Act, 1935, were immediately before such commencement being administered as if they formed part of that Province.

PART II.

Names of States.

1. Ajmer
2. Bhopal
3. Bilaspur
4. Coorg
5. Cooch-Behar
6. Delhi
7. Himachal Pradesh
8. Kutch
9. Manipur
10. Rampur
11. Tripura

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

Territories of States

The territory of the State of Ajmer shall comprise the territories which immediately before the commencement of this Constitution were comprised in the Chief Commissioners' Provinces of Ajmer-Merwara and Panth Piploda.

The territory of each of the States of Coorg and Delhi shall comprise the territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Chief Commissioner's Province of the same name.

The territory of each of the other States shall comprise the territories which, by virtue of an order made under section 290A of the Government of India Act, 1935, were immediately, before the commencement of this Constitution administered as if they were a Chief Commissioner's Province of the same name.

PART III.

Names of States

1. Hyderabad
2. Jammu & Kashmir
3. Madhya Bharat
4. Mysore
5. Patiala & East Punjab States Union
6. Rajasthan
7. Saurashtra
8. Travancore-Cochin
9. Vindhya Pradesh

Territories of States

The territory of the State of Rajasthan shall comprise the territories which immediately before the commencement of this Constitution were comprised in the United State of Rajasthan and the territories which immediately before such commencement

were being administered by the Government of that State under the provisions of the Extra Provincial Jurisdiction Act, 1947.

The territory of the State of Saurashtra shall comprise the territories which immediately before the commencement of this Constitution were comprised in the United States of Kathiawar (Saurashtra) and the territories which immediately before such commencement were being administered by the Government of that State under the provisions of the Extra Provincial Jurisdiction Act, 1947.

The territory of each of the other States shall comprise the territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the corresponding Indian State.

PART IV.

The Andaman and Nicobar Islands.

[बम्बई राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट होगा वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले बम्बई प्रान्त के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था तथा वह राज्यक्षेत्र जो भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 290-क के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित थे मानो वह उस प्रान्त के अंग रहे हों अथवा जो प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले, उस प्रान्त की सरकार द्वारा प्रशासित थे।

अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट होंगे वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रान्तों के राज्यक्षेत्र में, समाविष्ट थे तथा वह राज्यक्षेत्र जो भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 290-क के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले, इस प्रकार प्रशासित थे मानो वह उस प्रान्त के अंग रहे हों।

[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर]

भाग 2

राज्यों के नाम

1. अजमेर
2. भोपाल
3. विलासपुर
4. कोड़गू
5. कूच बिहार
6. दिल्ली
7. हिमाचल प्रदेश
8. कच्छ
9. मनीपुर
10. रामपुर
11. त्रिपुरा

राज्यों के राज्य-क्षेत्र

अजमेर राज्य के राज्यक्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले अजमेर-मारवाड़ा और पंथ पिपलौदा के मुख्यायुक्तों के प्रान्तों के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था।

कोड़गू और दिल्ली राज्यों में से प्रत्येक के राज्यक्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले, उसी नाम के, मुख्यायुक्त प्रान्त के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था।

अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्यक्षेत्र में वे राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे जो भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 290-क के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले, इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उसी नाम के मुख्यायुक्त प्रान्त रहे हों।

भाग 3

राज्यों के नाम

1. हैदराबाद
2. जम्मू और काश्मीर
3. मध्य भारत
4. मैसूर
5. पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संघ

6. राजस्थान
7. सौराष्ट्र
8. तिरूवांकुर-कोचीन
9. विन्ध्य प्रदेश

राज्यों के राज्यक्षेत्र

राजस्थान राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट होंगे वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले राजस्थान के संयुक्त राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट थे तथा वह जो प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के अधीन इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले उस राज्य की सरकार द्वारा प्रशासित थे।

सौराष्ट्र राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट होंगे वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले का काठियावाड़ (सौराष्ट्र) के संयुक्त राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट थे तथा वह जो प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले, उस राज्य की सरकार द्वारा प्रशासित थे।

अन्य राज्यों में प्रत्येक के राज्यक्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी देशी राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था।

भाग 4

अन्दमान और निकोबार द्वीप

मैं नहीं समझता श्रीमान, कि जो संशोधन मैंने उपस्थित किया है उस पर कोई प्रकाश डालने की जरूरत है।

***श्री जयनारायण व्यास:** मैं यह जानना चाहता हूं श्रीमान कि सिरोही राज्य का भी कहीं उल्लेख किया गया है।

***माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर:** प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1947 के अधीन सिरोही अंशत: प्रशासित हो रहा है बम्बई द्वारा और अंशत: राजस्थान द्वारा। यही कारण है जो उसका पृथक् उल्लेख नहीं किया गया है।

***श्री जयनारायण व्यास:** किन्तु सिरोही अभी न बम्बई में है और न राजस्थान में।

***श्री नज़ीरुद्दीन अहमद:** मुझे दो एक सुझाव रखने हैं। जहां तक पदसंहिता "भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 290-क के अधीन" का संबंध है, मेरा कहना यह है कि इसके साथ एक व्याख्या यह रख देनी चाहिये यहां मतलब है यथानुकूलित अधिनियम से। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि भाग 2 में राज्यों को वर्णानुक्रम से नहीं रखा गया है। पर मैं देख रहा हूं कि यहां चौथे और पांचवें राज्य वर्णानुक्रम के हिसाब से ठीक नहीं रखे गये हैं। पांचवें राज्य का नाम पहले दिया जाना चाहिये और उसके नीचे आना चाहिये चौथे राज्य का नाम। इतना हो जाने से वर्णानुक्रम ठीक हो जायेगा।

***अध्यक्ष:** आपका मतलब है कोड़गू और कूच बिहार से। ठीक है मेरा भी यही ख्याल है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** जहां तक कि श्री नज़ीरुद्दीन अहमद की पहली बात का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहता हूं कि एक पूर्व अवसर पर यह व्यक्त कर दिया गया है कि यथानुकूलित भारत शासन अधिनियम का संक्षिप्त नाम रहेगा 'भारत शासन अधिनियम, 1935 ।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं अब बैठक समाप्त होनी चाहिये। अब हम कल प्रात: पुन: समवेत् होंगे और संशोधनों को लिया जायेगा।

***श्री आर.के. सिधवा:** प्रस्तावना को भी क्या कल ही लिया जायेगा?

***अध्यक्ष:** हां, जहां तक संभव होगा हम इसे कल ही समाप्त करने की चेष्टा करेंगे।

***श्री आर.के. सिधवा:** और भी कोई अनुच्छेद या संशोधन विचारार्थ लिया जायेगा क्या?

***अध्यक्ष:** हां, एक या दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको हम स्थगित छोड़ आये हैं।

***सेठ गोविन्द दास** (मध्य प्रान्त और बरार : जनरल): क्या सबसे आखिर में प्रस्तावना पर विचार किया जायेगा?

***अध्यक्ष:** हां, अन्त में उसी पर विचार किया जायेगा। कार्यक्रम में एक और अनुच्छेद 264-क भी है पर यह अभी तक सदस्यों को मिला नहीं है।

***श्री आर.के. सिधवा:** हर रोज नये अनुच्छेद, नये संशोधन और संशोधनों पर संशोधन यहां पेश किये जाते हैं। पर चूंकि मूल संशोधन पेश नहीं होते हैं इसलिये हम जो संशोधन भेजते हैं वह भी पेश नहीं होने पाते हैं।

***अध्यक्ष:** इस तरह तो हमने किसी संशोधन को नहीं रोका है। जहां तक कि मेरे नियम के आधार पर संशोधन के पेश होने में कठिनाई आ सकती है, मैंने ऐसी कठिनाइयों को कभी बाधिक नहीं बनने दिया है।

अब सभा कल प्रात: 10 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सभा शनिवार ता. 15 अक्तूबर सन् 1949 के प्रात: 10 बजे तक के लिये स्थगित हो गई।